लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

[खंड 32 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची /CONTENTS

अंक 4, गुरुवार, 15 नवम्बर, 1973/ 24 कार्तिक, 1895 (शक)

No. 4, Thursday, November 15, 1973 / Kartik 24, 1895 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या । विषय	Subject	पृष्ट/PAGES
61 अखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	All India Working class consumers' Price Index	1—3
62 दिल्ली समझौते के अधीन पाकिस्तानियों और बंगालियों को स्वदेशलौटाये जाने के काम में प्रगति	Repatriation of Pakistanis and Bengalees under Delhi Agreement .	3—6
63 इस्पात के अनियमित आवंटन पर रोक लगाने वाला संगठन	Organisation to check Irregular Allotment of Steel . .	7—8
64 गोदी श्रमिक यूनियनों की मांगें	Demands of Dock Workers' Unions . .	8—10
67 रत्नगिरि एल्युमीनियम परियोजना	Ratangiri Aluminium Project	10—13
68 युगांडा से निकष्कासित किये गये भारतीयों को क्षतिपूर्ति	Compensation to Indians expelled from Uganda	13
69 गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की भूमिका पर संयुक्त राष्ट्रसंघ में डा० किसिंगर का वक्तव्य	Dr. Kissinger's Statement in U.N. on Role of Non-Aligned Nations .	14—15
70 चीन-भारत सबंध	Sino-Indian Relations—	15—18

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

65 पेसेंजर कारों का निर्माण	Production of Passenger Cars	18—19
66 औद्योगिक एककों द्वारा इस्पात के कोटों का दुरुपयोग	Misuse of Steel Quotas by Industrial Units . .	20

किसी नाम पर अंकित यह *इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign* marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
71 इस्पात के नए मूल्य	New Steel Prices . .	19—20
72 पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को स्वदेश वापसी	Repatriation of Pakistani Prisoners of War .	20—22
73 सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इस्पात के भंडार का अनुमान	Assessment of Stock of Steel with Public and Private Undertaking . .	22
74 भारत तथा पाकिस्तान द्वारा शास्त्रों में सानुपात कमी करने के बारे में पाकिस्तान की मांग	Pak. Demand for proportionate Reduction in Arms by India and Pakistan	23
75 सशस्त्र सेनाओं में भर्ती	Recruitment in Armed Forces . .	23
76 छोटी कारों के निर्माण के लिए दिए गए आशय पर विचार करने क लिए समिति	Committee to Review Letters of Intent for Manufacture of Small Cars .	24—25
78 तीन पहियों वाले स्कूटरों तथा मोटर साइकिलों की मांग को पूरा करने के लिए कार्यवाही	Steps to meet the Demand for Three Wheelers and Motor Cycles .	25
80 सभी कोयला खानों के प्रबंध को सरकारी नियंत्रण में लेना	Take over of Management of All Coal Mines	26
अता० प्र० संख्या		
603 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के कुछ निदेशकों द्वारा त्याग-पत्र	Resignation by some Directors of Scooters India Ltd.	26
604 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooters by Scooters India Limited	27
605 सीमेंट मजदूरों की मजूरी में वृद्धि	Raise in Wages of Cement Workers . . .	27—28
606 उपदान न्यास की स्थापना	Creation of Gratuity Trust	28
607 1965 के युद्ध में अतिगोपनीय योजना का भेद खुलना	Leakage of Top Secret Plan in 1965 War .	28
608 भारतीय युद्ध पोतों के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने के लिये इन्डोनेशिया सरकार की ओर से अनुरोध	Request from Indonesian Government for Joint Naval Exercises with Indian War Ships .	28—29

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
609	श्रीनगर में बडगाम के निकट मिग-21 का दुर्घटना ग्रस्त होना	Air Crash of Mig 21 near Bedgam, Srinagar .	29
610	दो तरह की इस्पात मूल्य नीति	Two Tier Steel Pricing Policy. . . .	29—30
611	भारतीय वायु सेना के विमान का पूना के पास दुर्घटनाग्रस्त होना	Indian Air Force Aeroplane Accident near Poona .	30
612	भारत-पाक उपमहाद्वीप में विवाद के संबंध में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री भुट्टो का वक्तव्य	Statement by Shri Bhutto regarding Disputes in Indo-Pak. Sub continent	30
613	इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा इस्पात का आवंटन	Allotment of Steel by Steel Priority Committee .	31
614	दामोदर घाटी निगम से बिजली प्राप्त करने वाले इस्पात संयंत्रों में उत्पादन	Production in Steel Plants receiving Power from DVC . . .	31—32
615	कर्मचारी भविष्य निधि-स्टाफ फेडरेशन की मांगों को पूरा करना	Settlement of Demands of E.P.F. Staff Federation	32
616	राजस्थान के लिये छोटा इस्पात संयत्र	Mini Steel Plant for Rajasthan . .	33
617	कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी	Minimum Wage for Agricultural Labourers .	33—34
618	भारत में ऊर्जा सप्लाई के लिये सोलवेंट रिफाइंड कोल तैयार किया जाना	Processing of Solvent Refined Coal for Energy Supply in India . .	34
619	नैवली परियोजना के कार्यक्रम का विस्तार	Expansion programme of Neyveli Project . .	34
620	स्कूटरों/कारों का निर्माताओं का कोटा बंद किया जाना	Discontinuance of Manufacturer's Quota of Scooters/Cars . .	34—35
621	यू० पी० स्कूटर्स लिमिटड उन्नाव (कानपुर) द्वारा स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooters by U.P. Scooters limited, Unnao (Kanpur) .	35
622	एल्यूमीनियम के मूल्यों को पुनरीक्षित करने में विलंब	Delay in Aluminium Price Revision . .	35
623	पूर्ति और निपटान महानिदेशक के कार्यालय में नए पदों का बनाया जाना	Creation of new Posts in Office of Director General of Supplies and Disposals	36
624	संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी के लिए स्थान	Place for Hindi in U.N.O.	36—37
625	स्कूटरों का उत्पादन	Production of Scooters .	37

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ट/Pages
626	अलवर में स्कूटर बनाने वाले कारखाने की स्थापना में प्रगिति	Progress in setting up of Scooter manufacturing factory in Alwar .	38
627	राज्यों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	Industrial Training Institute in States .	38—40
628	मध्य प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	Industrial Training Institute in M.P. .	40
629	आय मूल्यों को स्थिर करने तथा मजूरी प्रतिबंध के बारे में रक्षामंत्री का वक्तव्य	Statement made by Defence Minister Re.-Freeze on Income, prices and Wages . .	41
630	छोटी कार के नमूने	Models of Small Car .	41
631	पालामऊ, बिहार में एल्यूनियम उद्योग	Aluminium Industry in Palamau District Bihar	41
632	पाकिस्तानी युद्धबदियों पर व्यय	Expenditure on Pakistani P.O.Ws.	42
633	चाय उद्योगों में अधिक लोगों को रोजगार दिये जाने की गुंजाइश	Scope for Employment of more people in Tea Industry . . .	42—43
634	विद्युत भट्टी एककों द्वारा उत्पादित पिंडों / छड़ों पर मूल्य नियंत्रण लागू करने की समीक्षा	Review of price control on Ingots, Billets, produced by Electric Furnance units	43
635	पांचवीं अथवा छठी योजना अवधि के दौरान एकीकृत इस्पात परियोजना	Integrated Steel projects during Fifth or Sixth Plan period. . .	43
636	अरब-इजरायल युद्ध को समाप्त करने के लिये भारत की भूमिका	Part played by India to end Arab Israel War .	44
637	आल इंडिया रेलवेमैनन्स फेडरेशन तथा अन्य मजदूर संघों द्वारा वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर असंतोष प्रकट करने के लिए हड़ताल की धमकी	Strike threat by A.I.R.F. and other Trade Unions on account of their dissatisfactions with Pay Commission's Report .	44—45
638	सीमेंट उद्योग के मजदूरों द्वारा हड़ताल की धमकी	Strike threat by Cement Industry Workers .	45
639	रोजगार संबंधी योजनाओं के लिए राज्यों को अनुदान	Grants to State for Job schemes . . .	46—47
640	सिक्किम में राज्य विधान सभा के चुनावों के लिए चुनाव आयोग को सहायता मांगना	Assistance of Election Commission sought for State Assembly Election in Sikkim . . .	47

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
642	निर्यात के लिए इस्पात की सामग्री बनाने वाले एककों को आयातित इस्पात की सप्लाई	Supply of imported steel to units manufacturing steel items for export .	47—48
643	रक्षा कारखानों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले देशी पुर्जे	Indigenous components used by Defence Factories . .	48
644	अल्जीरिया में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों द्वारा लिये गये निर्णय	Decisions taken by Non-aligned Nations in Algeria	48—49
645	हड़तालों और तालाबंदियों का निवारण	Prevention of Strikes and Lockouts . . .	49
646	पश्चिम एशिया में युद्ध विराम संबंधी रूसी प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि का वक्तव्य	Statement by Indian Representative in U.N. on U.S. Soviet Resolution on West Asian Ceasefire .	49—50
647	अल्जीयर्स सम्मेलन में व्याख्या की गई बड़ी शक्तियों की संकल्पना	Concept of Super Powers as enunciated at Algiers Conference .	50
648	घड़ियों के पुर्जों के व्यापक उत्पादन तथा नये मशीनी औजारों के विकास के लिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की योजना	H.M.T. Plan for mass production of watch components and development of machine tools	51
649	कोयले के वितरण के लिए संगठन	Organisation to handle coal distribution . .	51
650	भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय के लिये पांचवीं योजना में धनराशि के आवंटन का प्रस्ताव	Proposals for Fifth Plan allocation for Ministry of Heavy Industry .	52
651	लोहे और इस्पात के लिये और अधिक स्टाकयार्ड	More Stockyards for iron and Steel products .	
652	भारत-अमरीका संबंध	Indo-US relations . .	52
653	नैरोबी हवाई अड्डे पर वित्त मंत्री के सामान की तलाशी	Search of Finance Minister's baggage at Nairobi Airport	53
654	संसद्-सदस्यों को स्कूटरों का आवंटन	Allotment of scooters to Members of Parliament	54
655	दमिश्क पर इजरायली हवाई हमले के कारण मारे गये भारतीय नागरिक	Indians killed in Israeli air raid on Damascus	54—55
656	भारत से पाकिस्तानी युद्धबंदियों का स्वदेश भेजा जाना	Repatriation of Pakistani P.O.Ws. from India	55

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
658	छोटी कार बनाने के लिये मारुति एंड कम्पनी को दिया गए आशयपत्र की अवधि बढाया जाना	Extension of letter of Intent issued to Maruti and Company for production of small car .	55—56
659	इस्पात के कोटे का दुरुपयोग करने वाली फर्में	Firms charged with misuse of Steel quota . .	56
660	भारतीय कोयला और तांबा खनन उद्योग विकास के लिये ब्रिटिश तकनीकी सहायता	British technical assistance for development of Indian coal and Copper Mining Industries .	56
661	खनन उपकरणों की रुस से खरीद	Purchase of mining equipment from U.S.S.R.	57
662	बर्मा में मिजो विद्रोहियों का अड्डा होने का समाचार	Reported base of Mizo Rebel in Burma . .	57
663	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में इस्पात के उत्पादन में कमी	Set-back to Production of Steel at Durgapur steel Plant . .	57—58
664	चीन की प्रक्षेपणास्त्र की मार करने की दूरी	China's Missile Range .	58
665	सीमेंट उद्योग में मजदूरों की न्यूनतम मंजूरी	Minimum Wage for Workers in Cement Industry . . .	58
666	बंगलादेश में इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिये संभाव्यता अध्ययन	Feasibility study for Setting-up a Steel Plant in Bangladesh . .	58—59
667	अंतर्राष्ट्रीय विकास नीति पर चर्चा करने के लिये महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाने के लिये अल्जीयर्स सम्मेलन की मांग	Algiers Conference call for Special Session of General Assembly to discuss International Development Strategy .	59
668	इस्पात संयंत्रों में अप्रयुक्त क्षमता	Unutilized Capacity in Steel Plant . .	59—60
669	उगाण्डा से निष्कासित किये गये भारतीय मूल के व्यक्तियों की संख्या	Persons of Indian Origin Expelled from Uganda	60
670	सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों का विस्तार	Expansion of Public and Private Sector Steel Plants . . .	60—61
671	डी० सी० एम० केमिकल्स वर्कस दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Workers of DCM Chemicals Works, Delhi	61
672	विदेश मंत्री की विदेश यात्रांए	Foreign Minister's Visits Abroad . . .	61—62

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
673	गोआ पर पुर्तगाल का कथित दावा	Reported Portuguese Claim over Goa . .	62
674	लंदन और वाशिंगटन स्थित भारतीय सप्लाई मिशन में सहायक नियुक्त करने के लिये अनुभव	Experience for Assistants being posted to Indian Supply Mission in London and Washington .	62—63
675	इस्पात की नई कीमतें	New Prices of Steel	63
676	सरकारी नियंत्रण में और गैर-सरकारी क्षेत्र के अधीन कोयला खानें	Coal Mines under Government Control and in Private hands	63—64
677	विदेशों से रद्दी इस्पात के छोटे टुकड़ों का आयात	Import of Steel Scraps from Foreign Countries	64
678	बंगालियों और पाकिस्तानियों को स्वदेश भेजने के लिए विमानों और यात्री जहाजों की व्यवस्था करन की पेशकश	Offer of planes and passenger Ships for Repatriation of Bengalis and Pakistanis .	64
679	रद्दी लोहे के छोटे टुकड़ों को विदेशों को निर्यात	Export of Iron Scrap to Foreign countries	65
681	पिछले दो वर्षों के दौरान भारत से रद्दी लोहे के छोटे टुकड़े मंगाने वाले देश	Countries to which Iron Scrap has been exported during last two Years	65
683	श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तीसरा मजदूरी बोर्ड	Third Wage board for working Journalists . .	66
685	जूट उद्योग में महिला श्रमिकों की संख्या में कमी होना	Reduction of women workers in Jute Industry	66
686	भारतीय श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति के अधिवेशन	Sessions of Indian Labour Conference and Standing Labour Committee .	66—67
687	आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के विचार से इस्पात कारखानों की क्षमता के उपयोग में वृद्धि	Increase in capacity utilisation of Steel Plants to achieve self sufficiency	67—68
688	भारी इंजीनियरिंग निगम को हुआ घाटा	Loss suffered by Heavy Engineering Corporation	68—69
689	इस्पात संयंत्रों को कोयले की सप्लाई करने और इस्पात के अपव्यय पर रोक लगाने का सुझाव देने के लिये उच्चशक्ति प्राप्त समितियां	High Power Committees to suggest Supply of Coal to Steel Plants and to curb wasteful use of steel	69—71
690	इस्पात का अधिकतम उत्पादन करने की नीति	Strategy to Maximise production of Steel	71—72

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
691	परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण भिलाई में ढलवां लोहा जमा हो जाना	Pig Iron lying at Bhilai for lack of Transportation Facilities . .	72
692	अल्जीयर्स सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्र में बंगला देश के प्रवेश का समर्थन	Support by Algiers Conference for admission of Bangladesh into U.N. .	72
693	इस्पात के लिये होल्डिंग कम्पनियां बनाना	Formation of Holding Companies in Steel . . .	72—73
694	भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारियों को बोनस न दिया जाना	Bonus refused to Bhilai Steel Plant employees .	73
695	'जूट' श्रमिकों के बच्चों' के लिए शिक्षा सुविधाएं	Education facilities to children of Jute Workers .	73
696	पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा दिल्ली में एक स्थानीय डीलर से आयातित 'हाई स्पीड' इस्पात का क्रम	Purchase of Imported high speed steel by DGS&D from local dealer in Delhi	74
697	'आर्मी आर्डनेंस कोर' में भंडार रक्षण कार्मिकों (स्टोरकीपिंग पर्सोनल) की राजपत्रित अधिकारियों के रुप में पदोन्नति	Promotion of Storekeeping Personnel as gazetted Officer in Army Ordnance Corps . .	75
698	'आर्मी आर्डनेंस कोर में लोअर डिवीजन कलर्क	Lower Division Clerks in Army Ordnance Corps	75—76
699	आर्मी आर्डनेंस कोर के लिपिक संवर्ग की पदोन्नति में गतिरोध	Stagnation in Clerical Cadre of Army Ordnance Corps	76
700	आर्मी आर्डनेंस कोर में कार्यालय अधीक्षकों के लिये पदोन्नति के अवसर	Promotion Avenues for Office Supdts. in Army Ordnance Corps . .	76—77
701	रत्नगिरि एल्यूमीनियम संयत्र	Ratnagiri Aluminium Plant	77
702	संयुक्तराष्ट्र में युद्बंदियों और कश्मीर का मामला उठा कर पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते का उल्लंघन	Violation of Simla Agreement by Pakistan in raising issues of P.O.Ws. and Kashmir in U.N.	77
703	लघु, इस्पात संयंत्र लगाने के लिये राज्यों को सहायता देना	Aid to States to Set-up Mini Steel Plants	77—79
704	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा विभिन्न राज्यों में घड़ियों के गौण एकक स्थापित करना	Promotion of Ancillary Watch Units of H.M.T. in different States .	79—80
705	भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थिति	Condition of Heavy Engineering Industry .	80

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
706	विशाखापत्तनम, विजय नगर और सेलम में इस्पात मिलों की स्थापना	Establishment of Steel Mills at Viskhapatnam, Vijayanagar and Salem .	80
707	दक्षिण में इस्पात संयंत्रों के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान	Fifth Five Year Plan provision for Steel Plants in the South .	80—81
708	रत्नगिरि के एल्यूमोनियम संयंत्र के स्थान में परिवर्तन	Shifting of location of Aluminium Plant at Ratnagiri	81
709	फेडरेशन आफ डिफेंस सर्विस इंडस्ट्रियल वर्कर्स का अपने वेतनमानों और सेवा शर्तों पर विचार करने के लिये विशेषज्ञ समिति का अनुरोध	Request by Defence Services Industrial workers for Expert Committee to consider their scales and job conditions . .	81
710	चेकोस्लोवाकिया के लिये बेरोजगार भारतीय जन शक्ति	Unemployed Indian Man power for Czechoslovakia . .	81—82
711	लम्ब्रेटा स्कूटरों के निर्माण के लिये सरकारी क्षेत्र की परियोजना	Public Sector Project for manufacture of Lambretta Scooters .	82
712	पाकिस्तान सीज थ्रैट फ्राम इंडिया	Pakistan sees threat from India . .	82
713	नाविक रंगरुटों की भर्ती के बारे में नौसेना अध्यक्ष का वक्तव्य	Statement of Chief of Naval Staff Re : selection of Naval Recruits .	82—83
715	केरल में क्षेत्रीय पार-पत्र (पासपोर्ट) कार्यालय खोलना	Opening of a Regional Passport Office in Kerala . .	83
716	मत्स्य पकड़ने वाली नौका "आकाश मारु 23" के गुम होजाने के संबंध में जांच	Investigation regarding missing fishing Trawler Akashmaru 23" .	83
717	अशोक ले-लैंड द्वारा पेंसेंजर 'चेसिस' का निर्माण	Manufacture of Passenger chasis by Ashok Leyland	83—84
718	'टेल्को' द्वारा टाटा जल गाड़ियों का निर्माण	Manufacture of Tata Diesel Vehicles by TELCO	84
719	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित "एस 'पायलट 500' 501096" लेथ मशीनों का निर्यात	Export of 'S' Pilot 500" 501096" Lathe Machines manufacture by HMT .	84
720	सरकारी क्षेत्र में भारी विद्युत संयंत्रों की क्षमता के उपयोग में सुधार	Improvement in Utilization capacity of Heavy Electricals plants in Public Sector .	84

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
721	कुद्रमुख लौह अयस्क परियोजना	Kudremuk Iron Ore Project	85
722	केरल को लौह और इस्पात की सप्लाई	Supply of Iron and Steel to Kerala . . .	85
723	केरल में कोयले की कमी	Shortage of Coal in Kerala	85
724	इस्पात की मांग और उसका उत्पादन	Demand and Poduction of Steel . . .	86
725	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक तांबे की आवश्यकता और उसकी उपलब्धता	Need and availability of Copper by end of Fifth Five Year Plan . .	86
726	रण विधवाओं और सेना के अपंग कर्मचारियों को गैस की एजेंसियों और निःशुल्क भूमि आवंटन करने के बारे में केरल से शिकायत	Complaint from Kerala re : allotment of gas agencies and free land to war Widows and disabled Army personnel . .	86
727	उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में छोटा इस्पात कारखाना	Mini Steel Plant in Ballia, District U.P. . .	87
728	कोयले का बडा हुआ विक्रय मूल्य	Increase in Coal Selling prices . . .	87—88
729	वेतन ढांचे के पुनरीक्षण के लिये कोयला खान उपयोग के लिए समझौता वार्ता समिति	Negotiating Committee for Coal Mining Industry to review Wage Structure	88
730	अरब-इजराइल युद्ध के संबंध में सुरक्षा परिषद् द्वारा पारित युद्ध विराम संकल्प के प्रति भारत की प्रतिक्रिया	Reaction of India to the cease fire Resolution regarding Arab Israel War passed by the Security Council. . .	88—89
731.	पूर्वी बंगाल के विस्थापितों के पुनर्वास के लिये वृहद योजना	Master Plan for Rehabilitation of Dislplaced persons from East Bengal . .	89
732.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के उत्पादन में बाधा	Distribution of production at Durgapur Steel Plant . . .	89
733.	पांचवी योजना के दौरान भारी मशीन बनाने वाले संयंत्र के लिये योजनायें	Plan for Heavy Machine Building Plant during Fifth Plan . .	90
734.	सरकारी क्षेत्र के प्रतिरक्षा उपक्रमों में काम आने वाली सामग्री के आयात के लिये लाइसेंस का देना बंद करना	Stoppage of Licences for Import of Items needed for defence public Undertakings . .	90

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
735.	भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा श्रीलंका का दौरा	Visit by an Indian Delegation to Sri Lanka .	91
736.	भारतीय नौसेना के लिये विमानवाहक युद्धपोतों की उपयोगिता	Utility of Aircraft Carriers for Indian Navy . .	91
737.	बीड़ी कर्मचारियों के वेतन में असमानता	Varying Wages paid to bidi workers . .	92
738.	रक्षा सेवाओं को उपकरण तथा अन्य वस्तुएं सप्लाई करने वाली फर्में/कम्पनियां	Firms/Companies supplying equipment and stores to defence services .	92—93
739.	अरब संघर्ष के संबंध में भारतीय रवैये के स्पष्टीकरण के लिये मध्यपूर्व को भारतीय मिशन	Indian mission to middle East to explain Indian position regarding Arab Struggle . .	93
740.	पाकिस्तान को ईरान के रास्ते से अमरीकी शस्त्रों की सप्लाई	Diversion of U. S. arms to Pakistan via Iran .	93—94
741.	अल्जीयर्स में गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन	Conference of Non-aligned Nations at Algiers .	94—95
742.	भवननगर सौराष्ट्र में मशीन टूल्स प्लांट स्थापित करने संबंधी गुजरात सरकार की योजना	Gujarat plan to set up machine tools plant at Bhavnagar, Saurastra .	95
743.	औद्योगिक संबंध विधेयक	Industrial Relations Bill .	95—96
745.	उपदान अधिनियम 1972 में त्रुटियां	Lacunae in payment of Gratuity Act, 1972 .	96
746.	बोकारो इस्पात संयंत्र की 'स्लैबिंग मिल' (पट्टियां बनाने वाली मिल) का निर्माण	Erection of slabbing Mills of Bokaro Steel Plant .	96
747.	बोकारो इस्पात संयंत्र (स्टील मैलटिंग काम्पलेक्स) ।	Steel Melting complex of Bokaro Steel Plant .	96—97
748.	'सस्ता इस्पात संबंधी नीति' (चीप स्टील पालिसी) का पुनरीक्षण	Revision of Cheap Steel Policy .	97
749.	सरकार द्वारा अपने अधिकार में न ली गई कोयला खानें	Coal mines not taken over by Government .	97—98
750.	जस्ते की मांग तथा उपलब्धता	Demand and availability of Zinc . . .	98
751.	तमिलनाडु को श्रीलंका से आए विस्थापितों के पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता	Financial help to Tamil Nadu for Settlement of Repatriates from Sri Lanka . . .	98—99
752.	सितम्बर और अक्टूबर 1973 के दौरान युद्ध-बंदियों की वापसी	Repatriation of P.O.W.s during September October 1973 . .	99

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
754.	रुरकेला इस्पात संयंत्र में विस्फोट	Explosion in Rourkela Steel Plant . . .	99
755.	उड़ीसा सरकार और राउरकेला इस्पात संयंत्र के बीच भूमि के हस्तांतरण के बारे में करार	Land transfer agreement between Orissa Government and Rourkela Steel Plant . .	99—100
756.	रुरकेला इस्पात संयंत्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये उड़ीसा सरकार के कर्मचारी	Deputationists from Orissa Government to Rourkela Steel Plant . .	100
757.	आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए रक्षा उत्पादन का सुदृढ़ आधार	Sound Defence production base for achieving self sufficiency .	100—101
758.	श्रीलंका द्वारा भारतीय मछुओं की गिरफ्तारी	Arrest of Indian Fishermen by Sri Lanka .	101
759.	भारत-भूटान सीमा संबंधी पट्टी मानचित्र	Indo-Bhutan Boundary Strip Map . .	101—102
760.	रोजगार दफ्तरों में रिकार्ड रखने के लिये मशीनों के प्रयोग का प्रस्ताव	Proposal to use Machine in employment exchanges for keeping records	102
761.	गुजरात में रोड़ रोलरों की सप्लाई	Supply of Road Rollers to Gujarat .	102
762.	जामनगर, गुजरात में तांबे और पीतल की मांग	Demand of Copper and Brass, in Jamnagar, Gujarat	102—103
763.	टेल्को एंड ट्यूब कम्पनी जमशेदपुर के पीड़ित श्रमिकों की पुनः बहाली	Reinstatement of Victimised Workers of TELCO and Tube Company, Jamshedpur.	103
764.	ब्रिटेन, अमरीका तथा सोवियत संघ में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी	Students studying in U.K., USA and USSR	103
765.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के उत्पादन की विविधता	Diversification of Production of Hindustan Machine Tools Ltd. .	104—105
766.	सीरिया को भेजा गया डाक्टरों का भारतीय दल	Indian Team of Doctors sent to Syria . .	105
767.	गत तीन वर्षों के दौरान विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भता	Overtime Allowance paid to Employees of Ministry of External Affairs during last three years . .	105

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
768.	पंजाब में वायु सेना के दो विमानों की दुर्घटना	Accident of Air Force Aircraft in Punjab	106
769.	भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों में असैनिक कर्मचारियों के संघ	Unions of Civil Employees in Indian Defence Establishments . .	106
770.	विक्रांत के लिए हैरियर विमान	Carrier Aircraft for Vikrant . . .	106—107
771.	भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की युद्ध की तैयारी	Pakistan War Preparation against India	107
772.	राष्ट्रीय मजूरी नीति का निर्माण करने के लिये वेतन ढांचे का विश्लेषण के लिये सेल स्थापित करना	Setting up of a Cell to Analyse Wage Structure to evolve a National Wage Policy . .	107—108
773.	अहमदाबाद टैक्सटाईल मिल ओनर्ज एसोसिएशन और टैक्सटाईल लेबर एसोसिएशन के बीच करार	Agreement between Ahmedabad Textile Mill Owners Association and Textile Labour Association . . .	108
774.	गुजरात में स्पंज लोहे का कारखाना	Sponge Iron Plant in Gujarat . . .	108
775.	इस्पात की कमी को पूरा करने के लिये कार्यवाही	Steps to meet Steel Shortage . . .	109
776.	कोकिंग तथा नान-कोकिंग कोयला खानों के राष्ट्रीय करण के बाद कोयले के उत्पादन में कमी	Fall in production of coal after Nationalisation of Coking and Non-coking Coal Mines .	109
777.	इण्डियन कापर कंपनी घाटशिला के राष्ट्रीय करण के पश्चात् उसके उत्पादन और लाभ में गिरावट	Fall of production and profit of Indian Copper Co. Ghatshila after Nationalisation . .	109—110
778.	तांबे के उत्पादन में वृद्धि करने की योजना	Scheme to Augment Copper production .	110—111
779.	दानापुर छावनी बोर्ड की समस्यायें	Problems of Dinapur Cantonment Board .	111
780.	गिरिदीह कोयला खान के सेवा निवृत्त मजदूरों को भविष्य निधि की बकाया राशि की अदायगी न करना	Non-payment of Arrears of provident Fund to Retired Labourers of Giridih Colliery .	111—112
781.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र तथा मिश्र धातु संयंत्र से चोरी	Thefts in Durgapur Steel Plant and Alloy Steel Plant . . .	112—113

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
782.	लौह अयस्क तथा बाक्साइट निक्षेपों के लिये केरल का भूगर्भीय सर्वेक्षण	Geological Survey of Kerala for Iron Ore and Bauxite Deposits .	114—115
783.	रक्षा उत्पादन विभाग में अवर श्रेणी लिपिक की भर्ती	Recruitment of Lower Division Clerks in Defence Production Department . .	115
784.	केरल में एल्युमीनियम और सीमेंट के कारखाने	Aluminium and Cement factories in Kerala .	115—116
785.	राजकुमार सिहानुक की अध्यक्षता वाली कम्बोदियाई सरकार तथा दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांन्तिकारी सरकार को मान्यता देना	Recognition of Cambodian Government headed by Prince Sihanouk and PRG of South Vietnam .	116
787.	रांची स्थित भारी इंजीनियरी निगम के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सोवियत उपकरण	Soviet equipment to boost Production of Heavy Engineering Corporation, Ranchi .	116—117
788.	1970–71 तथा 1971–72 के दौरान सिंगरेनी कोल्यरीज कम्पनी का कार्य-निष्पादन	Performance of Singareni Collieries Company during 1970-71 and 1971-72 , . . .	117
789.	माईनिंग एंड एलाईड मशीनरी कार्पोरेशन लिमिटेड का कार्यकरण	Functioning of Mining and Allied Machinery Corporation Limited .	117—118
790.	सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में हड़तालों के कारण जन-दिवस की हानि	Mandays lost due to Strikes in Public Sector Industries . . .	118
791.	खनिज निक्षेपों के लिये अरुणाचल प्रदेश में सर्वेक्षण	Survey in Arunachal Pradesh for Mineral Deposits . . .	118—119
792.	भारत और जापान में एक इस्पात संयंत्र के निर्माण में लगने वाले समय की तुलना	Comparative time taken in erection of a Steel Plant in India and Japan . . .	119
795.	अल्यूमीनियम के उत्पादन में कमी	Decline in Production of Aluminium . . .	120
796.	भारत, पाकिस्तान तथा बंगला देश संबंधी अमरीकी नीति में परिवर्तन	Change in US Policy towards India, Pakistan and Bangladesh . .	120
797.	राजस्थान में बलारिया में जस्ता अयस्क खान का विकास	Development of Zinc Ore Mine at Balaria in Rajasthan . . .	121

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
798.	इजराईली हवाई हमलों के कारण सीरिया से भारतीयों को निकाल लिया जाना	Evacuation of Indians from Syria due to Israeli Raids . .	121
799.	सेना यूनिटों को दिये गये पैटन टैंक	Patton Tanks presented to Army Units . .	121-122
800.	विदेशों में बड़े मिशनों में कर्मचारियों की संख्या का पुनर्विलोकन	Review of Staff position in Bigger Missions Abroad . . .	122
801.	बिजली की कमी के कारण इस्पात के उत्पादन पर प्रभाव	Effect of Shortage of Power on Steel Production . .	122-123
802.	पालम हवाई अड्डे से एक रुसी पर्यटक का गायब होना	Disappearance of a Soviet Tourist from Palam Airport . .	123

विषय सूची CONTENTS

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE .	123
रेलों के रद्द किये जाने का समाचार	Reported cancellation of of trains . . .	123
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra . . .	123
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi . . .	124
कोयले की सप्लाई की स्थिति के बारे में वक्तव्य	STATEMENT RE. COAL SUPPLY POSITION .	128
श्री टी० ए० पाई	Shri T. A. Pai	128.
सभा पटल पर रखे गये पत्र	PAPERS LAID ON THE TABLE	129
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha . . .	132
राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक	Bills as passed by Rajya Sabha . . .	132
(एक) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक **संशोधन विधेयक**	(*i*) Code of Civil procedure (Amendment) Bill	132
(2) प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक	(*ii*) Maternity Benefit (Amendment) Bill .	132
सदस्यों की दोषसिद्धि	Conviction of Members .	133

सर्वश्री माधुर्य हाल्दार और दिनेश जोरदार	Sarvashri Madhuryya Haldar and Dinesh Joarder	133
याचिका समिति	Committee on Petitions .	133
14वां प्रतिवेदन	Fourteenth Report	133
विशेषाधिकार समिति	Committee of Privileges .	133
छठा प्रतिवेदन	Sixth Report . . .	133
कम्पनी (संशोधन) विधेयक	Companies (Amendment) Bill . . .	133
(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	Report of Joint Committee . . .	133
(दो) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य	Evidence before Joint Committee . . .	134
राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक	NATIONAL LIBRARY BILL . .	134
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee .	134
नियम 377 के अन्तर्गत मामले	MATTERS UNDER RULE 377	136
(एक) महाराष्ट्र में आदिवासियों पर जमीदारों द्वारा कथित सशस्त्र हमला	Reported armed attack by landlords on Advivasis in Maharashtra .	136
(दो) कुछ संसद सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में अध्यक्ष को सूचना न दिया जाना	Non-intimation to the Speaker re. arrest of some Members .	138
प्राधिकृत अनुवाद केन्द्रीय विधियां विधेयक	AUTHORISED TRANSLATIONS (CENTRAL LAWS) BILL . .	139
वचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा पारित रूप मे	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	139
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin . .	139
श्री एस० ए० मुरुगन्नतम	Shri S. A. Murugantham .	139
श्री एन टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	140
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandeya	141
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwari .	142

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडु, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
अहमद, श्री फखरुद्दीन अली (बारपेटा)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बांसरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनम्बी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एंगती, श्री बीरेनु (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरेना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन् (कासरगोड)
कतामुनु, श्री एम० (नागापट्टिनम्)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्णसिंह, डा० (उधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम्, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायर, श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढरपुर)
कांबले, श्री टी० डी० (लातूर)
काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री वी० आर० (नाशिक)
काहनडोल, श्री जैड० एम० (मालेगाव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)

कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैण्ड)
कोलाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कौपा, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन्, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन्, श्री एम० के० (पोन्नानि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (हस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नन्दुरबार)
गांधी, श्रीमती इन्दिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव (बड़ौदा)
गायत्री देवी श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरौना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनोराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरीधर (कोरापुट)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोयेन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा बीरबासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्री यशवंतराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चावला, श्री अमरनाथ (दिल्ली सदर)
चिक्कलिंगय्या, श्री० के० (मांड्या)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (निल्लपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिब (बराहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (हौशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइनुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहानपुर)
जूल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एम० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जायनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झंझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तिरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० बी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूलचन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लो, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नांदेड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री के० एन० (बेतिया)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणी, श्री सी० टी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री रणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच विहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बलूर)
देव, श्री शंकर नारायण सिंह (वांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)

देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूमिया, श्री अनंत प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (केथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फुलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एम० टी० (भीर)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढंडुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (वलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)
पटेल, श्री रामूभाई (दादरा तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पलोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पस्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय (राजनंद गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दोली)
पाओकाई हाओकिप, श्री (बाह्य मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० बी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एम० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पार्णिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्रनगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपेट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्णन (मावलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एम० एल० (रत्नागिरि)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढवाल)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द्र, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली, बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एम० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मुकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हमेन्द्र सिंह (भीरवाड़ा)
बड़े, श्री आर० पी० (खारगोन)
बरूआ, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)

बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बहुगुणा, श्री हेमवतीनन्दन (इलाहाबाद)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अलमोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकारलाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह, कोटा श्री (झालावाड़)
ब्रह्मनन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतन लाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ भंवर, श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन, श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीनराव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री मानसिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तयार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोंड्डा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री कमल मिश्र (केसरिया)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगड़ा)
महाता, श्री देवेन्द्र नाथ (पुरूलिया)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिपी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री० के० डी० (डुमरियागन्ज)
मायावन, श्री वी० (चिदाम्बरम)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री एल० एन० (दरभंगा)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगुसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनतम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुर्मू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेनन, श्री वी० के० कृष्ण (त्रिवेन्द्रम)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)

मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पोलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (देवरकपुर)
मोहम्मद खुदा बख्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसुफ श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्र जीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानवेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेंद्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर सिंह, श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादूर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० वी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उमद सिंह (रायगढ़)
राणा, श्री एम० बी० (भड़ौच)
राधाकृष्णन्, श्री एम० (कुड्डलूर)
रामकंवर, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
रामदेव सिंह, श्री (महराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सुहोदराबाई (सागर)
राव, श्री मती वी० राधाबाई ए० (भद्राचलम)
राव, श्रीनागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाडा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री डा० वी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोडंडा रानी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिन्हा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० वायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी श्री वी० एन० (निरायलगूड़ा)
रोहतगी, श्रीमति सुशीला (बिल्लौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)

लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर, बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी भाई, श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (कैरीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफल हक श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री रामसिंह भाई (इंदौर)
वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुट्टूकोटै)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुबय्या, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)
शंकर दयाल सिंह (चतरा)
शफकत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (वक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज़ खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय. श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुंझनू)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलौर)
शेर सिंह प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चंन्द्र (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्कादीव मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलिभाना, श्री (मिजोरम)
सांधी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री बसन्त (अकोला)
साधूराम, श्री (फिलौर)
सामन्त, श्री एम० सी० (तामलुक)
सामिनाथन्, श्री पी० ए० (गोवीचे टिट्टपलयम)
साल्व, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आवला)

साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपूर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिन्हा, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिन्हा, श्री० आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्यन्द्र नारायण (औरगांबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपूर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावेलु, श्री (मयुरम)
सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (कोजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, श्री स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजाबूर)
सोलंकी, श्री सोमचंद (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंदर)
स्वमीनाथन, श्री आर० वी० (मदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिल)

ह

हसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तया, श्री के० (बंगलोर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरी सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एम० ढिल्लों

ऊपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री के० एन० तिवारी

नरेन्द्र कुमार साल्वे

श्रीमती शीला कौल

डा० सेरदीश राय

श्री इरा सेझियान

महा सचिव

श्री शयामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्री मण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री	श्री मती इन्दिरा गांधी
कृषि मंत्री	श्री फखरुद्दीन अली अहमद
वित्त मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
रक्षा मंत्री	श्री जगजीवन राम
विदेश मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री देवकान्त बरुआ
योजना मंत्री	श्री डी० पी० धर
गृह मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
रेल मंत्री	श्री ललित नारायण मिश्र
भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री	श्री टी० ए० पाई
संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामैया
संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
निर्माण और आवास मंत्री	श्री भोला पासवान शास्त्री
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
नौवहन और परिवार मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी

राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री नीतिराज सिंह चौधरी
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मोहन धारिया
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री आर० के० खाडिलकर
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी
संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नुरुल हसन
सिंचाई और विद्युत मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पंत
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० बी० राना
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	प्रो० शेर सिंह
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

उप-मंत्री

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री कोंडाजी बासप्पा
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुबोध हंसदा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० किस्कु
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एच० मोहसिन
औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वैंकटस्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बालगोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

श्री सी० चित्ति बाबू	Shri C. Chittibabu . .	142
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga . .	143
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	144
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	144
श्री हुकुम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai . . .	145
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	145
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee .	145
डा० कैलास	Dr. Kailas . . .	146
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1 . .	151
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended . . .	152
अधिवक्ता संशोधन विधयक	ADVOCATES (AMENDMENT) BILL . .	152
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	152
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary . . .	—
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	154
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla . .	154
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade . .	155
श्री ए० के० एम० इसहाक	Shri A. K. M. Ishaque .	156
श्री जी० विश्वनाथन्	Shri G. Viswanathan .	156
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga . .	157
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी	Shri Swami Brahmanand Ji . . .	157
खंड 2 से 40 और 1	Clauses 2 to 40 and 1 .	151—162
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to Pass, as amended . .	163
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey .	163
श्री हुकुम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai . . .	163
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar .	164
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary . . .	164

लोक सभा

LOK SABHA

गुरूवार, 15 नवम्बर 1973/24 कार्तिक, 1895 (शक)

Thursday, November 15, 1973 /Kartika 24, 1895 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

*61. **डा० गोविन्द दास रिछारिया† :**
श्री पन्नालाल बारुपाल : } क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1960=100 को आधार मानते हुए अखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग उपभोक्ता सूचकांक के पिछले दो वर्षों के मासिक आंकड़े और उनका बारहमासी औसत क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : सदन की मेज पर एक विवरण रखा गया है।

विवरण

औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल-भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

आधार : 1960=100

महीना/वर्ष	मासिक सूचकांक	समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिये औसत
(1)	(2)	(3)
अक्तूबर, 1971	196	188
नवम्बर, 1971	197	189
दिसम्बर, 1971	195	190
जनवरी, 1972	194	190
फरवरी, 1972	193	191
मार्च, 1972	194	192
अप्रैल, 1972	195	193
मई, 1972	196	194
जून, 1972	201	195
जुलाई, 1972	205	196
अगस्त, 1972	207	197
सितम्बर, 1972	208	198
अक्तूबर, 1972	209	200
नवम्बर, 1972	210	201
दिसम्बर, 1972	210	202
जनवरी, 1973	210	203
फरवरी, 1973	213	205
मार्च, 1973	216	207
अप्रैल, 1973	221	209
मई, 1973	228	212
जन, 1973	233	214
जुलाई, 1973	243	217
अगस्त, 1973	247	221
सितम्बर, 1973	248	224

ये आंकड़े निकटतम पूर्ण संख्या तक पर्ण किये गए हैं ।

Dr. Govind Das Richaria : It appears from the statement that the monthly price index which was 196 in Oct. 1971 has increased to 248 in Sept. 1973. I wish to know whether any provision has been made in the dearness allowance of the workers accordingly.

On the 12th Nov. the hon. Finance Minister said that prices are being controlled but the price index shows that there has been no control on prices; which have been rising continuously. What is the actual position?

Shri Bal Govind Verma : The Government has decided to increase the dearness allowance of workers on every eight point rise in index number. The increased D. A. has not been given as yet. The workers will get it. There is no doubt about it.

So far the other question is concerned, the prices have been rising of course. This concerns Finance Ministry and I believe that it is receiving their attention.

Shri Hukam Chand Kachwai : There is lot of inadvertence in preparing the price index. Often workers are paid dearness allowance on the basis of previous year's price index even when there is appreciable rise in prices. Does the Government propose to have a uniform formula?

Shri Bal Govind Verma : Mr. speaker, Sir the charge is unfounded. We have picked up 50 centres and 126 Bajars from where we collect price figure every month. We do not entirely depend on the collector but our regional officers and supervisors check up the figures. The final verification is done by the Simla Labour Bureau. Accordingly it is not correct to say that the previous figures are repeated.

Shri Hukam Chand Kachwai : Dearness allowance is not paid according to the current price index. How long it takes ?

Shri Bal Govind Verma : Dearness allowance is paid quarterly and therefore 3 months difference is bound to be there ?

Shri M. C. Daga : Do you raise the wages of agricultural labour under the Minimum Wages Act in proportion with the rise in price.

Shri Bal Govind Verma : Such a thing is not possible in case of minimum wages.

श्री बीरेन दत्त : क्या मंत्रालय को दोषी सूचकांक बनाए जाने के बारे में अखिल भारतीय श्रम संघों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक पृथक प्रश्न है । माननीय सदस्य इसके लिये पृथक सूचना दे कर प्रश्न पूछें ।

दिल्ली समझौते के अधीन पाकिस्तानियों और बंगालियों को स्वदेश लौटाये जाने के काम में प्रगति

***62 श्री झारखण्डे राय† :**
श्री के० मालन्ना : } क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार बंगला देश से उतनी संख्या में पाकिस्तानियों को स्वीकार नहीं कर रही जितनी संख्या में बंगाली पाकिस्तान से लौट रहे हैं और तीन तरफा स्वदेश वापसी का कार्यक्रम समुचित रूप से क्रियान्वित करने में कठिनाइयां पैदा कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) दिल्ली समझौते के आधार पर भारत, बंगला देश और पाकिस्तान से कितने बंगाली और पाकिस्तानी स्वदेश लौटे हैं और स्वदेश लौटाये जाने का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 11 नवम्बर, 1973 तक दिल्ली करार के अधीन पाकिस्तान से 34,337 बंगाली, बंगलादेश से 14,096 पाकिस्तानी और भारत से 20,538 युद्धबंदियों का देश-प्रत्यावर्तन हो चुका है। इस गति से प्रत्यावर्तन का काम लगभग 6 माह में पूरा होने की संभावना है । पाकिस्तान द्वारा बंगला देश में अपने राष्ट्रिकों को निकासी को स्वीकृति देने में विलम्ब के कारण प्रत्यावर्तन की गति अपेक्षतया धीमी रही है । इस विषय पर पाकिस्तान सरकार से बात हुई थी और उसने हमें यह विश्वास दिलाया है कि बंगलादेश में उनके राष्ट्रिकों को निकासी के काम को तेज किया जाएगा ।

श्री के० मालन्ना : पाकिस्तान द्वारा दिल्ली समझौते का पालन न करना, विलम्ब के तरीके अपनाना, हाल ही में भारत का उसके प्रति रवैया तथा पाकिस्तान और ईरान को अमरीका द्वारा शस्त्रों की सप्लाई इन सब बातों से यह संदेह उत्पन्न होता है कि एक बार फिर पाकिस्तान और भारत में झगड़ा होगा । सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे विचार में प्रश्न तीन तरफा 'स्वदेश वापिसी' कार्यक्रम के बारे में है न कि बड़े मामलों के बारे में और यदि सदन कुछ धैर्य रखे तो मैं उनका उत्तर भी दे दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए वह प्रश्न के पहले भूमिका न बांधे । सीधे प्रश्न करें ।

श्री के० मालन्ना : मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत, पाकिस्तान और बंगला देश के कुल कितने व्यक्ति स्वदेश लौटे हैं और युद्ध बन्दियों के संबध में अभी कितने बाकी हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : जब से स्वदेश वापिसी शुरू हुई है काफी संख्या में लोग अपने अपने देशों को लौटे हैं । 11 नवम्बर 1973 तक लगभग 70,000 व्यक्तियों की स्वदेश वापिसी हुई । पाकिस्तान से बंगला देश को गए बंगालियों की संख्या, युद्धबन्दियों की संख्या और बंगलादेश से पाकिस्तान को लौटे व्यक्तियों की संख्या के बराबर ही है ।

बाकी जहां तक बचे व्यक्तियों का प्रश्न है इस संबंध में मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता कुछ सूचियां अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रास सोसायटी के पास है । अतः मैं केवल युद्धबन्दियों के संबंध में आपको आंकड़े बता सकता हूं । जैसा कि मैंने पहले कहा 11 नवम्बर तक 14,000 युद्ध-बन्दी स्वदेश लौट गए और जैसा कि सदन जानता ही है युद्धबन्दियों की कुल संख्या 90,000 के लगभग थी ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, whether the attention of the Government has been drawn to the statement of Mr. Bhutto, the Prime Minister of Pakistan that Pakistan will take back only those persons from

Bangla Desh as are considered 'hardship cases'. I wish to know whether some particular categories were included in the Delhi Pact. It was said in the Delhi pact that Pakistan would take back a substantial number of persons, what is the exact meaning of substantial number. The hon. Minister has just stated that a substantial number have gone back to Pakistan.

श्री स्वर्ण सिंह : प्रथम चरण में पाकिस्तान सेवा के निम्न वर्गो के व्यक्तियों को, जिसमें पश्चिम पाकिस्तान के व्यक्ति, केन्द्रीय कर्मचारी तथा उनके परिवार, विभाजित परिवारों के सदस्य तथा अन्त में 'हार्डशिप केसेज़' को स्वीकार करेगा। यदि प्रधानमंत्री भुट्टो ने कोई उल्लेख किया है तो वह इस लिए किया होगा कि वह सभी वर्गों के व्यक्तियों को नहीं ले रहे। हम समझौते द्वारा बन्द हैं न कि प्रधानमंत्री के इन वक्तव्यों द्वारा जोकि वह अपने देश में दे ते हैं।

जैसा कि सदन को विदित है दिल्ली समझौते के अनुसार बंगला देश के सभी पाकिस्तानियों को दो चरणों में लाया जाएगा। प्रथम चरण में वह व्यक्ति आएंगे जिनका मैंने उल्लेख किया है और दूसरे चरण में बाकी बचे लोगों की स्वदेश वापिसी के मामले को निपटाने हेतु एक विपक्षीय वार्ता होगी।

श्री ए० के० एम० इसहाक : : पाकिस्तान ने बंगला देश से अपने अन्य सभी नागरिकों को लेने से इंकार कर दिया है और वापिसी में देर कराने के लिए वह हर संभव उपाय कर रहा है क्या यह सच है कि पाकिस्तान गैर बंगालियों को अथवा पाकिस्तानियों को जानबूझकर वहां रहने दे रहा है ताकि बंगला देश में भविष्य में होने वाले किसी भी झगड़े में वह पाकिस्तान की सहायता करें।

श्री स्वर्ण सिंह : सदन इस बात से सहमत होगा कि पाकिस्तान समर्थक व्यक्तियों की इस श्रेणी की परिभाषा करना बहुत कठिन है। समझौते के अन्तर्गत पाकिस्तान राष्ट्रिक आएंगे और ऐसी आशा की जाती है जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रात्यावर्तन दो चरणों में किया जाएगा इस समय हम प्रथम चरण में हैं। दूसरे चरण में वार्ता त्रिपक्षीय होगी।

Shri Hukum Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir Question No. 72 may please be taken along with it.

Mr. Speaker : Both the questions are not the same. We will see to it when its turn comes.

श्री एच० एन० मुकर्जी : मंत्री महोदय ने स्वदेश वापिसी की प्रक्रिया के बारे में कुछ विलम्ब का उल्लेख किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह विलम्ब प्रधानमंत्री भुट्टो, उनके मित्र तथा समर्थक जैसे चीन के प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई की हाल में हुई उन 195 युद्धबन्दियों की रिहाई जिन पर कि मुकद्दमा चलाया जाना है, के बारे में हुई बात चीत के कारण तो नहीं है ? उन्होने इस मांग को बहुत आवश्यक बताया है और इसीलिए वह प्रधानमंत्री भुट्टो और शेख मुजीब की आपसी बैठक को स्थगित कर रहे हैं केवल इसी के अनुसार 1973 के समझौते के अनुसार समस्या का समाधान हो सकता है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं बंगला देश से पाकिस्तानियों के स्वदेश लौटने के प्रश्न को इन 195 युद्ध-बन्दियों के साथ नहीं जोड़ता। समझौते में यह विशिष्ट रुप से कहा गया है कि प्रथम चरण में वापिस न जा पाए पाकिस्तानियों के मामले में एक त्रिपक्षीय वार्ता होगी और उसी में इन 195 युद्धबन्दियों के सबंध में भी अंतिम निर्णय किया जाएगा। यह सच है कि बंगला देश से पाकिस्तानियों को वापिस

लौटने में कुछ विलम्ब होना है । हमने इस मामले पर बातचीत की थी और अब पिछले कुछ दिनों से बंगला देश से पाकिस्तान को लौट रहे व्यक्तियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संख्या 72 से बहुत मिलता जुलता है अत : मैं इन दोनों प्रश्नों को लेता हूं । प्रश्न संख्या 72 का उत्तर भी इसमें दे दिया जाए ।

श्री डी० एन० तिवारी : क्या यह सच है कि पाकिस्तान पहले सेना के उच्चाधिकारियों की स्वदेश वापिसी का प्रयत्न कर रहा है और सेना के निम्न वर्गों के सैनिकों की स्वदेश वापिसी का उतना ख्याल नहीं कर रहा । ऐसा हो सकता है कि जब उसकी सेना के सभी उच्चाधिकारी स्वदेश वापिस आ जाऐं, तो वह बाकी लोगों क लौटने के बारे में कुछ उलझन पैदा कर दे ।

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि सभी पाकिस्तानी व बंगाली सरकारी अधिकारियों को चाहे वह बंगला देश में हो या भारत में या पाकिस्तान में स्वदेश लौटना है और स्वदेश वापिसी का कार्य चल रहा है । माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त संदेह को भी ध्यान में रखा जाएगा ताकि विभिन्न वर्गों के लोगों की संतुलित वापिसी हो ।

श्री जी० विश्वनाथन् : श्री भुट्टो द्वारा हाल ही में आज़ाद कश्मीर में दिए गए भाषण पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है । क्या इससे युद्धबन्दियों की वापसी या पुन: और बातचीत पर कुछ असर पड़ेगा ।

श्री स्वर्ण सिंह : प्रधान मंत्री भुटो द्वारा आज़ाद कश्मीर में अपनी यात्रा के दौरान दिए गए कुछ भाषणों को सरकार ने नोट किया है । यह भाषण शिमला समझौते के अनुरुप नहीं हैं अत : हम उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्यों ?

श्री स्वर्ण सिंह : क्योंकि उनका कोई महत्व नहीं है ।

श्री जी० विश्वनाथन् : पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए भाषण की हम कैसे उपेक्षा कर सकते हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का भाषण उनके अपने लोगों को बांध सकता है हमें नहीं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप समझौते का क्रियान्वयन एक पक्षीय रुप से नहीं कर सकते ।

श्री स्वर्ण सिंह : हमने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि ऐसे भाषण न दिए जाएं क्योंकि उनका कोई लाभ नहीं । लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि यह भाषण जो कि शिमला समझौते की भावना के अनुरुप नहीं है, इन तीन वर्गों की स्वदेश वापिसी के काम में कैसे बाधक सिद्ध होते हैं । क्योंकि यह आवश्यक है कि युद्ध के परिणामस्वरुप उत्पन्न हुई मानवीय समस्याओं का निपटारा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, there was a demand in the last session for discussion on this agreement but was not discussed. A discussion should be initiated on the implementation of the agreement under Rule 193.

इस्पात के अनियमित आवंटन पर रोक लगाने वाला संगठन

*63 **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात के अनियमित आवंटन पर निगरानी रखने के लिए एक नये संगठन की स्थापना की है ;

(ख) क्या यह संगठन बम्बई की कुछ ड्रम कम्पनियों, पोश होटलों आदि को इस्पात का बहुत सा संदिग्ध आवंटन करने में शामिल हो गया है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) सम्भवत : अभिप्राय बम्बई के क्षेत्रीय लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय से है । सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय ने गलत ढंग से इस्पात का आवण्टन किया है ।

(ग) पता चला है कि किसी ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को शिकायत की है परन्तु इस मामले में सरकार को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

श्री नवल किशोर सिंह : इसमें अनुमान की कोई बात नहीं है । यह प्रश्न पूरा बम्बई की संस्था से सम्बद्ध है। उत्तर से यह बिलकुल स्पष्ट है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों से शिकायत की गई थी। उस शिकायत का ब्योरा क्या है और इस मामले की जांच कहां तक हो पाई है ।

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : यह बात 'इकानामिक टाईम्स' ने प्रकाशित एक समाचार पर आधारित है और उसी पत्र में इस समाचार का दूसरी बार खण्डन भी किया गया है । फिर भी इस मामले की चांज केन्द्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है परन्तु हमें ब्यौरे की कोई जानकारी नहीं है ।

श्री नवल किशोर सिंह : समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार स्टाक यार्ड द्वारा इस्पात की अनियमित सप्लाई को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्षेत्रीय प्राधिकार को 'मेचिंग' स्टील और 'एड-हाक' स्टील आवंटित करने का अधिकार दिया था 'मेचिंग' स्टील और 'एड-हाक' स्टील के आवंटन से क्या तात्पर्य है ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार के आवंटन से नियमित आवंटन में बाधा पड़ती है ।

श्री टी० ए० पाई : आवश्यक आंवटन करने के लिये सब प्रकार के प्रयत्न करने के बाबजूद कभी कभी शिकायतें मिलती हैं कि कम मात्रा में भी मेचिंग स्टील की आवश्यकताएं पूरी नहीं की गई । अत : जे० पी० सी० उनको कम मात्रा में पूरा करने में समर्थ है ।

श्री बंसत साठे : इस्पात के नियमित आवंटन पर नज़र रखने के लिये जो नया संगठन बनाया जा रहा हैं, उसका नाम क्या है ? इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि छोटे उद्योगकर्ताओं को इस्पात का पर्याप्त कोटा नहीं मिलता और गगनचुम्बी तथा अन्य इमारतों के निर्माण में दुरुपयोग किया जाता है, सरकार अथवा इस संगठन का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे संतुलित तथा उचित ढंग से आवंटन हो ?

श्री टी० ए० पाई : हम हर समय इस्पात की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते । लगु उद्योगों की आवश्यकताएं राज्य सरकारों के औद्योगिक विभागों की सिफारिशों पर पूरी की जाती हैं । इस के साथ ही हमने हाल ही में इन्डेंट के फार्म में संशोधन किया है जिससे हम संगणक के माध्यम से सभी साधनों से स्टाक और खपत के आंकड़ों का पता लगा सके जिससे राज्य व्यापार निगम और प्रायोजन अधिकारी भविष्य में अधिक उपयोगी यथार्थवादी ढंग से इस्पात का आवंटन कर सकें । फिर हमने इस बात को सुनिश्चित करने के लिये एक आंतरिक लेखापरीक्षा ग्रुप बनाने का भी निर्णय किया है कि इस्पात का अनुमोदित नियमों और निदेशों के अनुसार आवंटन किया जाये और प्रयोग किया जाये और क्षेत्रीय आधार पर एक खपत सम्पर्क ग्रुप बनाया जायेगा जिसमें क्षेत्रीय लोहा और इस्पात नियंत्रक संयुक्त संयंत्र समिति के प्रतिनिधि और प्रमुख उत्पादक प्रतिनिधि शामिल होंगे जिससे सरकार की प्राथमिकताओं को क्रियान्वित किया जाये और यथा सम्भव उपभोक्ताओं की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ।

श्री वसंत साठे : मैं पूछना चाहता हूं कि वह उसका दुरुपयोग अथवा गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जैसे गगनचुम्बी इमारतों में उसका उपयोग रोकने के लिये क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री टी० ए० पाई : हमने इस आशय से मांग पर अभी कोई नियंत्रण नहीं लागू किया कि खुले बाज़ार में उपलब्ध इस्पात का उपयोग गगनचुम्बी इमारतें बनाने के लिये न किया जाये । हम तभी हस्तक्षेप कर सकते हैं जब किसी प्रयोजन विशेष के लिये आवंटित इस्पात का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये किया जाये और उसके लिये न किया जाये जिसके लिये वह आवंटित किया गया था, अब हम यह जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और यदि हां, तो उन्हें किस प्रकार रोका जा सकता है । यदि माननीय सदस्य नियंत्रण करने के लिये कोई बेहतर सुझाव दे सकें, तो मैं उस पर विचार करुंगा ।

गोदी श्रमिक यूनियनों की माँगें

*64. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **श्रम** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदी श्रमिकों और नौभरकों की विभिन्न यूनियनों, एसोसियेशनों और फेडरेशनों ने अपना मांगपत्र मनवाने के लिये सरकार को हड़ताल की धमकी दी है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मागें क्या हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या पग उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) गोदी श्रमिकों के संघों से विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में हड़ताल के नोटिस प्राप्त हुए हैं । मुख्य मांग, मजूरी का 20 प्रतिशत बोनस के भुगतान से सम्बंधित है । कुछ स्थानीय मांगें भी उठाई गई हैं । ये नये वर्गों के पंजीकरण, गैंग की संख्या में वृद्धि, उपस्थिति भत्ते, छुट्टी की सुविधाओं, पदोन्नति, घुलाई भत्ते और वर्दियों की अतिरिक्त मदों को देने, आदि से सम्बन्धित हैं ।

(ग) जहां तक मजूरी का 20 प्रतिशत बोनस देने की मुख्य मांग का सम्बन्ध है, गोदी श्रमिकों को देय बोनस की दर सामान्यतः नियोजकों और गोदी श्रमिकों के बीच बातचीत द्वारा निर्धारित की जाती है क्योंकि बोनस भुगतान अधिनियम, 1965, इन श्रमिकों पर लागू नहीं होता है। जब कभी इस मामले के सम्बन्ध में कोई विवाद होता है, तो समझौता कराने के प्रयास किये जाते हैं। इस प्रकार के प्रयासों के फलस्वरूप, कुछ पत्तनों, अर्थात, कोचीन, मोर्मुगाओ, कलकत्ता और मद्रास में, 1972-73 के लिये 8.1/3 प्रतिशत से अधिक दर से बोनस के भुगतान हेतु पहले ही अंतरिम या अंतिम समझौते किये जा चुके हैं। जहां तक स्थानीय मांगों का सम्बन्ध है, इन की गोदी श्रम बोर्डों, संराधन अधिकारियों और केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच की जाती है। इस समय लंबित पड़ी स्थानीय मांगों के सम्बन्ध में भी इस कार्य-विधि को अपनाया जा रहा है।

श्रीमती सावित्री श्याम : मैंने विवरण पढ़ा है जिससे पता चलता है कि सरकार की कम वेतन पाने वाले पत्तन और गोदी श्रमिकों के प्रति सहानुभूति है। यह समस्या समझौता अधिकारियों के पास भेजी गई थी परन्तु वे इसका समाधान नहीं कर सके। क्या सरकार एक निष्पक्ष आयोग गठित करेगी जो बोनस सहित, जोकि मुख्य मामला है, प्रबन्धकों और गोदी श्रमिकों के बीच सभी विवादों की जांच करे ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि सरकार पत्तन श्रमिकों के कल्याण के लिये माननीय सदस्यों से किसी प्रकार कम चिन्तित नहीं है। हमने उनके कल्याण के लिये कई कदम उठाए हैं। एक या दो आम मांगों को छोड़कर शेष मांगे प्रत्येक पत्तन की भिन्न भिन्न हैं। अतः इस समस्या को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा हल करना अच्छा रहेगा। जहां कहीं सरकारी तंत्र उपयोगी है, हम निश्चय ही समस्या का समाधान करने के लिये उसका उपयोग करेंगे। मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि अधिकांश समस्याएं प्रसन्नतापूर्वक हल कर ली गई हैं और कुछ समस्याएं अभी हल करनी बाकी हैं।

श्रीमती सावित्री श्याम : बोनस का मामला बहुत पुरानी समस्या है। क्या सरकार और प्रबन्धक प्रधान मंत्री की अपील, देश की आर्थिक स्थिति और तटवर्ती सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का समाधान करने के लिये कोई सूत्र निर्धारित करेंगे ताकि प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच इस आशय का समझौता हो सके कि तीन वर्षों की अवधि में कोई हड़ताल, तालाबन्दी आदि नहीं होगी और न ही किसी को परेशान किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह नीति सम्बन्धी मामला है, इसको पूरक प्रश्नों में नहीं उठाया जा सकता। आप तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी यदि मंत्री महोदय उत्तर देना चाहें तो वह दे सकते हैं।

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक बोनस का प्रश्न है जिसे माननीय सदस्य ने खास तौर पर उठाया है मेरा निवेदन यह है कि यह बोनस 1965 के बोनस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता। परन्तु फिर भी अनुग्रहपूर्वक भुगतान के रूप में कई स्थानों पर बोनस दिया गया था उदाहरणार्थ कोचीन, मार्मुगाओं, कलकत्ता और मद्रास में। सम्बन्धित पक्षों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के परिणामस्वरूप बोनस का प्रश्न हल हो रहा है। इसलिये इस काम के लिये किसी आयोग की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक आम प्रश्न की बात है, हम भी मजदूर संघों से अपील करते हैं कि वे अधिक से अधिक सहयोग दें ताकि उत्पादन में बाधा न पड़े और हड़ताल किये बिना औद्योगिक शान्ति बनी रहे।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या मैं जान सकता हूं कि बोनस के भुगतान के बारे में विभिन्न पत्तनों पर किये गये समझौतों का ब्यौरा क्या है और भिन्न भिन्न पत्तनों पर एक आम प्रश्न के बारे में अलग अलग समझौते किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अब अन्य पत्तनों पर कोई और गड़बड़ नहीं होने देंगे ।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या भिन्न भिन्न पत्तनों की समस्याएं भिन्न भिन्न हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ? यदि मांग एक ही है तो समझौते भिन्न भिन्न कैसे हो सकते हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : कोचीन में जो बोनस दिया गया था, वह 8.1/3 प्रतिशत से 1.2/3 प्रतिशत अधिक था जो लगभग 10 प्रतिशत होता है । मार्मुगाओ में वर्ष 1972–73 के लिये कुल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से बोनस का भुगतान करने के बारे में पहले ही समझौता किया जा सकता है । कलकत्ता में राज्य के मुख्य मंत्री स्तर पर बातचीत हुई थी और 28-10-73 को समझौता हुआ था कि 37 दिन की औसत आय की दर से अन्तरिम बोनस का भुगतान कर दिया जाये । न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है । मद्रास में पंजीकृत और सूचियों में दर्ज गोदी श्रमिक, आकस्मिक पूल श्रमिक, माल उठाने और ले-जाने वाले श्रमिक 9-11-1973 की दूसरी पारी से हड़ताल पर थे और वे 20 प्रतिशत बोनस की मांग कर रहे थे । हमने सम्बन्धित अधिकारियों से कहा है कि वे इस मामले का निपटारा करें । इसके परिणाम स्वरूप बातचीत की गई थी जिसके फलस्वरूप पार्टियों ने दस प्रतिशत बोनस देना मान लिया और श्रमिकों ने भी उसे स्वीकार कर लिया ।

रत्नगिरि एल्यूमिनियम परियोजना

*67. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नगिरि स्थित एल्यूमीनियम परियोजना के अन्तिम प्राक्कलनों को तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्राक्कलनों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उक्त परियोजना को पूरा करने के लिये कोई समय-सूची बनाई गई है ; और यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) परियोजना की पूंजीगत लागत निम्न प्रकार आँकी गई है :–

	(करोड़ रुपयों में)
1. खनन स्थापना	2.7
2. ऐलूमिना संयंत्र	20.6
3. फाउन्ड्री और प्रोपेरजी मिल सहित प्रदावक	55.5
कुल	78.8

(ग) लागत प्राक्कलनों की मंजूरी के बाद परियोजना को 60 मास की अवधि में पूर्णतया कार्यान्वित किया जाएगा । ऐलूमिना सयंत्र को 50 महीनों में चालू किया जाएगा । प्रथम

पांटलाइन को, जिससे धातु की प्रायोजित मात्रा से आधा उत्पादन होगा, 55 महीनों में पूरा किया जाएगा और 60 महीनों में पूर्ण उत्पादन प्राप्त किये जाने की संभावना है ।

श्री शंकर राव सावंत : गत 12 वर्षों से हम संयंत्र लगाने की बात सुन रहे हैं परन्तु इस सम्बन्ध में अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है । अतः मैं विशेषकर यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत एल्यूमीनियम के कुछ अधिकारी इस संयंत्र को लगाने का समय समय पर विरोध करते रहे हैं । मैं अधिकारियों के दुराग्रह का एक उदाहरण देना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को स्वयं कारण नहीं बताने चाहियें ।

श्री शंकर राव सावंत : इसलिये मुझे बताया जाये लागत अनुमान की मंजूरी किसने देनी है और वह कब तक दी जायेगी ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : रत्नगिरी संयंत्र लगाने के बारे में सरकार के अधिकारियों ने निर्णय नहीं करना है । सरकार स्वयं निर्णय करती है । अतः माननीय सदस्य को इस बात की शंका नहीं होनी चाहिये कि योजना क्रियान्वित नहीं होगी ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : कहीं इसकी भी कोंकन रेलवे जैसी स्थिति न हो ।

श्री शंकर राव सावंत : मैं जानना चाहता हूं कि लागत अनुमानों की मंजूरी किस ने देनी है और वह कब तक दी जायेगी ।

श्री एस० एल० पेले : क्या यह बात ठीक नहीं है कि मूलतः इस परियोजना में वर्ष 1974-75 म उत्पादन आरम्भ होना था और यदि हां तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये सरकार शीघ्रता से क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

श्री टी० ए० पाई : वर्ष 1974–75 में उत्पादन होना सम्भव नहीं होगा, मूल विचार चाहे कुछ भी हो । परिवहन और मूलभूत ढांचा आदि जैसी कुछ समस्याओं का समाधान अभी करना है । बिना अन्य समस्याओं पर विचार किये जो आगे चल कर पैदा हो सकती है, संयंत्र लगाने का कोई लाभ नहीं होगा । फिर भी मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि सरकारी क्षेत्र की यह परियोजना यथाशीघ्र पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अवश्य क्रियान्वित हो जायेगी ।

प्रो० मधु दंडवते : क्या योजना आयोग ने पांचवी योजना में रत्नगिरि एल्यूमीनियम परियोजना के लिये 45 करोड़ रुपये और कोरबा एल्यूमीनियम परियोजना के लिये 90 करोड़ रुपये की राशि नियत कर दी थी और भारत एल्यूमिनियम ने अनुरोध किया था कि 135 करोड़ रुपये की समस्त राशि कोरबा परियोजना के लिये नियत कर देनी चाहिये, और क्या योजना आयोग ने ऐसे करने की अनुमति दे दी थी ?

श्री टी० ए० पाई : हमने सम्पूर्ण परियोजना के लिये 78.82 करोड़ पये की मांग की थी और यह बात ठीक है कि योजना आयोग ने रत्नगिरि परियोजना के लिये 50 करोड़ रुपये की राशि नियत करने का संकेत दिया था । परन्तु इस राशि को किसी अन्य काम पर खर्च करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

हम निश्चय ही यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना आयोग से आग्रह किया जाये कि वह इस परियोजना को पूरा करने हेतु पर्याप्त संसाधन दें क्योंकि . . .

प्रो० मधु दंडवते : आपने यह उत्तर नहीं दिया कि क्या भारत एल्यूमीनियम ने अनुरोध किया है कि 135 करोड़ रुपये का समूचा आवंटन कोरबा को दे दिया जाये।

श्री टी० ए० पाई : मैं यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि उसने अनुरोध किया है। मंत्रालय की ओर से यह सुनिश्चित करने के लिये अत्यधिक चिंता प्रकट करते रहे हैं कि यह परियोजना पूरी हो। महाराष्ट्र सरकार ने भूमि के अधिग्रहण के लिये कुछ कदम उठाये हैं और उसने स्वयं बिजली देने का वचन दिया है तथा जहां तक हमारा संबंध है, हम चाहते हैं कि रत्नगिरि का भी कोरबा जितना विकास हो।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न–संख्या 68 श्री इंद्रजीत गुप्त–उपस्थित नहीं है। श्री एस० एन० मिश्र भी उपस्थित नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, you have finished it. I want to put a supplementary question. Ratnagiri is my birth place. They are our constituents. Please allow me for a supplementary. You do not allow a single supplementary.

Mr. Speaker : I have come to know that that is your birth-place.

Shri Madhu Limaye : Please allow one or two supplementaries.

प्रो० मधु दंडवते : मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं . . .

Mr. Speaker : The other hon. Member is rising, is that birth-place of the hon. Member also ? My birth-place is India.

Shri Atal Bihari Vajpayee : That can be place of our death. Please allow us to ask questions.

Shri Madhu Limaye : May I know whether there is any scheme of setting up ancillary industries at Ratnagiri alongwith the Aluminium project or the Government will start considering over it after that project has been set up ?

श्री टी० ए० पाई : रत्नगिरि परियोजना की क्षमता प्रति वर्ष 50,000 टन एल्यूमीनियम धातु उत्पादित करने की आशा है जिसमें वृद्धि (कैप्टिव) एल्यूमिनिया और खनन सुविधाओं के साथ 25,000 टन संवाहक किस्म की तार की छड़े भी शामिल होंगी। हम निश्चय ही यह सुनिश्चित करेंगे कि सहायक उद्योगों का भी राज्य सरकार की सहायता से विकास हो और इसे पर्याप्त कच्चा माल मिले (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के जन्म-स्थान होने के कारण मैंने यह अपवाद किया है . . .

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : संविधान के अनुसार आप जन्म अथवा धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांति रखिये। अगला प्रश्न। उन्होंने इसे काफी स्पष्ट कर दिया है।

श्री धामणकर : मैं एक पूर्ण रूपेण संगत प्रश्न पूछना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : संगत प्रश्न, मानों अन्य माननीय सदस्य असंगत प्रश्न कर रहे हैं. . .

श्री धामणकर : क्या भारत एल्यूमीनियम को रत्नगिरि से किसी अन्य स्थान पर ले जाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इससे परियोजना के स्थानांतरण का भी संकेत मिलता है ?

श्री के० लकप्पा : क्या मैं संगत प्रश्न पर एक अन्तिम अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

श्री टी० ए० पाई : क्या मैं माननीय सदस्य को सूचित करूं कि उन्होंने जो कुछ पूछा है, क्या उसका विचाराधीन प्रश्न के साथ कोई ताल-मेल है ? माननीय सदस्यगण इस बारे में चिंतित हैं कि क्या पांचवी योजना में रत्नगिरि परियोजना क्रियान्वित होगी या नहीं ? यह एक सीधा सा प्रश्न है। मैं प्रतिक्षा करता हूं कि इसे पूरा किया जाये ।

युगान्डा से निष्कासित किये गये भारतीयों को क्षतिपूर्ति

*68 **श्री एस० एन० मिश्र** : †
श्री इन्द्रजीत गुप्त : } क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 सितम्बर, 1973 के 'दी इकोनामिक टाइम्स' में प्रकाशित युगांडा के राष्ट्रपति इदी अमीन के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वह युगांडा से भारतीयों के निष्कासन के समय उनके द्वारा वहां छोड़ी गई सम्पत्तियों और व्यापार आदि के लिए क्षतिपूर्ति देने के प्रश्न पर अल्जीयर्स में भारत के प्रधान मंत्री से बातचीत करेंगे;

(ख) क्या इस बारे में किसी स्तर पर कोई बातचीत हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) 6 सितम्बर, 1973 को अल्जीयर्स में राष्ट्रपति इदी अमीन प्रधान मंत्री से मिले थे। इस मुलाकात में विदेश मंत्री भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति अमीन ने अपनी सरकार द्वारा मुआवजा देने के लिये किए गए वायदे का उल्लेख किया और कहा कि निष्काषित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए उन्होंने एक कमेटी बना दी है। निष्कासित व्यक्तियों को जिन असह्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन पर तथा इस समस्या के गम्भीर मानवीय पहलू पर प्रधान मंत्री ने सरकार की गहरी चिन्ता व्यक्त की। मूल्यांकन के का : में कमेटी को भारत सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया ।

राष्ट्रपति अमीन ने कहा कि युगांडा लौटने पर वह प्रधान मंत्री को पत्र लिखेंगे जिसमें इस काम के लिए भारत के एक उच्च स्तरीय दल को आमंत्रित किया जायेगा। राष्ट्रपति अमीन का आमंत्रण-पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री एस० एन० मिश्र : मुझे कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं करना है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। अगला प्रश्न। श्री भाटिया।

गुट निर्पेक्ष राष्ट्रों की भूमिका पर संयुक्त राष्ट्र संघ में डा० किसिंगर का वक्तव्य

*69. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट निर्पेक्ष राष्ट्रों की भूमिका पर संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलते हुए डा० किसिंगर की टिप्पणी की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री श्री स्वर्ण सिंह : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार इस विचार से सहमत नहीं है कि गुट निर्पेक्ष देश अपने आप में एक गुट हैं अथवा किसी अन्य देश या देश-समूह के विरुद्ध मुकाबले की भावना से काम करते हैं ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : यह पहला अवसर है कि अमरीका सरकार या उसके विदेश मंत्रियों ने गुट-निर्पेक्ष देशों का अपमान किया हो । एक बार श्री डलेस ने भी अपशब्द इस्तेमाल किये थे । परन्तु इस बार डा० किसिंगर ने 27 सितम्बर को संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने नीति-भाषण में कहां था कि क्योंकि "ओरिजिनल ब्लाक्स" (पहले के गुटों में) तनाव कम होता जा रहा है एक नया तीसरा दल अपने आप में एक गुट का स्वरूप लेता जा रहा है । उन्होंने इस गुट की "निर्गुट देशों की गुट-बंद्धता" की संज्ञा दी थी ।

क्या मंत्री महोदय ने इस वक्तव्य पर अमरीका सरकार को अपनी अप्रसन्नता प्रकट की है अथवा कोई नोट भेजा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जब मुझे बोलने का अवसर मिला, तब अपने भाषण में मैंने भी यह स्पष्ट कर दिया कि गुट-निर्पेक्षता का अर्थ क्या है ? गुट-निर्पेक्षता किसी नये गुट की पैदावार नहीं है । हमने किसी भी समस्या को किसी देश अथवा देश-समूह के विरुद्ध तनाव की भावना रखकर हल करने का प्रयास नहीं करते । तथापि हमारा विश्वास है कि निर्गुटीय देश विश्व शांति सुरक्षा तथा प्रगति और विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ में तथा उससे बाहर दोनों ही मंचों पर सफल प्रभाव डाल सकते हैं । अतः हमें किसी के प्रति अप शब्द कहने की आवश्यकता नहीं है, हम तो यही स्पष्ट करते हैं कि गुट-निर्पेक्षता क्या है ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या मंत्री महोदय यह उचित समझते हैं कि अन्य देश गुट-निर्पेक्ष देशों से भी सलाह की जाये तथा इस संबंध में कोई संयुक्त कार्यवाही की जाये ?

श्री स्वर्ण सिंह : किसी देश के प्रतिनिधि के विचारों का खण्डन करने की कोई आवश्यकता नहीं है । संयुक्त राष्ट्र संघ में अन्य गुट-निर्पेक्ष देशों के प्रतिनिधियों ने भी वह भाषण सुना था और कुछ गुट-निर्पेक्ष देशों के प्रतिनिधियों ने तो इस संबंध में बहुत ही सुन्दर भाषण किये थे और संयुक्त राज्य अमरीका के सचिव द्वारा अपनाये गये रवैये की निर्मूलता स्पष्ट की थी । मेरे विचार से उसके विचारों को अनावश्यक महत्व देने की आवश्यकता ही नहीं है ।

श्री जी० विश्वनाथन : क्या यह सच नहीं है कि एक गुट-निर्पेक्ष देशों के प्रमुखों ने भी उन गुट-निर्पेक्ष देशों की आलोचना की थी जो किसी एक अथवा दूसरी महाशक्ति से संबद्ध हैं अथवा उसके प्रभाव में हैं ?

उदाहरणार्थ मे फनेल गोडाफी, एल्जीयर्स में हुए गुट-निर्पेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में उनकी आलोचना की थी। यह आलोचना गुट-निर्पेक्षता के विरुद्ध थी ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यह एक व्यापक प्रश्न है और मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री जी० विश्वनाथन : मैं अपने प्रश्न को पुनर्गठित करता हूं। कुछ गुट-निर्पेक्ष देशों द्वारा की गई इन टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि गुट-निर्पेक्ष देशों के सम्मेलन में कुछ देश एक अथवा दूसरी विश्व शांति के प्रभाव में हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न डा० किसिंगर द्वारा की गई टिप्पणी से सम्बन्धित है न कि गुट-निर्पेक्ष देशों की टिप्पणियों के बारे में है। यह प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ में की गई टिप्पणी के बारे में है ।

श्री जी० विश्वनाथन : एक ही बात है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं तो यह भी कहूंगा कि एक प्रकार से तो वह यह भी स्वयं ही कह रहे निर्गुट देशों का कोई गुट ही नहीं हो सकता। यह तथ्य किसी भी गुट-निर्पेक्ष देश का प्रतिनिधि अन्य किसी देश की आलोचना कर सकता है, स्वयं इस बात का सबूत है कि गुट-निर्पेक्ष देशों में कोई गुट नहीं है ।

चीन-भारत संबंध

***70. श्री पी० बेंकटासुब्बया † :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी : } क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के साथ हमारे सम्बन्धों में कुछ सुधार हुआ है;

(ख) इस दिशा में क्या प्रयास किये गये हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने बराबर यही चाहा है कि चीन के साथ उसके सम्बन्ध सामान्य हों। फिर भी अभी तक संबंधों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री पी० बेंकटासुब्बया : अपने पड़ोसियों, विशेषकर चीन से, संबंध सुधारने के लिये हमारे हर प्रयास के बाद भी, क्या चीन ने, संयुक्त राष्ट्र में अथवा अन्य कहीं भी, हमारे इन सभी प्रयासों को निष्फल बनाया है ? इस दृष्टि से क्या विदेश मंत्री जोकि अपनी अथाह धैर्यशीलता तथा कूटनीति के अत्यन्त प्रसिद्ध हैं, यह जानते हुए भी कि चीन आक्रान्ता रहा है, अन्य गुट-निर्पेक्ष देशों की सहायता से उसके साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के प्रयास जारी रखेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं उनके अनुमान में कुछ थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा। मैं यह नहीं समझता कि मित्रता पैदा करने के हमारे प्रयासों को चीन ने निष्फल बनाया है। मैं तो यह कहूंगा कि हमें अभी तक कोई बहुत अच्छा प्रयुत्तर नहीं मिला है। अतः हमारे प्रयास जारी रहने चाहियें। यह ऐसा मामला है जिस पर हमें चीन के साथ द्विपक्षीय रूप में लेना है और मेरे विचार से कोई गुट-निर्पेक्ष देश इसमें वस्तुतः सहायक सिद्ध नहीं हो सकता ।

श्री पी० बेंकटासुब्बया : इस दृष्टि से कि चीन ने हाल ही में रूस के साथ अपने रवैये में पुनरीक्षण करके जो उदारता दिखाई है . . .

एक माननीय सदस्य : कैसी उदारता ?

श्री पी० बेंकटासुब्बैया : अक्टूबर आन्दोलन दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच अच्छे सम्बन्ध न होने के बावजूद चीन चाहता है कि सोवियत रूस के साथ मित्रतापूर्ण संबंध हों। यह बात गणतंत्र चीन के राष्ट्रपति ने कही थी। इन बातों को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या चीन ने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में ऐसी पेशकश हमारे देश से भी की है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि अक्टूबर अन्दोलन की वर्षगांठ पर, चीन द्वारा सोवियत संघ को भेजा गया अन्तिम संदेश पहले ऐसे ही अन्य अवसरों पर भेजे गये सभी सन्देशों से कुछ बेहतर है। मैं समझता हूं कि चीन के साथ हमारे संबंध उसके साथ रूस के संबंधों पर आधारित नहीं है। यह एक पृथक मामला है। जहां तक हमारे अपने संबंधों का प्रश्न है, यह मामला हम दोनों देशों अर्थात हमारे और चीन के बीच का है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Communist China is the culprit for attacking us. She has captured thousands of square miles of our land. I want to know whether in the enthusiasm of improving relations with China. The Government of India would forget their resolve or pledge which they took before the Parliament that the land even up to an inch will be liberated from the enemy and that the aggressor would not be allowed to avail the benefitsof aggression. Do you apply this principle on Israel only and not on China ?

Shri Swaran Singh : We would not go back the pledge given to the Parliament.

श्री बी० एन० रेड्डी : मंत्री महोदय ने कहा है कि हम चीन के साथ अपने संबंध सामान्य करना चाहते हैं। तो विशेषकर दलाई लामा की गतिविधियों, ताईवान समस्या तथा इसी प्रकार की समस्याओं के सन्दर्भ में, जिनके कारण कुछ विवाद पड़ गया है, चीन के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने न जाने किन कारणों से, तथा राष्ट्र हित के विरुद्ध दलाई लामा की गति विधियों का इस संदर्भ में जिकर किया है। हम इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि दलाई लामा ने हमारे यहां शरण मांगी है और वह भारत में किसी प्रकार की कोई राजनैतिक गतिविधियाँ नहीं कर रहे हैं। वस्तुतः हमने दलाई लामा को भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उन्हें भारत में किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। उनके हाल ही के विदेशी दौरे के समय भी दलाई लामा ने अनेक योरुपीय देशों का दौरा किया था और हमें प्राप्त हुई सूचनाओं के आधार पर उन्होंने कहीं भी किसी प्रकार का राजनैतिक वक्तव्य नही दिया। माननीय सदस्य को ऐसी बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिये जो कि इस संबंध में चीन द्वारा कही जाती रही हैं। जब चीन किसी अन्य देश पर दोषारोपण करना चाहता है तो वह कोई न कोई बहाना तलाश कर ही लेता है। मैं विशिष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा कि दलाई-लामा के मामले में चीन द्वारा हमारे देश पर उंगुली उठाने का निश्चय ही कोई औचित्य नहीं है माननीय सदस्य को चीन प्रचार का शिकार होने से बचने का प्रयास करना चाहिये।

ताईवान के बारे में भी न जाने माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं। अन्य देश ताइवान के बारे में बहुत पहले ही अपने सिद्धान्त स्पष्ट कर चुके हैं और जब हमने लोक गणतंत्र चीन को मान्यता दी है तब से ही हमने ताइवान को चीन का एक भाग माना है और इसलिये न तो हमने दो-चीन दोनों के सिद्धांत को स्वीकारा है और न ही हम ताइवान को कोई अलग देश मानते हैं। इसलिये मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य इस संबंध में क्या विचार रख सकते हैं। जब तक कि उन्हें ताइवान के बारे में भारत के रवैये से संबंधी कोई गोपनीय जानकारी न मिली हो . . . . . (**व्यवधान**)

श्री दशरथ देव : श्रीमन, यह बड़ी आपत्तिजनक बात है। उन्होंने माननीय सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाया है।

श्री स्वर्ण सिंह : यदि आप यह कहते हैं कि यह गलत है, तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने शब्द वापस ले लिये हैं।

श्री बी० एन० रेड्डी : हमें यह जानकर खुशी होगी यदि मंत्री महोदय बतायें कि इस संदर्भ में क्या ठोस कदम उठाये गये हैं?

श्री दशरथ देव : क्या एक मंत्री किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध ऐसा कर सकते हैं? उन्होंने एक आरोप लगाया है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। यदि माननीय सदस्य ने ध्यान से सुना हो तो मैं ने यही कहा था कि "यदि उन्हें कोई गुप्त रुप से जानकारी मिली हो" यदि नहीं मिली है तो मुझे प्रसन्नता है।

श्री दशरथ देव : यह माननीय सदस्य पर इल्जाम है।

श्री स्वर्ण सिंह : अब क्यों कि वह इसका विरोध कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है। अतः यह विवाद यहीं समाप्त हो जाता है।

श्री एस० ए० शमीम : यदि कोई यह कहें कि मंत्री महोदय तो मूर्ख है--जब तक कि वह इस बात का खण्डन न करें--तो.....(**व्यवधान**) मंत्री महोदय के कथन का यही तो आशय है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने कोई आशय व्यक्त नहीं किया है। मैंने तो यही कहा था कि ताइवान के बारे में भारत की नीति के संबंध में माननीय सदस्य की आपत्ति का कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा है। यदि इस तर्क वितर्क की स्थिति में मैंने माननीय सदस्य को कोई ऐसा शब्द कह दिया है जो कि उनको पसन्द नहीं है तो मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि मैं उन पर किसी प्रकार का संदेह करता हूं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था।

श्री एच० एन० मुखर्जी : इस समाचार के संदर्भ में कि विदेश मंत्री एक वर्ष के भीतर ही भारत-चीन संबंधों में सुधार की आशा रखते हैं, और एक उनके मंत्रालय के सचिव श्री केवल सिंह ने संयुक्त राष्ट्र संघ में वहां पर चीन के राजदूत से मुलाकात की थी, क्या वह यह बता सकते हैं कि वह किस आंकड़ पर यह आशा करते हैं कि एक वर्ष की अवधि में भारत-चीन संबंध सामान्य हो जायगे तथा क्या इस दिशा में कार्यवाही के रूप में चीन में भारतीय राजदूत के नियुक्त किये जाने की संभावना है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारे विदेश सचिव की चीन के स्थायी प्रतिनिधि अथवा कि स्वयं उप-विदेश मंत्री से न्यूयार्क में भेंट को हमें कोई विशेष महत्व नहीं देना चाहिये। हमें चीन के साथ अपने संबंधों को समझना चाहिये। हमारा एक मिशन पेकिंग में है और चीन का मिशन भी दिल्ली में है। हम दिल्ली स्थित-चीनी कूटनीतियों तथा पेकिंग स्थित भारतीय कूटनीतियों के माध्यम से दोनों विदेश कार्यालयों से निरंतर सम्पर्क बनाये हुए हैं। मैंने स्वयं भी, जब मैं न्यूयार्क में था, चीनी प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख से सम्पर्क किया था और वहां उनके राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया था जो कि उनके प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख और उप-विदेश मंत्री ने आयोजित किया था। और संयुक्त राष्ट्रसंघ में ऐसे मामलों पर भारतीय तथा चीनी प्रतिनिधिमंडलों में परस्पर बड़ा सहयोग होता है जहां दोनों देशों के दृष्टिकोण एक-समान हों। उदारणार्थ, उपनिवेशवाद को समाप्त करने तथा अन्य कई मामलों के बारे में दोनों देशों के प्रतिनिधिमण्डलों के विचार समान हैं। संभव है इस वक्तव्य को कोई नाटकीय रुप दे दिया गया हो कि वर्ष 1974 में दोनों देशों के मध्य संबंधों में कुछ सुधार हो जाये। संबंधों में सुधार के लिये कोई भी निश्चित अवधि नहीं बता सकता। हां मैं अनुभव करता हूं कि संबंधों में सुधार के अवसर अधिक हैं . . . .

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या उन्होंने इस बारे में किसी ज्योतिषी से पूछा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे विचार से केवल मैं ही ऐसा व्यक्ति हूं जो कभी ज्योतिषी से बूझा नहीं कराता। वैसे विपक्ष के नेता बूझा कराने के बड़े शौक़ीन हैं और राजनीतिज्ञों में यह फैशन बढ़ता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : हमारी इस सभा में बहुत से ज्योतिषी हैं।

श्री एस० एम० बैनर्जी : जिन मंत्रियों ने ज्योतिषियों से बूझा कराई वे अपने पदों से हाथ धो बैठे।

अध्यक्ष महोदय : इस विचार से सरदार स्वर्ण सिंह का सिद्धांत सही है। उन्होंने न तो कभी बूझा कराई और न ही कभी अपना पद खोया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पैसेंजर कारों का निर्माण

*65. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पैसंजर कारों का निर्माण दुगना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो क्या इस प्रयोजन के लिये नये लाइसेन्स जारी किये जायेंगे अथवा पुराने कारखानों को उत्पादन में तेजी लाने के लिये कहा जायेगा ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) तथा (ख) देश में इस समय 46/47,000 यात्री-कारों का उत्पादन हो रहा है। प्रतिवर्ष 4,000 कार तक क्षमता का विस्तार करने के लिए एक विद्यमान निर्माता का आवेदन विचाराधीन है। दूसरे विद्यमान निर्माता

के प्रतिवर्ष 5,000 कारों तक अपना उत्पादन बढ़ाने की सम्भावना है । यात्री कारों का निर्माण करने के लिए जो आशय पत्र पंजीकरण हेतु तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए, को छोड़कर जिनकी क्षमता बाद में निर्धारित की जायेगी । इस समय वैध है, उनसे प्रतिवर्ष 1,56,000 कारों का उत्पादन होना है । इस बात की कल्पना करते हुए भी कि उसका एक अंश पांचवी योजना की अवधि में कार्यरूप में परिणत हो जायेगा, आशा है कि यात्री कारों के उत्पादन में वृद्धि होगी ।

औद्योगिक एककों द्वारा इस्पात के कोटों का दुरुपयोग

*66. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड़** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औद्योगिक एककों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध गत तीन वर्षों में इस्पात के कोटों का दुरुपयोग करने के लिए कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस्पात के कोटों के दुरुपयोग पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के क्षेत्रीय कार्यालयों ने जून 1971 से कार्य आरम्भ किया था । सितम्बर, 1973 तक की गई कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है —

1. निलम्बन के मामले	734
2. प्रायोजक प्राधिकारियों के ध्यान में लाए गए अनियमितताओं के मामले	198
3. केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गए मामले	131
4. जिन मामलों में फौजदारी कार्यवाही की गई है	6
5. ऐसे मामले जिनमें लोहा और इस्पात नियंत्रण आदेश की धारा 28(ख) के अधीन विवर्जन आदेश दिए गये हैं ।	4

(ख) इस्पात के दुरुपयोग को रोकने के लिए वर्तमान व्यवस्था की कमियों को दूर किया गया है । मार्च, 1971 में लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) आदेश में किए गए आशोधनों में यह व्यवस्था भी की गई है कि जिस काम के लिए इस्पात का आबंटन अथवा मांग की गई हो तो उससे भिन्न काम के लिए इसका इस्तेमाल आदेश का उल्लंघन माना जाएगा और इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन दंडनीय होगा । कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, दिल्ली, कानपुर तथा हैदराबाद में लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं । इस्पात के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये क्षेत्रीय कार्यालय काफी प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं । जहां आवश्यक होता है केन्द्रीय जांच ब्यूरो की भी सहायता ली जाती है ।

इस्पात के नए मूल्य

*71. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त संयंत्र समिति की वर्तमान दरों की तुलना में इस्पात के नए मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) जी, नहीं। तीन मुख्य श्रेणियों प्लेटों, संरचनात्मकों और रेलवे सामग्री के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जबकि अन्य श्रेणियों के मूल्यों में भिन्न-भिन्न राशि की वृद्धि की गई है।

Repatriation of Pakistani Prisoners of War

*72. **Shri Shankar Dayal Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai : } Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the time by which all the Pakistani Prisoners-of-War would be repatriated from India in accordance with Delhi Agreement;

(b) the names of the articles which were allowed to be taken by the Prisoners-of-War along with them and the amount of expenditure incurred thereon; and

(c) whether many Prisoners-of-War were not inclined to return to Pakistan and, if so the number thereof and the number of Prisoners-of-War still to be repatriated?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c) According to Delhi agreement, no time limit has been set to complete the repatriation of the Pakistani Prisoners-of-War from India. The progress of repatriation will depend on the simultaneity of repatriation of Bengalis from Pakistan and of non-Bengalis from Bangladesh. However, it appears that at the present rate of repatriation the process is likely to be completed in about 6 months.

2. Details of articles which have been allowed to be taken by Prisoners on repatriation are as under :—

(a) *Seriously sick and wounded prisoners of War/Civilians Under Protective Custody (lying cases only)*—

(i) Pillow ..	1
(ii) Slip pillow	1
(iii) Jacket sleeping cotton/flannel . ..	1
(iv) Trouser sleeping cotton/flannel ..	1
(v) Vest cotton	2
(vi) Drawers cotton	2
(vii) Socks worsted	1 pr.
(viii) Towel hand	2
(ix) Chapples/Shoes Canvas	1 pr.

(b) *Walking Cases*—Those prisoners, who can walk, will be allowed to carry all the items mentioned in para (a) above except serial numbers (i) and (ii).

(c) *Prisoners of War/Civilians Under Protective Custody (excluding families)*—The following items of clothing have been permitted to be taken by Prisoners-of-War/Civilians under protective custody (excluding families):—

	Officer and OR	Other Civilians
(i) Shirts cotton	2	2
(ii) Trousers drill	2 prs	2 prs
(iii) Vests cotton	2	2
(iv) Drawers cotton	2 prs.	2 prs.
(v) Socks worsted	2 prs.	2 prs.
(vi) Hat FS ..	1	1
(vii) Towel hand	1	1
(viii) Shoes canvas	1 pr.	1 pr.
(d) *Women*		
(i) Socks worsted		2 prs.
(ii) Shoes canvas/chappals		1 pr.
(iii) Towel hand		1
(iv) Vest cotton		2
(v) Drawers cotton		2 prs.
(vi) Sari, Petticoat and Blouse or Salwar, Kameez & Duppatta		2 sets.
(e) *Children*		
(i) *Girls over 12 years*		
Salwar, Kameez & Dupatta		2 sets
Socks worsted		2 pr.
Shoes Canvas/Chappals		1 pr.
Vests Cotton		2
Drawers Cotton		2 sets
Towel hand		1
(ii) *Girls under 12 years*		
Frock and underwear		2 sets
Towel hand		1
Socks worsted		2 prs.
Shoes Canvas/Chappals		1 pr.
Drawer Cotton		2 prs.
Vests Cotton		2
(iii) *Boys over 12 years*		
Short and Shirt		2 sets
Towel hand		1
Socks worsted		2 prs.
Vests cotton		2
Drawers cotton		2 prs.
Shoes canvas		1

(iv) *Boys under 12 years*

Short and Shirt	..	..	..	2 sets
Towel hand	..	..	..	1
Socks worsted	..	..	..	2 prs.
Shoes Canvas	..	..	..	1 pr.

One Jersey pullover may also accompany each Prisoner-of-War/Civilian under Protective Custody including women and children, if they are repatriated during inter season (i.e. October to March) in addition to items noted in para 2 above.

As the repatriation of Prisoners-of-War in progress, separate expenditure incurred on these articles has not been compiled so far.

3. Of the 13,268 Pakistani Prisoners-of-War repatriated upto and on 12-11-1973, there were a few who were not inclined to return to Pakistan.

60,227 Pakistani Prisoners-of-War remain still to be repatriated after 12-11-1973.

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इस्पात के भण्डार का अनुमान

*73. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन**
श्री वायलार रवि } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में इस्पात के कुल भण्डार का पता लगाने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा किये गये सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला ; और

(ख) सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही की रुप रेखा क्या है ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) इस्पात प्राथमिकता समिति ने निश्चय किया था कि विभिन्न वर्गों के इस्पात की मांग की ओर अच्छी प्रकार जांच करने के लिए यह पता लगाया जाना चाहिये कि विभिन्न मांगकर्ताओं के पास इस्पात का कितना स्टाक है। यह भी महसूस किया गया कि स्टाक के बारे में ब्यौरे एकत्र किये जाएं ताकि मु ख्य उत्पादकों के इस्पात के बेलन कार्यक्रम को फिर से तैयार किया जाए और तदनुसार आयात में घट-बढ़ की जा सके। इस कार्य के लिए संगठित किए गए अध्ययन दल ने नमूने के लिए 71 इकाइयां चुनी थीं जिन्होंने यह सूचना दी थी कि उन के पास कुल मिलाकर लगभग 7.5 लाख टन माल है। सर्वेक्षण के परिणाम प्राप्त करने के पश्चात अप्रयुक्त माल के बारे में स्थिति को ठीक करने के लिए अध्ययन दल द्वारा सुझाए गए पांच सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का निश्चय किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय दलों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है । इन दलों में लोहा और इस्पात नियंत्रक और मुख्य इस्पात उत्पादकों के वरिष्ठ प्रबन्धक होंगे जो कि महत्वपूर्ण प्रायोजनाओं की सिफारिशों के बारे में सलाह देंगे और उन की माल सूची का संचारेक्षण करेंगे। वर्तमान मालसूचियों को ध्यान में रखकर भविष्य में किए जाने वाले आवंटनों में समायोजन करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ बड़े उपभोक्ताओं द्वारा अतिरिक्त माल होने के कारण समर्पित किये गए स्टाक का फिर से आवंटन किया जा रहा है।

भारत तथा पाकिस्तान द्वारा शस्त्रों में समानुपात में कमी करने के बारे में पाकिस्तान की मांग

*74. **श्री नरेन्द्र सिंह**
श्री अर्जुन सेठी } : **क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने यह विचार व्यक्त किया है कि युद्ध बंदियों के प्रत्यावर्तन के पश्चात भारत तथा पाकिस्तान द्वारा शस्त्रों में समानुपात कमी किये जाने से भारतीय उपमहाद्वीप में स्थायी शांति स्थापित हो सकेगी ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) न्यूयार्क टाईम्स की हाल ही में दिये गए एक साक्षात्कार में बताया जाता है कि प्रधान मंत्री भुट्टो ने यह कहा था कि पाकिस्तान निकट भविष्य में भारत के साथ परस्पर शस्त्र कम किये जाने के बारे में बातचीत करना चाहेगा; साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि इस प्रकार की कमी के द्वारा दोनों देशों के बीच समता सुनिश्चित होनी चाहिए ।

(ख) भारत पर चूंकि सुरक्षा की जिम्मेदारियां कहीं अधिक हैं इसलिए अगर इस 'समता' का अभिप्राय बराबरी से है तो भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य समता का कोई सुझाव अव्यावहारिक होगा ।

सशत्र सेनाओं में भर्त्ती

*75 **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रक्षा** मंत्री 30 अगस्त, 1973 के आतारांकित प्रश्न संख्या 5079 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेना में भर्ती के मामले में विद्यमान जाति व्यवस्था के आधार पर केवल कुछ जातियों के सदस्यों को आरक्षण व प्रश्रय देने की ब्रिटिश शासन काल में चालू की की गई प्रथा के ऐतिहासिक कारणों और आधारों को समाप्त करने का है ; और

(ख) यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि सेना में भर्ती के मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने की सरकार की नीति को उचित रूप से लागू किया जाता है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) :(क) और (ख) 30-8-1973 को उत्तर दिए गये अतारांकित प्रश्न संख्या 5079 के उत्तर में जैसा पहले ही इस सभा में बताया गया है कि नौसेना अथवा वायुसेना में जाति के आधार पर गठन नहीं किया गया है। सेना में भी कतिपय रेजिमेंटों को छोड़ कर जो सेना की कुल संख्या का लगमग 40 प्रतिशत ही है, शेष में जाति के आधार पर गठन नहीं किया गया है। जाति के आधार पर गठन के सारे प्रश्न का अध्याय तथा पुनरीक्षण किया जा रहा है जिसके आधार पर भर्ती को और व्यापक बनाने तथा इस समय की अपेक्षा सम्भव सीमा तक अधिक एक रुपता लाने के लिए उपाय किए जाएंगे ताकि श्रेणी, जाति अथवा धर्म का विचार किये बिना देश के सभी भागों से व्यक्ति सेना में प्रवेश पा सकें।

छोटी कारों के निर्माण के लिए दिए गए आशय पत्रों पर विचार करने के लिए समिति

*76. **श्री ज्योतिर्मय बसु**
श्री वीरभद्र सिंह } : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने छोटी कारों के निर्माण के लिए प्राइवेट पार्टियों को दिए गए आशय पत्रों की प्रगति पर विचार करने के लिए तीन सदस्यीय तकनीकि समिति की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो उन प्राइवेट पार्टियों के नाम क्या हैं जिनको ऐसे आशय पत्र जारी किए गए हैं तथा ये आशय-पत्र कब जारी किये गये थे ;

(ग) किस मामले में आशय पत्र की अवधि बढ़ाई गई है और प्रत्येक मामले में कितनी बार अवधि बढ़ाई गई थी ; और

(घ) तकनीकि समिति के निर्देश पद क्या हैं और यह सरकार को अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जानकारी निम्न प्रकार है :—

पार्टी का नाम	आशय-पत्र जारी करने का दिनांक	कितनी बार अवधि बढ़ाई गई और आशय-पत्र की वैदयता की अवधि
1. मैं० मारुती लिमिटेड, गुड़गांव	30-9-1970	तीन 31-12-1973
2. श्री मनुभाई एच ठक्कर, पार्टनर, अश्विन इंडस्ट्रीज सामलाया, जि० बड़ौदा, (गुजरात) ।	1-11-1971	एक 31-12-1973
3. मैं० एलाइड इंजीनियरिंग कारपोरेशन, सलेम ।	23-12-1971	दो 31-3-1974
4. श्री सोम प्रकाश रेखी, मैं० जेटा इंडिया, दिल्ली ।	11-2-1972	एक 10-8-1974
5. श्रीमति सुलोचना सिंह, कानपुर ।	28-8-1972	कोई नहीं 21-2-1974
6. मैं० स्पीडक्राफ्टस प्रा० लि०, पटना	20-1-1971	तीन 13-1-1974
7. मैं० एयर टेक प्रा० लि०, नई दिल्ली ।	14-1-1972	दो 13-1-1974

पार्टी का नाम	आशय-पत्र जारी करने का दिनांक	कितनी बार अवधि बढ़ाई गई और आशय-पत्र की वैधता की अवधि
8. मै० आनन्द जी हरिदास एण्ड कंपनी प्रा० लि०, बम्बई ।	14-1-1972	दो 13 1-1974
9. श्री एस० चन्द्रा, नई दिल्ली ।	13-7-1972	एक 10-1-1974
10. मै० इंडिया आटोमोबाइल (1960) लिमिटेड, कलकत्ता ।	2-12-1972	कोई नहीं 1-12-1973
11. मै० सोना आटोमोबाईल इंडस्ट्रीज लि० इंदौर ।	11-7-1973	कोई नहीं 10-7-1974

(घ) दिनांक 3-10-1973 को नियुक्त की गई समिति के विचारार्थ विषयों की समीक्षा करना है :—

1. आशय-पत्र धारियों द्वारा आद्य रुपों के निर्माण में की गई प्रगति ;
2. आशय-पत्र में दी गई क्षमता तक कार निर्माण करने की पार्टी की सक्षमता; और
3. उपर्युक्त भाग (1) और (2) को ध्यान में रखते हुए इच्छुक निर्माताओं को औद्योगिक लाईसेंस/पंजीयन प्रमाण-पत्र देने की संभाव्यता के बारे मे सिफारिश करना ।

समिति से अपना प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ।

तीन पहियों वाले स्कूटरों तथा मोटर साइकिलों की मांग को पूरा करने के लिए कार्यवाही

*78. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन पहिए वाले स्कूटरों तथा मोटर साइकिलों की मांग में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार पांचवी योजना की अवधि में इस मांग को पूर्णतः री कर सकेगी ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, हां ।

(ख) कुछ विद्यमान निर्माताओं को अपनी समता बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है और बहुत सी नई पार्टीयों को आशय-पत्र जारी कर दिये गये हैं ।

(ग) जी हां ।

सभी कोयला खानों के प्रबन्ध को सरकारी नियंत्रण में लेना

*80. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी खानों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी मुख्य रुप-रेखा क्या है ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) गैर सरकारी इस्पात संयंत्रों, अर्थात टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी और इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी की ग्रहीत खानों को छोड़ कर सभी कोयला खानों का प्रबन्ध सरकार ने पहले ही अपने हाथ में ले लिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के कुछ निदेशकों द्वारा त्याग-पत्र

603. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या स्कूटर्स इंडिया लि० के कुछ निर्देशकों ने त्याग पत्र दे दिए है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निदेशकों के नाम और संख्या क्या है तथा उन्होंने किन कारणों से त्याग पत्र दिये हैं ;

(ग) क्या वे कंपनियों, जिनका ये निर्देशक प्रतिनिधित्व करते थे, स्कूटर्स इंडिया लि० द्वारा स्कूटरों के उत्पादन प्रबन्ध में अब सहयोग देना बन्द कर देंगी और क्या इससे तकनीकि जानकारी को धक्का पहुंचेगा और स्कूर्टस इंडिया लि० की कार्य-प्रगति में बाधा पड़ेगी ; और

(घ) स्कूटरों के उत्पादन पर प्रभाव न पड़ने की सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सर्व श्री एम० ए० चिदम्बराम और सी० बी० सरन, दो निर्देशकों को जिनका नामांकन इक्विटी में भाग लेने के आधार पर किया गया था, बोर्ड से हटा दिया गया है, क्योंकि उन्होंने एकक के निमार्ण और तकनीकी प्रबंध के बारे में बोर्ड के फैसले को नहीं माना था ।

(ग) बोर्ड में जिस कंपनी का वे प्रतिनिधित्व करते थे, उसका सहयोग बन्द होने की आशा है, लेकिन इसका कोई प्रभाव स्कूटर्स इण्डिया लि० के कार्य पर नहीं पड़ेगा ।

(घ) चूंकि इस प्रकार की सहायता से उत्पादन संगठन का गठन नही किया गया था इसलिए इसको पूरा करने के लिये कोई विशेष कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है।

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा स्कूटर्स का निर्माण

604. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त 1974 से स्कूटरों की सार्वजनिक बिक्री हेतु बाजार में लाने के प्रबन्ध कर लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो भारत में प्रत्येक स्कूटर का मूल्य क्या होगा और देश में खुली खरीद के लिए कितने स्कूटर उपलब्ध होंगें तथा कितनी संख्या में उनका निर्यात किया जायेगा ;

(ग) क्या विभिन्न राज्य औद्योगिक विकास निगमों ने, जिन्हें लखनऊ में निर्मित मशीनों तथा उपकरणों से स्कूटर निर्मित करने में अभी तक स्कूटर्स इंडिया लि० से अपने-अपने करार को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ; और यदि हां तो इस संदर्भ में क्या सरकार अपनी निर्धारित समय-अवधि को बनाये रख सकेगी; और

(घ) विभिन्न राज्य ऐजन्सियों द्वारा निर्मित स्कूटरों की किस्मों पर कोई केन्द्रीकृत नियंत्रण रखने के लिए क्या प्रबंध किये गये हैं।

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जब प्रतिवर्ष 100,000 स्कूटरों की पूरी क्षमता प्राप्त हो जायेगी तो 10,000 स्कूटर निर्यात हेतु निर्धारित किए जायेंगे। भारत में इस प्रकार के स्कूटरों का बाज़ार मूल्य अभी अंतिम रुप से तय किया जाना है।

(ग) मैसर्स हैदराबाद आल्विन मेटल वर्क्स लिमिटेड (आंध्र प्रदेश सरकार का उपक्रम) के साथ एक करार पर पहले ही हस्ताक्षर किया गया है। पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम और केरल सरकार द्वारा प्रायोजित औद्योगिक सरकारी समिति एन्कोस के साथ करारों पर शीघ्र ही हस्ताक्षर होने की आशा है। ये करार अतिरिक्त स्कूटरों के लिए निर्माणकारी तथा संयोजन सुविधाएं स्थापित करने के लिए और इनसे स्कूटर्स इण्डिया लि० की लखनऊ में अपने संयत्र में स्कूटरों का उत्पादन प्रारम्भ करने की योजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(घ) लखनऊ में तथा विभिन्न लाइसेंसधारियों द्वारा बनाए गए स्कूटर एक सामान्य व्यापार नाम से सामान्य विपणन तथा मूल्य नीति के अन्तर्गत बेचे जाते हैं। किस्म का एक समान स्तर बनाये रखनें के विषय में लाईसेंसधारियों के साथ प्रस्तावित करारों के अन्तर्गत स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड को अधिकार प्राप्त है।

सीमेन्ट मजदूरों की मजूरी में वृद्धि

605. श्री एम० कल्यामुत्तु : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सीमट मजदूरों की मजूरी में वृद्धि की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) जी हां, इस विषय पर केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा दिए गए पंचाट की एक प्रति संलग्न है। **(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5696/73)**

उपदान न्यास की स्थापना

606. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक उपदान न्यास स्थापित करने की मांग की जांच करने के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यकारी दल के प्रतिवेदन की मुख्य रूप रेखा क्या है; और

(ग) सरकार ने इसकी कितनी सिफारिशें स्वीकार की हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :(क) मामले की जांच करने के लिए एक कार्यकारी ग्रुप नियुक्त किया गया था।

(ख) ग्रुप ने, लघु और मध्यम आकार के नियोजकों को छोड कर, ऐसे नियोजकों द्वारा न्यास निधियां स्थापित किए जाने की सिफारिश की है जिन से जीवन बीमा निगम के साथा बीमे की किसी योजना में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जानी चाहिए।

(ग) कार्यकारी ग्रुप की रिपोर्ट की जांच की जा रही है। यह श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के सामने, जो 24 नवम्बर, 1973 को होना नियत है, विचारार्थ पेश होगी।

1965 के युद्ध में अतिगोपनीय योजना का भेद खुलना

607. **श्री वरके जार्ज** : क्या **रक्षा** मंत्री 1965 के युद्ध में अतिगोपनीय योजना के भेद खुल जाने के बारे में 26 अप्रैल, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 862 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ 1965 में हुए युद्ध के बारे में पत्रकार को गोपनीय जानकारी प्राप्त हो जाने के बारे में जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) इस मामले में जांच-पड़ताल की जा रही है।

भारतीय युद्धपोतों के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने के लिए इन्डोनेशिया सरकार की ओर से अनुरोध

608. **श्री वरके जार्ज** : क्या **रक्षा** मंत्री भारतीय युद्धपोतों के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने के लिए इन्डोनेशिया सरकार से प्राप्त अनुरोध के बारे में 5 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6131 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे अभ्यास के लिए तारीख तथा स्थान आदि का तथा भारतीय तथा इन्डोनेशियाई नौसैनाओं के बीच होने वाले संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने वाले युद्धपोतों के बारे में अन्तिम रुप से निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख 12 जून 1973 को इन्डोनेशियन समुद्र में भारतीय नौसेना जहाज नीलगिरी तथा इन्डोनेशियन नौसेना के जहाज लामग्रग मांगखूह के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया गया था ।

श्रीनगर में बाडगांव के निकट मिग-21 विमान का दुघटनाग्रस्त होना

609. **श्री वरके जार्ज** : क्या **रक्षा** मंत्री श्रीनगर में वडगाम के निकट मिग-21 विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बारे में 12 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6963 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अदालती जाँच की कार्यवाही पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन ।

(ख) जांच अदालत की कार्यवाही गोपनीय है । अतः उसकी रूप रेखा को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा ।

दो तरह की इस्पात मूल्य नीति

610. **श्री भागीरथ भंवर**
श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने दो तरह की इस्पात मूल्य नीति स्वीकार कर ली है जिसके अधीन वरीयता प्राप्त उद्योगों को इस्पात निश्चित दरों पर दिया जायेगा और उद्योगों के लिए इस्पात मल्यों का निर्धारण भारतीय इस्पात प्राधिकरण तथा संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा किया जायगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधीं मुख्य बात क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :(क) और (ख) संयुक्त संयंत्र समिति ने इस्पात के नए मूल्यों की घोषणा कर दी है ; घोषणा की मुख्य बातें ये हैं :---

(1) शेष प्लेटों, संरचनात्मकों तथा रेलवे सामग्री की तीन मुख्य श्रणियों को, जिनका उपयोग मुख्य रूप से राज्य तथा केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र तथा मल उद्योगों द्वारा किया जाता हैं, के मूल्यों में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा ।

(2) अन्य किस्मों के इस्पात के मूल्यों में भिन्न-भिन्न दरों से वृद्धि की गई है ।

(3) ये मूल्य 14–15 अक्तूबर 1973 की अर्धरात्री से लागू किये गये हैं।

(4) इंजीनियरी माल के निर्यातकों के हितों की रक्षा की गई है।

Indian Air Force Aeroplane Accident near Poona

611. Shri Bhagirath Bhanwar: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether an aeroplane of the Indian Air Force met with an accident near Poona on the 24th September, 1973 and a labourer was killed on the spot as a result thereof;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the steps taken to check such incidents in future; and

(d) the amount of loss suffered as a result of this accident?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) Yes, Sir.

(b) The proceedings of the Court of Inquiry have not yet been finalised.

(c) Based on findings of the Court of Inquiry, necessary remedial action will be taken.

(d) The total loss is estimated at Rs. 62,11,600·00.

Statement by Shri Bhutto regarding Disputes in Indo-Pak Sub-Continent

612. Shri Bhagirath Bhanwar: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Mr. Z.A. Bhutto, Prime Minister of Pakistan, stated in New York that the disputes in the Indo-Pak subcontinent had not yet ended;

(b) whether Pakistan has also branded India as an aggressor; and

(c) if so, whether the Government of India have conveyed their reaction in this regard under the Simla Agreement?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) & (b) Government have seen press reports to this effect.

(c) While Government did not consider it necessary to formally address the Government of Pakistan, any allegation of aggression by India is contrary to well established facts.

As regards the unresolved issues, the Governments of India and Pakistan are committed to settle all problems peacefully and bilaterally in terms of the Simla Agreement.

इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा इस्पात का आवंटन

613. **श्री वयालार रवि :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा इस्पात का कुल कितना आवंटन किया गया और उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस्पात की वितरण प्रणाली को युक्ति संगत बनाने का है और यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) अक्तूबर-दिसंबर 1970 से नई वितरण नीति लागू करने के बाद से पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान इस्पात प्राथमिकता समिति ने कुल 44,65,286 टन इस्पात का आवटंन किया है । वर्षवार आवटंन इस प्रकार है :–

	टन
1970–71 (अक्तूबर-दिसम्बर 1970)	8,11,919
1971–72	17,12,389
1972–73	19,40,978

(ख) इस्पात वितरण प्रणाली की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है परिवर्तन कर दिये जाते हैं । इस्पात वितरण प्रणाली के बारे में विभागीय अध्ययन दल की सिफारिशों का एक वितरण संलग्न है । (**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये सख्या एल० टी० 5697/73**) इन सिफ़ारिशों को सरकार ने हाल ही में स्वीकार किया है और इनको कार्यान्वित किया जा रहा है ।

दामोदर घाटी निगम से बिजली प्राप्त करने वाले इस्पात संयंत्रों में उत्पादन

614. **श्री वयालार रवि :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम से बिजली प्राप्त करने वाले इस्पात संयंत्रों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन बिजली संयंत्रों में बार बार यांत्रिक खराबी होने के कारण इस्पात के उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस्पात मंत्रालय ने दामोदर घाटी निगम के प्रशासनिक नियंत्रण को हस्ताक्षरित करके अपने अधीन लाने की मांग की है और यदि हां तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) 1. दुर्गापुर इस्पात कारखाना, दुर्गापुर

2. टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि० का जमशेदपुर स्थित इस्पात कारखाना

3. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि० का वर्नपुर स्थित इस्पात कारखाना

4. बोकारो इस्पात कारखाना

5. मिश्र-इस्पात कारखाना, दुर्गापुर

(ख) बार बार बिजली की कटौती के कारण इन सभी कारखानों में इस्पात के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। बोकारों में इस्पात का उत्पादन अभी आरम्भ नहीं हुआ है। केवल कच्चे लोहे का उत्पादन हो रहा है। यह अनुमान लगाया गया है कि इन कारखानों तथा झरिया कोकिंग कोयला खानों तथा शोधनशालाओं को बिजली की सप्लाई में सीधी कमी के कारण विक्रेय इस्पात के उत्पादन में हुई हानि इस प्रकार है :–

दुर्गापुर इस्पात कारखाना	44,736 टन (सितम्बर, 1973 तक)
टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि०	172,930 टन (अक्तूबर, 1973 तक)
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि०	20,704 टन (अगस्त, 1973 तक)
मिश्र-इस्पात कारखाना, दुर्गापुर	5,947 टन (अक्तबर, 1973 तक)

(ग) जी, नहीं।

कर्मचारी भविष्य निधि—स्टाक फेडरेशन की मांगों को पूरा करना

615. **श्री वायलार रवि** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि-स्टाफ फेडरेशन की मांगों क बारे में समझौता करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या फेडरेशन ने यह धमकी दी थी कि यदि उनकी मांगें न मानी गई तो वे हड़ताल कर देंगे; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में उचित समझौता करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :–

(क) गत एक वर्ष के दौरान फेडरेशन की अनेक मांगें पूरी की गई हैं वेतन मानों के संशोधन के सम्बन्ध में फेडरेशन की मुख्य मांग केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, द्वारा नियुक्त की गई एक उप-समिति के विचाराधीन है।

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने मामले के सम्बन्ध में फेडरेशन के महासचिव से विचार-विमर्श किया और मांगों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने फेडरेशन से सीधी कार्यवाही का मार्ग त्याग देने की भी अपील की। श्रम मंत्री भी फेडरेशन के अध्यक्ष और महा-सचिव से मिले जब कि कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष और केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उपस्थित थे। इन मामलों पर सविस्तार विचार-विमर्श किया गया और श्रम मंत्री ने भी उनसे संकल्पित सीधी कार्यवाही को त्यागने का अनुरोध किया।

राजस्थान के लिए छोटा इस्पात संयंत्र

616. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में और अधिक संख्या में छोटे इस्पात संयंत्र स्थापित करने की ओर ध्यान दिया है तथा क्या इसके लिये अपेक्षित सभी सामग्री (इन्फ्रास्ट्रक्चर) उपलब्ध है, और यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन आरम्भ कर दिया गया है तथा वह कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ख) क्या राजस्थान को एक छोटा इस्पात संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी जायेगी जिनके लिये राज्य में तथा पड़ौसी राज्य मध्य प्रदेश में प्रर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में काफी संख्या में विद्युत आर्क भट्टियां स्थापित की गई हैं। पूंजी लगाने से पहले अवस्थापन सुविधाओं की उपलब्धि के बारे में अपनी तसल्ली करना उद्यमकर्त्ताओं का काम है। हाल में इस विभाग ने रद्दी लोहे की उपलब्धि के बारे में एक अध्ययन किया था जिससे पता चला है कि तेजी से बढ़ते हुए विद्यत आर्क भट्टी उद्योग के लिये देश में रद्दी लोहे की उपलब्धि पर्याप्त नहीं होगी।

(ख) राजस्थान राज्य औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम को प्रतिवर्ष 50,000 टन बिलेट के उत्पादन के लिये एक विद्युत भट्टी एंवम लगातार ढुलाई कारखाने की स्थापना के लिये आशय-पत्र पहले ही दिया जा चुका है।

कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी

617. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजरी निश्चित करने का है ;

(ख) देश में इस समय उनकी मजूरी कितनी है;

(ग) इसका लाभ कितने मजदूरों को मिलता है; और

(घ) देश में कृषि श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) कृषि-श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजरी, न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने कार्य क्षेत्रों में पहले ही निर्धारित कर दी गई हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने, अपनी 'उचित सराकर' की हैसियत में, अगस्त, 1973 में कृषि में नियोजन के लिये अकुशल श्रमिकों के लिये, क्षेत्रानुसार, 3.50 रुपये से 5.15 रुपये तक प्रतिदिन की न्यूनतन मजरी अधिसूचित की है। राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की गई मजूरियों के सम्बन्ध में नवीनतम सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) उपलब्ध सूचना, श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा प्रकाशित 'भारतीय श्रम आंकड़े, 1973' नामक प्रकाशन की तालिका 1.3 पृष्ठ 6 में प्रकाशित हुई है ।

भारत में ऊर्जा सप्लाई के लिए 'सोलवैंट रिफाइंड कोल' तैयार किया जाना

618. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वाशिंगटन में तैयार किये गये 'सोलवेंट रिफाइंड कोल' नामक अपेक्षाकृत दूषणयुक्त उस कोयला उत्पाद की जानकारी है जिसका विश्व में ऊर्जा सप्लाई के ढांचे पर भारी प्रभाव पड़ सकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत में एम० आर० सी० बनाने की अनुमति देने अथवा स्वयं यह कार्य आरम्भ करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों में कोयला द्वाचक पदार्थ खोज निकालने के बारे में प्रगति हुई है । भारत में केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था का इलैक्ट्रोड कोक के उत्पादन के लिये एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित करने और अपनी पेटेंटशुदा समान प्रक्रिया द्वारा पिंच वाइंडर के लिये स्थापनापन्न खोज निकालने का प्रस्ताव है ।

नैवेली परियोजना के कार्यक्रम का विस्तार

619. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र को यह आश्वासन दिया है कि यदि केन्द्र ने नैवेली परियोजना के कार्यक्रम के विस्तार को स्वीकार कर लिया तो वह नैवेली तापीय विद्युत केन्द्र में प्रभावित बिजली के लिये ऊंचे मूल्य देकर नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को होने वाली हानि को पूरा कर देगी ;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समझौता हुआ है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Discontinuance of Manufacturers Quota of Scooters/Cars

620. Shri G.P. Yadav: Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state:

(a) whether Government have discontinued the manufacturer's quota of scooters and cars; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh): (a) Yes, Sir.

(b) The reason is to maximize availability of these vehicles production of which is limited, to the general public and for priority uses.

Manufacture of Scooters by U.P. Scooters Limited, Unnao (Kanpur)

621. Shri G.P. Yadav : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state:

(a) whether Government have already issued a licence to M/s. U.P. Scooters Limited, Unnao (Kanpur) for manufacturing scooters; and

(b) if so, the time by which their scooter will be available for sale in the market and the price thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh): (a) Yes, Sir.

(b) By January, 1974. The ex-factory retail selling price including dealer's commission has been estimated at Rs. 3,720 per scooter.

एल्यूमीनियम के मूल्यों को पुनरीक्षित करने में विलम्ब

622. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम् :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अक्तूबर, 1973 के 'हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड' में 'एल्यूमीनियम के मूल्यों के पुनरीक्षण में विलम्ब पर चिन्ता' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) इस वर्ष विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा ऐल्यूमिनियम उद्योग पर लागू की गई बिजली में भारी कटौती के कारण ऐल्यूमिनियम के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । 1973–74 के दौरान 200,000 टन के प्रारम्भिक अनुमानों की अपेक्षा अब अनुमान लगाया गया है कि 1973–74 के दौरान लगभग 140/150,000 टन का उत्पादन होगा । धातु उत्पादन में गिरावट का उपभोक्ता उद्योग को उपलब्ध होने वाली धातु पर प्रभाव पड़ा है । उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अभाव की स्थिति को दूर करने के लिये सरकार द्वारा समय समय पर सभी सम्भव उपाय किये जाते रहे हैं ।

इस समय औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा ऐलूमीनियम और उसके उत्पादों की उत्पादन लागत की समीक्षा की जा रही है और बिक्री-मूल्य के सम्बन्ध में उनकी अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के कार्यालय में नए पदों का बनाया जाना

623. **श्री मधु लिमिये** : क्या **पूर्ति तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति विभाग के पूर्ति और निपटान निदेशालय द्वारा नए उपयोगहीन पद बनाकर जनता के धन का दुरुपयोग किया जाना जारी है;

(ख) क्या पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को सुव्यवस्थित करने के लिये आफीसर आन स्पेशल डयूटी का एक नया पद बनाए जाने की मांग की गई थी;

(ग) क्या ब्रिटेन स्थित सप्लाई मिशन में महानिदेशक का एक नया पद बना जाने की मांग की गई है;

(घ) क्या इन दो पदों के बनाए जाने पर रोक लगाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह कदम न उठाये जाने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं । इस आरोप का कोई आधार नहीं है ।

(ख) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के कार्यों को गतिमान करने तथा नियमों, विनियम और कार्यविधि को सरल करने के लिये पूर्ति विभाग में, 18 अगस्त, 1973 से 6 महीने की अवधि के लिये 1100--1800 रु० के वेतनमान में विशेष कार्य अधिकारी का एक अस्थायी पद बनाया गया है ।

(ग) भारत पूर्ति मिशन, लन्दन में पहले से ही महानिदेशक का पद है इसलिये उक्त पद बनाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न के इस भाग का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है । विभाग के कार्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप पद बनाए जाते हैं । दोनों पदों के संबंध में जानकारी उपर्युक्त भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर में दी जा चुकी है ।

Place for Hindi in U.N.O.

624. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether India has so far taken any steps to secure a place for Hindi in the United Nations; and

(b) if so, the nature thereof?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) & (b) No, Sir. It is difficult to get any new languages included among the official languages of the U.N. Any addition to the list of official and working languages of the U.N. General Assembly will require an amendment of the Rules of Procedure supported by a majority of the members present and voting. It is not considered likely that the majority would favour introducing any changes in this regard at present.

Production of Scooters

625. Shri Shankar Dayal Singh: Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state:

(a) the number of scooter factories in the country at present;

(b) the break-up of annual production of scooters in the various factories; and

(c) whether scooters manufactured in India are exported to foreign countries?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh): (a) & (b) At present there are four manufacturers of scooters in the country. Their names and the production of scooters annually in 1972 and 1973 (upto September) are as under :

Name	Production (in Nos.)	
	1972	1973 (upto September)
M/s. Automobile Products of India Ltd., Bombay	20,851	18,614
M/s. Bajaj Auto Ltd., Poona	40,332	38,755
M/s. Escorts Ltd., Faridabad	3,468	2,531
M/s. Enfield India Ltd., Madras	80	Nil
Total ..	64,731	59,900

(c) Export of scooters from out of the country is very negligible in number.

अलवर में स्कूटर बनाने वाले कारखाने की स्थापना में प्रगति

626. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परियोजना के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अलवर (राजस्थान) में स्कूटर बनाने वाले कारखाने की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) कारखाने में कब तक उत्पादन आरम्भ होने की संभावना है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) :(क) "दि अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड" के नाम तथा ढंग के अन्तर्गत एक नई कंपनी बनाई गई है । अलवर में भूमि का अधिग्रहरण कर लिया गया है । भूमि का विकास पूरा कर दिया गया है और कारखाने के भवन का निर्माण कार्य हो रहा है । देशी मशीनों के लिये आर्डर दे दिये गये हैं । बनाये जाने वाले स्कूटर के आद्यरूप का परीक्षण कर लिया गया है और वह सड़क पर चलने योग्य पाया गया है । पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने के लिये एक आवेदन सरकार के विचाराधीन है । इस पर निर्णय लिये जाने के पश्चात औद्योगिक लाइसेंस जारी किया जायेगा ।

(ख) आद्यरूप स्कूटर परीक्षण के लिये जून, 1972 में गाड़ी अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान अहमदनगर के पास भेजा गया था । चूंकि परीक्षण के दौरान गाड़ी में कुछ बड़ी खराबियां पाई गई थीं इसलिये खराबियां ठीक करने के पश्चात 29–1–73 को यह पुनः भेजा गया था । इससे गाड़ी अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान अहमदनगर द्वारा आद्यरूप स्वीकार करने में विलब हुआ ।

(ग) इस अवस्था में पहले ही यह बता देना सम्भव नहीं है कि वाणिज्यिक उत्पादन कब प्रारम्भ होगा ।

Industrial Training Institutes in States

627. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) the number of Industrial Training Institutes in the country, State-wise;

(b) the number of students trained in these Institutes during the last three years; and

(c) the number out of the trained students absorbed in Government or private industrial institutions?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Bal Govind Verma): (a) A statement showing the number of Industrial Training Institutes is attached.

(b) A statement is attached.

(c) The only available information relates to the number of Craftsmen placed in jobs by the Employment Exchanges and has been incorporated in the statement given in reply to part (b) of the Question.

Statement

State-wise position of Industrial Training Institutes

Serial No.	State	Number as on 31-7-73
1	Andhra Pradesh	21
2	Assam	8
3	Bihar	29
4	Gujarat	18
5	Haryana	17
6	Himachal Pradesh	7
7	Jammu and Kashmir	7
8	Kerala	10
9	Madhya Pradesh	23
10	Maharashtra	32
11	Manipur	1
12	Meghalaya	1
13	Karnataka	14
14	Nagaland	1
15	Orissa	10
16	Punjab	29
17	Rajasthan	15
18	Tamilnadu	32
19	Tripura	2
20	Uttar Pradesh	50
21	West Bengal	17
22	Arunachal Pradesh	1
23	Chandigarh	2
24	Delhi	7
25	Goa	1
26	Mizoram	1
27	Pondicherry	1
	All India Total ..	357

Statement

Statement showing the number of Craftsmen who passed out under Craftsmen Training Scheme and number of Craftsmen placed by the Employment Exchanges during the year ended July, 1970, 1971 and 1972.

Period	No. of Craftsmen passed out under C.T. Scheme	No. of Craftsmen placed by the Employment Exchanges*
1	2	3
August 1969 to July, 1970 ..	53,614	9,751
August 1970 to July, 1971	56,163	10,579
August 1971 to July, 1972	64,058	14,490

*The Craftsmen placed in employment are not necessarily out of those who passed out in each year.

Industrial Training Institute, in M.P.

628. Shri Nathu Ram Ahirwar: Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have invited proposals from Madhya Pradesh for opening an Industrial Training Institute;

(b) if so the names of the Districts where such Institutes are proposed to be opened;

(c) whether machinery worth lakhs of rupees is lying idle due to non-introduction of practical training in the District where technical Institutes have been opened; and

(d) whether Government propose to give priority in the matter of setting up I.T.I. Centres there?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Bal Govind Verma): (a) to (d) The administrative and financial control in respect of Industrial Training Institutes rests with the State Governments. The Government of India has, therefore, no information available in respect of the points raised in the Question.

आय, मूल्यों को स्थिर करने तथा मजूरी-प्रतिबन्ध के बारे में रक्षा मंत्री का वक्तव्य

629. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 सितम्बर, 1973 को बम्बई में रक्षा मंत्री द्वारा कथित रूप से की गई इस टिप्पणी की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि अन्य मूल्यों तथा मजूरी पर प्रतिबन्ध लगा देना संभव नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि अभी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Models of Small Car

630. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to State :

(a) Whether some persons in India have tried to design a small car ;

(b) if so, the number of such persons; and

(c) whether Government are considering their proposals ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a) to (c) 12 persons had submitted proposals for manufacturing cars of their own design. All of them had been granted letters of intent. The present position is that one prototype is under test at the Vehicles Research and Development Establishment. In other cases the development of prototypes is at different stages.

पालामऊ, बिहार में एलूमीनियम उद्योग

631. **कुमारी कमल कुमारी** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के पालामऊ जिले में एल्यूमीनियम उद्योग शुरू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) और (ख) बिहार के रांची-पलामू जिले के पूर्ण स्वामित्व वाले क्षेत्र में बाक्साइट निदेषों पर आधारित एलूमिनियम उद्योग स्थापित करने के बारे में बिहार का राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा तैयार की गई साध्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई है । साध्यता रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

Expenditure on Pakistani POWs

632. Dr. Govind Das Richhariya:
Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the amount of expenditure incurred so far on the Pakistani Prisoners of War, head-wise and month-wise; and

(b) the steps being taken by Government to recover this amount from the Pakistan Government under the Geneva Convention ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) A statement is attached (*Placed in Library. See No. L.T. 5698/73*)

(b) Under the Geneva Conventions the expenditure incurred by the Government of India on advance of pay given to the Pakistani Prisoners of War is reimbursable. The question of its re-imbursement has been taken up with the Government of Pakistan.

चाय उद्योगों में अधिक लोगों को रोजगार दिए जाने की गुंजाइश

633. श्री झारखण्डे राय : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रत्येक राज्य में काम करने वाले मजदूरों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या चाय उद्योग में और अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने की गुंजाइश है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कोई योजना विचाराधीन है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) बागान का अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत विवरणियां भेजने वाले चाय बागान और उनमें औसत दैनिक नियोजित व्यक्तियों की संख्या वर्ष 1971 के दौरान इस प्रकार है :–

राज्य का नाम	विवरणियां भेजने वाले विभिन्न बागान की संख्या	नियोजित श्रमिकों का दैनिक औसत
(1)	(2)	(3)
असम	546	3,91,564
बिहार	12	425
हिमाचल प्रदेश	15	645
केरल	124	80,727
मैसूर	4	1,793*
तमिल नाडु	95	49,218
त्रिपुरा	40	5,218
उत्तर प्रदेश	11	1,092
पश्चिम बंगाल	266	1,92,424
	1,113	7,23,106

*यह आंकड़ा श्रमिकों की कुल संख्या से संबन्धित है ।

(ख) हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा की राज्य सरकारें महसूस करती हैं कि इस समय चाय उद्योग में और रोजगार की गुंजाइश बहुत कम है।

(ग) जी, नहीं।

विद्युत भट्टी एककों द्वारा उत्पादित पिण्डों/छड़ों पर मूल्य नियत्रण लागू करने की समीक्षा

634. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत भट्टी एककों द्वारा उत्पादित पिण्डो/छड़ों पर मूल्य नियन्त्रण लागू करने के प्रश्न पर इस बीच समीक्षा कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) विद्युत भट्टी एककों द्वारा उत्पादित इस्पात पिण्डों/बिलेटों के मूल्यों पर नियन्त्रण लगाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

पांचवीं अथवा छठी योजना अवधि के दौरान एकीकृत इस्पात परियोजना

635. **श्री नवल किशोर सिंह**
श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि पांचवी अथवा छठी योजना अवधि क दौरान किसी भी नए एकीकृत इस्पात परियोजना को आरम्भ नहीं किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मौजूदा इस्पात कारखानों के विस्तार के लिए इस समय विचाराधीन योजनाओं की मुख्य रूप रेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) पांचवीं पंच वर्षीय योजना में इस्पात विकास कार्यक्रम के लिए सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों के मसौदों के अनुसार पांचवीं योजनावधि में किसी नई सर्वतोमुखी इस्पात प्रायोजना को आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी इस्पात बनाने की अतिरिक्त क्षमता के लिए कुछ शक्यता अध्ययन आरम्भ किए जाएंगे। जिससे इन अध्ययनों का आगामी पंच वर्षीय योजना अवधियों में उपयोग किया जा सके।

(ख) और (ग) पांचवीं योजनावधि के दौरान भिलाई इस्पात कारखाने की क्षमता को 40 लाख टन पिण्ड करने का प्रस्ताव है और 47.5 लाख टन पिण्ड क्षमता प्राप्त करने के लिए बोकारो का कार्य भी चलता रहेगा। इसके अलावा विशाखापतम, विजयनगर तथा सेलय के तीन नए इस्पात कारखानों का कार्य भी चलता रहेगा। टाटा आयरन एन्ड स्टील कंपनी लि० के जमशेदपुर कारखाने के विस्तार के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं। पांचवीं योजना में कोई नया सर्वतोमुखी इस्पात कारखाना लगाने के लिए साधन उपलब्ध नहीं हैं।

अरब-इजराइल युद्ध को समाप्त करने के लिये भारत की भूमिका

636. **श्रीमती सावित्री श्याम**
श्री हुकुमचन्द कछवाय } क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने और प्रधान मन्त्री ने अरब-इज़रायल युद्ध के सम्बन्ध में वक्तव्य जारी किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका सार क्या है ; और

(ग) उक्त युद्ध को समाप्त करने की दृष्टि से सरकार ने क्या भूमिका निभायी है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) प्रधान मन्त्री तथा विदेश मंत्री ने पश्चिम एशिया संघर्ष के संबंध में कई वक्तव्य दिए जिनमें उन्होंने लड़ाई शुरू होने पर चिन्ता व्यक्त की और अपनी यह धारणा भी व्यक्त की है कि 1967 के संघर्ष के परिणाम-स्वरूप अधिगृहीत क्षेत्रों में चूंकि इजरायल ने हटना अस्वीकार कर दिया सिर्फ इसी लिये यह लड़ाई फिर हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संकल्प सं० 338 पारित होने के बाद विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को इस संकल्प से संतोष है क्योंकि इससे युद्ध-विराम की तथा संघर्ष के मूल कारण को दूर करने की संभावनाएं बनी है। उन्होंने भारत सरकार के इस मत को दुहराया कि पश्चिम एशिया में न्याय पर आधारित शान्ति तभी स्थापित हो सकती है जब इज़रायल अरब क्षेत्रों से अपना कब्ज़ा छोड़ दे तथा स्थायी शान्ति को सुनिश्चित करने और उस क्षेत्र के सभी राज्यों की सुरक्षा के लिए बातचीत की जाए ।

(ग) भारत सरकार न्याय और समानता के आधार पर संघर्ष को समाप्त करने के लिए दूसरी बहुत सी सरकारों से निकट सम्पर्क बनाए रही। युद्ध-विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्पों का समर्थन करने के साथ ही भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प सं० 340 का सहप्रस्तावक भी था जिसमें दूसरी बातों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से यह प्रार्थना भी की गई थी कि एक संयुक्त राष्ट्र आपात कालीन सेना बनाने के लिए वह तुरन्त कदम उठाएं ।

आल इंडिया रेलवेमैन्स फैडरेशन तथा अन्य मजदूर संघों द्वारा वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर असंतोष प्रकट करने के लिये हड़ताल की धमकी

637. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मन्त्रालय को इस बात की जानकारी है कि आल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन तथा अन्य मज़दूर संघों ने वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर असन्तोष प्रकट करने तथा न्यूनतम मजूरी ढांचे तथा बोनस की मांग के बारे में मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की घोषणा के बारे में राष्ट्र व्यापी हड़ताल तथा आन्दोलन करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) विभिन्न मजदूर संघों, फेडरेशनों और एसोसिएशनों के साथ स्वीकृत फार्मूला बनाने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) तीसरे वेतन आयोग की दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणीयों के कर्मचारियों से सम्बन्धित सिफारिशों के बारे में निर्णय सरकार के पहली नवम्बर, 1973 के संकल्प में घोषित किये जा चुके हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह स्पष्ट किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के किसी पूर्णकालिक असैनिक कर्मचारी के लिए उसके पेशे के आरम्भ में न्यूनतम पारिश्रमिक, आयोग द्वारा सिफारिश किए 185 रु० प्रति माह से बढ़ाकर, 196 रु० प्रति माह कर दिया जाएगा और चतुर्थ श्रेणी के पांच वेतन-मान पुनः बनाए जाएंगे। उपर्युक्त निर्णयों की घोषणा से पूर्व, राष्ट्रीय परिषद, जिसमें विभिन्न एसोसिएशनों और महासंघों के प्रतिनिधि शामिल हैं, के कर्मचारी पक्ष की स्थायी समिति के साथ विचार-विनिमय किए गए थे।

नैशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन को छोड़कर, कई मज़दूर संघों ने सरकार के निर्णयों के प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रिया की है। विभिन्न मज़दूर संघों में से, केवल आल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन ही ऐसी है जिसने अक्तूबर, 1973 में हैदराबाद में हुई अपनी सामान्य परिषद की बैठक में 27 फरवरी, 1974 से अनिश्चित कालीन हड़ताल के बारे में निर्णय लिया है। जहां तक अन्य मज़दूर संघों का सम्बन्ध है, कुछ निर्णयों के विरुद्ध प्रतिक्रियाएं हुई है परन्तु उनके द्वारा देश-व्यापी हड़ताल या आंदोलन के बारे में निर्णय किये जाने के सम्बन्ध में कोई सुनिश्चित संकेत उपलब्ध नहीं है।

तीसरे वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने के प्रश्न पर कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है। इस वाद-विषय पर अपनी मांगों के समर्थन में कर्मचारियों के कतिपय वर्गों द्वारा प्रस्तावित आंदोलन के बारे में समाचार-पत्रों में समाचार छपे हैं।

सीमेंट उद्योग के मजदूरों द्वारा हड़ताल की धमकी

638. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों की यूनियन फेडरेशन तथा एसोसिएशन नें मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल का आह्वान किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) उनकी मांगें स्वीकार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) (क) से (ग) : जब सीमेंट उद्योग सम्बन्धी द्विपक्षीय वार्ता समिति कोई परस्पर स्वीकार्य हल प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हुई तो यूनियनों ने मजूरी-दरों में संशोधन करने सम्बन्धी अपनी मांग पर जोर देने के लिये 17 अक्तूबर, 1973 से हड़ताल करने के नोटिस जारी किये। सीमेंट उद्योग के श्रमिकों/नियोजकों के प्रतिनिधियों ने केन्द्रीय श्रम मन्त्री से मजूरियों के प्रश्न के सम्बन्ध में समझौता कराने निमित्त मध्यस्थता करने का निवेदन किया और उनके निर्णय को मानने के लिये वे राजी हुए। तदनुसार श्रम मन्त्री ने 15 अक्टूबर, 1973 को एक पंचाट दिया, जिसकी एक प्रति संलग्न है।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5699/73)

रोजगार सम्बन्धी योजनाओं के लिये राज्यों को अनुदान

639. श्री यमुना प्रसाद मण्डल : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को रोज़गार योजनाओं के लिए निधियां मंजूर की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धन राशि मंजूर की गई ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें "पांच लाख रोज़गार कार्यक्रम" के अन्तर्गत जिसके संबंध में माननीय सदस्य का सम्भवत: आशय है, 1973–74 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को आबंटित निधि का ब्यौरा दिया गया है ।

विवरण

वर्ष 1973–74 के सम्बन्ध में राज्यों और संघ-शासित क्षेत्रों के लिए पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित राशि

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	नियत उच्चतम राशि जिसके अन्तर्गत राज्य/संघशासित क्षेत्र को पांच लाख रोजगार कार्यक्रम की मार्ग दर्शी रूप रेखा के अनुसार रोजगार स्कीमें बनाने के लिए कहा गया है ।
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	600.00
2	असम	150.00
3	बिहार	850.00
4	गुजरात	350.00
5	हरियाणा	175.00
6	हिमाचल प्रदेश	60.00
7	जम्मू व काश्मीर	75.00
8	केरल	700.00
9	मध्य प्रदेश	530.00
10	महाराष्ट्र	800.00
11	मणिपुर	40.00
12	मेघालय	20.00
13	कर्नाटक	500.00
14	नागालैण्ड	12.00
15	उड़ीसा	280.00
16	पंजाब	220.00
17	राजस्थान	325.00
18	तमिलनाडु	650.00
19	त्रिपुरा	40.00
20	उत्तर प्रदेश	1100.00
21	पश्चिम बंगाल	1500.00

1	2	3

संघ शासित क्षेत्र

1	अंडमान और निकोबार द्वीप	3.00
2	अरुणाचल प्रदेश	6.00
3	चंडीगढ़	25.00
4	दामर और नागर हवेली	1.00
5	दिल्ली	250.00
6	गोआ, दमन और दीऊ	20.00
7	लक्षद्वीप	1.00
8	मिजोरम	6.00
9	पांडिचेरी	14.00

सिक्किम में राज्य विधान सभा के चुनावों के लिए चुनाव आयोग की सहायता मांगना

640. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्कम के च्योग्याल ने राज्य विधान सभा के चुनाव शीघ्र कराने के लिए चुनाव आयोग से सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) 8 मई 1973 को भारत सरकार, सिक्किम के चोग्याल तथा वहां के राजनैतिक दलों के नेताओं के बीच सम्पन्न समझौते में यह कहा गया है कि "चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से होंगे, और ये चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि की देख-रेख में कराए जायेंगे . . ." "मुख्य चुनाव आयुक्त को स्थिति की जानकारी है तथा वह इसी सिलसिले में 22 से 26 अगस्त 1973 तक सिक्किम की यात्रा भी कर चुके हैं। उन्होंने चोग्याल से तथा वहां के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक व्यक्ति-एक वोट के आधार पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए विचार-विमर्श किया जिसमें इस बात का सुनिश्चिय रहे कि वहां के किसी भी एक जन-वर्ग को महज अपने जाती-मूल के कारण प्रमुखता प्राप्त न हो।

निर्यात के लिए इस्पात की सामग्री बनाने वाले एककों को आयातित इस्पात की सप्लाई

642. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ :** क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निर्यात के लिए इस्पात की सामग्री बनाने वाले निर्माता आयातित इस्पात को प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों को आयातित इस्पात पर्याप्त मात्रा में देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) इंजीनियरी सामान के निर्माताओं को निर्यात के लिए आयातित इस्पात की सप्लाई के लिए एक स्कीम लागू की गई है। जिसके अनुसार उनको आयातित इस्पात संयुक्त संयंत्र समिति के मूल्य के समतुल्य मूल्य जमा 2% मूल्य पर अथवा जहां सम्बन्धित किस्म के इस्पात के लिए संयुक्त संयंत्र समिति ने मूल्य निश्चित नहीं किया है वहां हिन्दुस्तान स्टील लि० के मूल्य जमा 2% पर आयातित इस्पात दिया जाता है। आयातित इस्पात की पर्याप्त मात्रा में इकाई, अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में आवश्यक श्रेणियों की उपलिब्धि तथा उपयक्त विदेशी मुद्रा पर निर्भर है।

रक्षा कारखानों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले देशी पुर्जे

643. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय के विभागीय कारखानों के सैनिक साज-सामान बनाने में कितने प्रतिशत देशी पुर्जों का प्रयोग करते हैं; और

(ख) देशी पुर्जों का प्रयोग बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) विजयंत टैंक में स्वदेशी अंश का इस समय लगभग 70 प्रतिशत है। मोटर गाड़ियों में स्वदेशी अंश शक्तिमान, निशान 1 टन तथा निशान पेट्रोल में क्रमश: 85 प्रतिशत, 65 प्रतिशत तथा 42 प्रतिशत के लगभग है। आर्डनेंस कारखानों में शास्त्रास्त्रों तथा गोला बारुद के उत्पादन के बारे में कुछ मामलों में यह 100 प्रतिशत है जबकि अन्य के बारे में स्वदेशी अंश 40 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक है।

(ख) उपकरणों के चरणवार स्वदेशीकरण के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे है। रक्षा पूर्ती विभाग के माध्यम से उत्तरोतर स्वदेशीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है जो रक्षा उत्पादन के लिए आवश्यक भेदों के स्वदेशीकरण के मुख्य उद्देश्य से स्थापित किया गया है। यह विभाग कई एक तकनीकि समितियों के माध्यम से कार्य करता है जो स्टोरों की विभिन्न किस्मों के संबंध म कार्य करता है और स्वदेशी श्रोत्रों का पत्ता लगाने तथा विकास करने में सहायता करती हैं।

अल्जीरिया में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों द्वारा लिए गए निर्णय

644. **श्री शंकर राव सावन्त**
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) अल्जीरिया में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की बैठक में लिए गए निणयों की मुख्य बाते क्या ह ;

(ख) इस बैठक में किन किन एशियाई देशों ने भाग लिया था ; और

(ग) इस बैठक में कितने अन्य देशों ने भाग लिया था ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) अल्जीयर्स में हुई गुटनिरपेक्ष राष्ट्रो की बैठक के निर्णयों की मुख्य मुख्य बातें दस्तावेजों में निहित है और ये दस्तावेज अब सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ख) एशिया के उन देशों के नाम जिन्होंने गुटनिरपेक्ष शिखिर सम्मेलन में भाग लिया, परिशिष्ट एक में दिए गये हैं। **(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सख्या एल० टी० 5700/73)**

(ग) 49 अन्य देशों ने सदस्य के रूप में सम्मेलन में भाग लिया। भाग लेने वालों की पूरी-पूरी सूची परिशिष्ट दो में दी गई है। **(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5700/73)**

हड़तालों और तालाबंदियों का निवारण

645. श्री शंकर राव सावंत
श्री राम सहाय पांडे } : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में मजदूरों द्वारा हड़ताल तथा मालिकों द्वारा तालाबन्दियों को रोकने के लिए सरकार का कोई उपाय खोज निकालने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं तथा उनको किस प्रकार लागू किया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) और (ख) सरकार औद्योगिक संबंधों के बारे में एक व्यापक कानून पेश करेगी जिससे सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों में हड़तालों और तालाबन्दियों को कम करने में सहायता मिलनी चाहिए। कानून के ब्यौरे तयार किए जा रहे हैं ।

पश्चिम एशिया में युद्ध विराम सम्बन्धी रूसी प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि का वक्तव्य

646. श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री सी० के० चन्द्रप्पन } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेग कि :

(क) क्या पश्चिम एशिया में युद्ध विराम के बारे में सुरक्षा परिषद में रूस के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि ने इस आशय का वक्तव्य दिया था कि "हमारे सामने इसके समर्थन के सिवाय कोई चारा ही नहीं है" ;

(ख) यदि हां, तो इस टिप्पणी का क्या प्रभाव होगा ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ द्वारा सम्मिलित रूप से प्रस्तुत प्रस्ताव के मसविदे पर 21-10-73 को बहस के दौरान, भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने अन्य बातों के साथ साथ कहा था कि "फिर भी सामान्य निष्कर्ष स्पष्ट है क्योंकि कारण कुछ भी हो, लड़ाई से संबंद्ध मुख्य पक्षों में सम्मिलित प्रस्ताव मसविदे को स्वीकार कर लिया हैं और हमारे पास इसका समर्थन करने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है।"

(ख) और (ग) हमारे स्थायी प्रतिनिधि भारत के वोट का स्पष्टीकरण करते हुए बोल रहे थे। यह प्रस्ताव तेजी से बढ़ती हुई स्थिति का सामना करने की दृष्टि से न्यूनतम नोटिस पर रखा गया था ;इससे स्वाभाविक तौर पर परामर्श एवं स्पष्टीकरण लेने का समय नहीं मिला। हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने इसी संदर्भ में ये बातें कहीं थीं और इनमें युद्ध विराम, इसराईली वापसी, इसराईल के अस्तित्व का अधिकार और फिलस्तीनी लोगों के अधिकारों से संबंध महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सरकार के दृष्टिकोण की पूरी झलक मौजूद थी।

अलजीर्यस सम्मेलन में व्याख्या की गई बड़ी शक्तियों की संकल्पना

647: **श्री इन्द्रजीत गुप्त**
श्री भोगेन्द्र झा } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलजीयर्स में आयोजित गुट निरपेक्ष शिखिर सम्मेलन में लीबीया के श्री गदाफी और क्यूबा के श्री कास्त्रों नें बड़ी शक्तियों की संकल्पना के बारे में कुछ विशेष व्याख्या की थी :

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) हाल में अलजीयर्स में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के राज्याध्यक्षों एंव शासनाध्यक्षों का जो सम्मेलन हुआ था उस पूर्ण अधिवेशन में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के राज्याध्यक्षों एंव शासनाध्यक्षों ने भाषण दिये थे जिसमें ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति बोरगीबा, लीबीया के राष्ट्रतपि श्री गदाफी और क्यूबा के प्रधान मंत्री श्री कास्त्रो भी शामिल हैं। इस सम्मेलन में हमारे प्रधान मंत्री ने भी भाषण दिया। सम्मेलन के सम्मुख प्रस्तुत विषयों पर हमारे विचार प्रधान मंत्री के वक्तव्य में दिए गए हैं, यह सार्वजनिक दस्तावेज है और सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है। यह हमारे लिए उचित नहीं होगा कि हम, उस अवसर पर राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों द्वारा प्रकट किए गए अलग-अलग विचारों पर टिप्पणी करें। सम्मेलन के विचार अपने समग्र रूप में विभिन्न दस्तावेजों में लिए गए हैं, और ये भी सार्वजनिक दस्तावेज हैं तथा सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

घड़ीयों के पुर्जों के व्यापक उत्पादन तथा नये मशीनी औजारों के विकास के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की योजना

648. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**
श्री पुरषोत्तम काकोडकर } : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स घड़ियों के आवश्यक पुर्जों का व्यापक रुप से उत्पादन शुरू करने की योजना बना रहा है ;

(ख) क्या यह 128 किस्म के अत्याधुनिक एंव स्वचालित मशीनी औजारों के डिजाइन बनाता रहा है और उनका विकास करता रहा हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में विचाराधीन प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स आवश्यक हिस्से पुर्जों और व्यासृत संयोजन घड़ियों के समेकित निमार्ण के जरिये घड़ियों का उत्पादन बढ़ाने की योजना के एक हिस्से के रूप में घड़ियों के आवश्यक हिस्से पुर्जों का बडी मात्रा में उत्पादन करने के लिए एक योजना बना रहा है । योजना की रूप रेखा अभी तैयार की जानी है क्योंकि उपकरण तथा डिजाइन प्राप्त करना और घड़ियों का लाना ले जाना अभी अंतिम रुप से निश्चित नहीं किया गया है । विज्ञान तथा टक्नोलाजी की राष्ट्रीय परिषद ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को 50 में से 28 मशीनों के लिए जिनका उन्होंने पता लगाया है, डिजाइन विकसित करने का काम सौंपा है, जिनके लिए डिजाइन क्षमता विकसित की जानी है ।

कोयले के वितरण के लिए संगठन

649. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**
श्री के० लकप्पा } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या सरकार कोयले के वितरण के लिए संगठन बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) क्या कोयले के द्रुत परिवहन के लिए रेलवे को और वैगन उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ; और यदि हां, तो क्या ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयला प्रेषण के लिए अधिकतम वैगन उपलब्धि के प्रयोजन से रेलवे और कोयला उत्पादक एंजेंसियों के बीच, एक संयुक्त स्कंध के माध्यम से, जिसे इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से गठित किया गया है, निकट समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय के लिए पांचवी योजना में धनराशि के आवंटन का प्रस्ताव

650. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**
श्री पुरषोतम काकोडकर } : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना में उनके मंत्रालय के लिये 483 करोड़ रूपये के परिव्यय के प्रस्ताव का योजना आयोग ने समर्थन कर दिया है ;

(ख) क्या योजना अवधि में मुख्य कार्य वर्तमान योजनाओं को पूरा करना, असंतुलन दूर करना, संकटग्रस्त कारखानों को पुनः चालू करना होगा; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) पांचवी पंच वर्षीय योजना के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित योजनाओं पर अभी भी योजना आयोग के साथ विचार विमर्श हो रहा है। पांचवी पंचवर्षीय योजना पर अन्तिम रूप से निर्णय हो जाने के पश्चात ही उनकी स्वीकृति और आंवटन के आदेश प्राप्त हो सकेंगें फिर भी प्रस्तावों के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के एककों का विस्तार करना, चल रही योजनाओं को पूरा करना, संकट-ग्रस्त एककों का पुनः स्थापन और पांचवी पंच वर्षीय योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, अतिरिक्त क्षमता लागू करना शामिल है।

लोहे और इस्पात के लिए और अधिक स्टाकयार्ड

651. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**
श्री पुरषोतम काकोडकर } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय लोहे और इस्पात के उत्पादों के लिये और स्टाकयार्ड स्थापित करने के बारे में विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें कब तक और किन-किन स्थानों पर स्थापित कर दिया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) यह एक वाणिज्यिक मामला है जिस पर उत्पादकों द्वारा समय-समय पर विचार किया जाता है। स्टाकयार्ड खोलने के मामले में उत्पादक देश में इस्पात की कुल उपलब्धि तथा स्टाकयार्डों की मार्फत पर्याप्त कुल विक्रय राशि जैसी बातों को ध्यान म रखती है।

भारत अमरीकी सम्बन्ध

652. **श्री पी० वेंकटासुब्बया**
श्री एम० सी० सामन्त } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) भारत और अमरीका के संबंधों को सुधारने के लिए आगे क्या प्रयत्न किये ग हैं ; और

(ख) उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मत्रांलय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत और अमरीका की सरकारें विभिन्न स्तरों पर विपक्षीय संबंधों पर बातचीत करने के लिए निरतंर संपर्क बनाए हुए हैं ।

(ख) दोनों पक्ष अब एक-दूसरे के दृष्टिकोण को अच्छी तरह समझ गए हैं।

नैरोबी हवाई अड्डे पर वित्त मंत्री के सामान की तलाशी

653. **श्री सी० के० जाफर शरीफ**
श्री पी० ए० सामिनाथन } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या भारत आते समय नैरोबी हवाई अड्डे पर वित्त मंत्री के सामान की तलाशी ली गई थी ;

(ख) यदि हां तो इस मामले से सम्बन्धित तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार कोई विरोध पत्र भेजा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण एंव विकास बैंक की बैठकों में भाग लेने के बाद वित्त मंत्री जब 1 अक्तूबर 1973 को भारत लौटने के लिए नैरोबी हवाई अड्डे पर विशिष्ट व्यक्तियों के विश्राम कक्ष में प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उनके साथ उनके हाथ में जो सामान था उसकी कस्टम अधिकारियों द्वारा तलाशी ली गई थी। चूंकि यह घटना ऐसे अवसरों पर बरते जाने वाली शिष्टाचार के और विशेषाधिकारों के विरुद्ध थी, इसलिए इसकी तुरन्त जाँच की गई और सरकार को सूचना दी गई कि कतिपय भ्रान्तियों और असत्य समाचारों के कारण ही उनके हाथ के सामान की कस्टम अधिकारियों द्वारा तलाशी ली गई थी। कस्टम के एक कनिष्ट अधिकारी की गलतफहमी के कारण उत्पन्न असुविधा के लिए कीनिया के संबंधित अधिकारियों ने स्पष्ट क्षमा याचना की। कीनिया सरकार ने भी इस खेद जनक घटना के लिए क्षमा याचना की है, जिससे कि एक मित्र देश के भाई को परेशानी उठानी पड़ी।

संसद-सदस्यों को स्कूटरों का आंवटन

654. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों को स्कूटरों के आंवटन की अवधि में वृद्धि कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस नीति का किन्हीं सदस्यों ने विरोध किया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं। अभी फिलहाल नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दमिश्क पर इजरायली हवाई हमले के कारण मारे गये भारतीय नागरिक

655. **श्री सी० के० जाफर शरीफ**
श्री ज्योतिर्मय बसु } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के युद्ध में दमिश्क पर इजरायली हवाई हमले के कारण कुछ भारतीय नागरिक मारे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना से संबंधित तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) मृत व्यक्तियों के परिवारों को क्या मुआवजा अथवा राहत दी गई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक भारतीय परामर्शदात्री फर्म के एक सदस्य के घर पर दिनांक 9 अक्तूबर, 1973 के सुबह "भारतीय महिलाओं की मासिक बैठक" में भाग लने के लिए 14 भारतीय महिलाएं और 8 बच्चे एकत्रित हुए थे। उसी दिन दोपहर को 12 बजकर 10 मिनट पर (स्थानीय समय) दमिश्क पर इजराली वायु सेना द्वारा की गई अकस्मात बमबारी के फलस्वरूप कुछ असैनिक क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा जिनमें यह मकान भी था जहां ये भारतीय महिलाएं और बच्चे एकत्रित थे। इस हमले में 3 भारतीय महिलाएं और एक बच्चा मारा गया। 9 भारतीय महिलाएं और 5 बच्चे घायल हुए।

भारत का राजदूतावास, दमिश्क ने तत्काल ही घायल लोगों के लिए आवश्यक चिकित्सा एवं हस्पताल में भरती कराने का प्रबन्ध किया। केवल एक महिला को छोड़कर, जिसे कुछ दिन बाद ले जाया जा सका, सभी घायलों को 12 अक्तूबर के दिन दमिश्क से निकाल कर बेरूत लाया गया और उन्हें हस्पताल में दालिख किया गया या उनकी चिकित्सा की गई। यह प्रबन्ध भारत के राजदूतावास, बेरूत ने किया था।

10 अक्तूबर, 1973 को विदेश मंत्रालय के एक सरकारी प्रवक्ता ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था :

"असैनिक स्थानों पर इस तरह का विवेक शून्य हवाई हमला बहुत ही निन्दनीय है। इसमें मानवता के प्रति सम्मान का तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के सभी नियमों का हनन हुआ है।"

विदेश में सेवा रत भारत मूल के अधिकारियों की क्षतिपूर्ति के प्रश्न पर हर मामले की परिस्थिति के अनुसार विचार किया जाता है। अन्य भारतीय राष्ट्रिकों के मामले में यह प्रश्न वस्तुत: उठता ही नहीं।

Repatriation of Pakistani P. O. Ws. From India

656. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the arrangements made by Government to repatriate Pakistani Prisoners-of-War from India; and

(b) the names of the countries from whom assistance has been obtained in repatriating the said Prisoners-of-War ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) The Pakistani prisoners-of-war from India are being repatriated by trains to Pakistan through Wagha land border checkpost.

(b) No assistance is being solicited from any country for repatriation of these Prisoners-of-War.

छोटी कार बनाने के लिये मारुति एण्ड कंम्पनी को दिया गया आशयपत्र की अवधि बढ़ाया जाना

658. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्णत: स्वदेशी तथा बिना किसी विदेशी मुद्रा खर्च किये कम कीमत की छोटी कार बनाने के लिए मारुति एण्ड कंपनी, हरियाणा को किस तिथि को आशयपत्र दिया गया था ;

(ख) तब से इस कंपनी को दिये गये आशयपत्र की वैद्यता अवधि को कितनी बार बढ़ाया गया है ;

(ग) क्या आशयपत्र की वैद्यता अवधि में कई बार वृद्धि किये जाने के बाद भी यह कंपनी सही मालड नहीं बना सकी है ; और

(घ) क्या इस कंपनी ने एक बार और अवधि बढ़ाये जाने को प्रार्थनापत्र दिया है क्योंकि स्वदेशी साधनों से तैयार किये गये इसके इंजन का डिजाइन आशानुकूल नहीं है, और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) :-(क) 30-9-1973।

(ख) तीन बार।

(ग) जी, नहीं। फर्म द्वारा अद्य रूप का विकास किया जा रहा है, गाड़ी अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान के परीक्षण के लिए आद्य रूप प्रस्तुत करने से पहले फर्म द्वारा इनका व्यापक परीक्षण किया जाना है।

इस्पात के कोटे का दुरुपयोग करने वाली फर्में

659. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी फर्मों के राज्यवार नाम और विवरण क्या है जिनके विरुद्ध इस्पात के कोटे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है ;

(ख) प्रत्येक फर्म के विरुद्ध क्या क्या विशिष्ट आरोप लगाये गये हैं ;

(ग) सम्बद्ध फर्मों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या इनमें से किसी फर्म को काली-सूची में रखा गया है ; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) पूरी जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय कोयला और तांबा खनन उद्योग के विकास के लिये ब्रिटिश तकनीकी सहायता

660. श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय कोयला और तांबा खनन उद्योग के आधुनिकीकरण, पुनस्थापित और विकास के लिये ब्रिटिश अधिकारियों से तकनीकी सहायता प्राप्त करने का अनुरोध करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता का अनुरोध किया गया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) तांबा खनन उद्योग के सम्बन्ध में ऐसा कोई अनुरोध प्रस्तावित नहीं किया गया है।

कोयला खनन उद्योग के सम्बन्ध में खान विभाग के सचिव के नेतृत्व में एक दल के साथ अक्तूबर, 1973 में इंगलैंड में प्रारंम्भिक बातचीत हुई थी जिसमें हमारे कार्मिकों को प्रशिक्षण खनन यंत्रों की पूर्ति आदि के लिए ब्रिटिश सहायता प्राप्त करने की सम्भावनाओं पर विचार किया गया।

खनन उपकरणों की रूस से खरीद

661. श्री एस० एम० संजीवी राव
श्री शिव कुमार शास्त्री } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खनन सम्बन्धी उपकरणों का, जिनमें प्रद्रावक भी शामिल है, रूस से खरीदने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) कोयला खान प्राधिकरण की खुली ढुलाई खानों के लिए कुछ उपकरणों जैसे ड्रैगलाइनों, बेलचों, ड्रिलों इत्यादि को भारत-रूस व्यापार योजना के अंतर्गत आयातित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसी तरह, भारत ऐलूमिनियम कम्पनी लिमिटेड ने, भारत और सोवियत सरकार के बीच हुए ऋण-समझौते के अधीन कोरबा प्रभावक और गढ़ाई संयंत्र के लिए कुछ उपस्कर और सामग्री की पूर्ति के लिए सोवियत रूस के साथ एक करार किया है।

वर्मा में मिजो विद्रोहियों का अड्डा होने का समाचार

662. **श्री नवल किशोर वर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 अक्तूबर 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में मिजो रिवैल 'बेस इन वर्मा' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या वर्मा सरकार से वहां से विद्रोहियों का अड्डा समाप्त करने का अनुरोध किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में वर्मा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) समुचित कार्रवाई करने के लिए सरकार इस मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में इस्पात के उत्पादन में कमी

663. **श्री नवल किशोर वर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने में, जिसमें चालू वर्ष के प्रथम तिमाही के आरम्भ में कुछ सुधार दिखाई दिया था, इस्पात का उत्पादन पुन: कम हो गया है :

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति का सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :—(क) से (ग) अगस्त और सितम्बर 1973 में धमन भट्टी के कास्ट हाउस के कर्मचारियों द्वारा 24 दिन की गैर-कानूनी

हड़ताल के परिणामस्वरूप दुर्गापुर इस्पात कारखाने के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। धमन-भट्टी की हड़ताल का असर लगभग तीन या चार सप्ताह तक रहा। अब उत्पादन सामान्य हो गया है।

बिजली की अपर्याप्त सप्लाई के कारण भी कारखाने के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों से इस्पात कारखानों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने को कहा गया है।

चीन की प्रक्षेपणास्त्र की मार करने की दूरी

664. **श्री नवल किशोर वर्मा**
श्री डी० डी० देशाई } : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 सितम्बर, 1973 के 'इंडिण्यन एक्सप्रेस' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि अधिकांश एशिया चीन के प्रक्षेपणास्त्र की मार के भीतर है; और

(ख) यदि हां, तो भारत-चीन से युद्ध होने अथवा अन्य खतरा होने पर अपनी रक्षा करने में कैसे समर्थ होगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जी हां, श्रीमन।

(ख) चीन के अणु-अस्त्रों की क्षमता का हमारे सुरक्षा-प्रबन्धों पर पड़ने वाले प्रभाव का सरकार लगातार जायजा लेती रहती है। सरकार का विश्वास है कि परम्परागत हथियारों के आधार पर उपयुक्त सैनिक तैयारियों से हमारी सीमाओं की सुरक्षा अच्छी प्रकार हो सकती है।

सीमेंट उद्योग में मजूरों की न्यूनतम मजदूरी

665. **श्री रानेन सेन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के लिए हाल ही में सीमेंन्ट उद्योग के कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों ने उनके साथ बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो निष्पादित समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सीमेंट उद्योग में नियोजिकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने मजूरियों के प्रश्नों पर समझौता कराने के लिए मध्यस्थता करने हेतु संयुक्त रूप से केन्द्रीय श्रम मंत्री से निवेदन किया था और उन्होंने उनका निर्णय मानना स्वीकार किया था। तदनुसार, श्रम मंत्री जी ने 15-10-73 को अपना पंचाट दिया, जिसकी एक प्रति संलग्न है। (**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5701/73**)

बंगलादेश में इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिये सम्भाव्यता अध्ययन

666. **श्री रानेन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश में इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिए उस देश में सम्भाव्यता अध्ययन करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) बंगलादेश प्राधिकारियों के अनुरोध पर मेटलर्जीकल और इंजीनियरिंग कन्सलटेन्टस (इंडिया) लिमिटेड ने बंगलादेश में आयातित लौह खनिज और स्थानीय उपलब्ध प्राकृतिक गैस पर आधारित 500,000 टन वार्षिक क्षमता के स्पंज आयरन के एक कारखाने की स्थापना के लिए एक शक्यता प्रतिवेदन तैयार करना स्वीकार कर लिया है।

अंतर्राष्ट्रीय विकास नीति पर चर्चा करने के लिए महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाने के लिये अल्जीर्यस सम्मेलन की मांग

667. **श्री रानेन सेन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्जीयर्स सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास नीति के भविष्य पर चर्चा करने के लिये महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) निर्गुट देशों के राज्याध्यक्षों/सरकार प्रमुखों ने "संयुक्त राष्ट्र महासचिव को आमंत्रित किया कि वह ऊंचे राजनीतिक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक विशेष सत्र 1975 में मध्यावधि समीक्षा पूरी होने से काफी पहले बुलाएं जो कि विकास की समस्या पर ही विचार करने के लिए हो, जिसमें संरचनाओं को पुनः प्राणवान बनाना तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास कौशल के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति करना शामिल हो।" उस दिशा में उन्होंने सम्मेलन के अध्यक्ष को निदेश किया कि "वह इस निर्णय की सूचना दे और इस पर भी जोर दिया कि 77 देशों के गुट की एक मंत्री स्तर की बैठक उस समीक्षा से पूर्व आयोजित की जाए।"

इस्पात संयत्रों में अप्रयुक्त क्षमता

668. **श्री रानेन सेन**
श्री डी० के० पंडा } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश विद्यमान इस्पात परियोजनाओं म उत्पादन क्षमता से बहुत कम रहा है ;

(ख) यदि हां, तो दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई इस्पात संयंत्र की संयत्रवार क्षमता कितनी है ; और

(ग) संयत्रवार कितनी प्रतिष्ठापित क्षमता प्रयोग किया गया है और कितनी क्षमता उपयुक्त रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) निम्नलिखित तालिका में भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला इस्पात कारखानों का इस्पात पिण्ड तथा विक्रेय इस्पात की निर्धारित वार्षिक क्षमता, सात माह की अनुपातिक क्षमता, अप्रैल–अक्तूबर 1973 के दौरान वास्तविक उत्पादन, प्रयुक्त क्षमता का प्रतिशत तथा अप्रयुक्त क्षमता का प्रतिशत दिया गया है :—

इस्पात पिण्ड (हजार टन)

कारखाना	वार्षिक निर्धारित क्षमता	7 महीनों की अनुपातिक क्षमता	अप्रैल–अक्तूबर 1973 की वास्तविक उत्पादन	अप्रैल–अक्तूबर 1973 में प्रयुक्त क्षमता का प्रतिशत	अप्रैल–अक्तूबर 1973 में अप्रयुक्त क्षमता का प्रतिशत
भिलाई	2500	1458.33	1129.7	77.47	22.53
दुर्गापर	1600	933.33	475.9	50.99	49.01
राउरकेला	1800	1050.00	623.0	59.33	40.67

उगाण्डा से निष्काषित किये गये भारतीय मूल के व्यक्तियों की संख्या

669. **श्री एस० एन० मिश्र**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों के दौरान उगाण्डा से भारतीय मूल के कितने व्यक्तियों को निष्कासित किया गया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : उगांडा सरकार ने चूंकि सरकारी तौर पर कोई आंकड़े प्रकाशित नहीं किए हैं अत : उगांडा से निकाले गए भारत मूल के एशियाइयों की सही सही संख्या प्रस्तुत नहीं की जा सकती परंतु विभिन्न सूत्रों से एकत्र सूचना के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि निकाले गए व्यक्तियों की कुल संख्या 41,400 के करीब है। इस संख्या में एशिया मूल के वे 6,450 व्यक्ति शामिल नहीं हैं जो पहले से ही उगांडा से बाहर थे किन्तु निष्कासन-आदेशों के अंतर्गत आते थे।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों का विस्तार

670. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का विस्तार करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापित क्षमता को 25 लाख टन पिण्ड से 40 लाख टन पिण्ड तक और बोकारो इस्पात

कारखाने की क्षमता को 47.5 लाख टन पिण्ड तक बढ़ाने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त टाटा आइरन एण्ड स्टील कंपनी की क्षमता को 20 लाख पिण्ड से बढ़ाकर 45 टन पिण्ड करने के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं ।

उपर्युक्त प्रस्तावों से लगभग 37.5 लाख टन पिण्ड की अतिरिक्त क्षमता हो जायेगी ।

डी० सी० एम० केमिकल्स वर्कस्, दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

671. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० सी० एम० केमिकल्स वर्कस, जो दिल्ली कलौथ मिल्स, लिमिटेड दिल्ली का एक उपक्रम है, के कर्मचारियों ने हाल ही में लगभग 30 दिन हड़ताल की थी ;

(ख) उक्त कारखाने के कर्मचारियों की क्या मांगें थीं तथा क्या प्रबन्धकों ने उनकी मांगों पर विचार किया था ; और

(ग) इस हड़ताल को समाप्त कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क), (ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, डी० सी० एम० केमिकल वर्कस के श्रमिक, अपनी मांगों (अनुबंध) के समर्थन में 12 से 23 अक्तूबर, 1973 तक हड़ताल पर थे । (**ग्रंथालय में रखा गया देखिए । संख्या एल० टी० 5702/73**)

विचार-विमर्श के द्वारा उचित समझौते को अभिप्रेरित करने के लिए सभी प्रयास असफल हो जाने पर, 23 अक्तूबर, 1973 को दिल्ली प्रशासन ने भारत सुरक्षा नियमों के अधीन डी० सी० एम० केमिकल वर्कस के नियोजन की अनिवार्य सेवा के रूप में घोषित किया जिसका अनुगमन करते हुए श्रमिकों ने काम फिर से संभाल लिया और 24 अक्तूबर, 1973 से इस एकक के कार्य करने की सूचना दी गई है ।

विदेश मंत्री की विदेश यात्राएं

672. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल में उन्होंने किन-किन देशों की यात्रा की ;

(ख) प्रत्येक यात्रा का उद्देश्य क्या था ; और

(ग) प्रत्येक यात्रा का क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इस वर्ष अगस्त, सितम्बर तथा अक्टूबर में विदेश मंत्री ने कनाडा, अल्जीरिया, संयुक्त राज्य अमरीका तथा अफगानिस्तान की यात्रा की ।

(ख) और (ग) ओटावा, कनाडा में 2 से 10 अगस्त तक हुई राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की बैठक में विदेश मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया । इस बैठक में विदेश मंत्री को शासनाध्यक्षों तथा राष्ट्रमंडल के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय हित-चिंता के विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करने का अवसर मिला ।

विदेश मंत्री ने अल्जीयर्स की यात्रा गुट निरपेक्ष देशों के अध्यक्षों के सम्मेलन के सिलसिले में की थी जो 2 से 10 सितम्बर तक चला था। इस सम्मेलन की उपलब्धियों के अतिरिक्त, जो कि आर्थिक एवं राजनीतिक घोषणाओं में प्रकाशित की जा चुकी है ; इस यात्रा से उन्हें अल्जीयर्स में उपस्थित गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के नेताओं के साथ विभिन्न प्रकार के द्विपक्षीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार विमर्श करने का मौका भी मिला ।

न्यूयार्क में विदेश मंत्री ने संयुक्त रष्ट्र महासभा की 28वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस अवसर का लाभ उठाकर विदेश मंत्री कुछ समय के लिए वाशिंगटन भी गए तथा उन्होंने संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री डा० हेनरी किसिंजर के साथ बातचीत में पारस्परिक हित के मामलों पर तथा भारत एवं संयुक्त राज्य अमरीका के सम्बन्धों को और अधिक सामान्य बनाने पर विचार-विमर्श किया ।

विदेश मंत्री 27 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक काबुल की सदभावना यात्रा पर गए थे जहां उन्होंने अफगान सरकार के नेताओं के साथ पारस्परिक हित के विषयों पर विचार-विमर्श किया, खासतौर पर आर्थिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में निकटतर संबंधों के संदर्भ में।

गोआ पर पुर्तगाल का कथित दावा

673. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री बीरेन्द्र सिंह राव } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 सितम्बर, 1973 को समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि पुर्तगाल अभी भी गोआ को अपना क्षेत्र होने का दावा कर रहा है और उस क्षेत्र के दो प्रतिनिधियों को पुर्तगाली संसद में शामिल किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार इन समाचारों को कोई महत्व नहीं देती। गोवा के साथ अपने सम्बन्ध जतलाने के लिए जो वास्तव में हैं ही नहीं, पुर्तगाल जो कुछ भी करता है, उससे स्थिति की वास्तविकता पर कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

लन्दन और वाशिंगटन स्थित भारतीय सप्लाई मिशन में सहायक नियुक्त करने के लिए अनुभव

674. **श्री मुहम्मद शरीफ**
श्री रामजी राम } : क्या **पूर्ति तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति विभाग और विदेश मंत्रालय के बीच 1968 में ऐसी कोई सहमति हुई थी कि लन्दन और वाशिंगटन स्थित भारतीय सप्लाई मिशन में केवल उन्ही सहायकों को नियुक्त किया जायेगा जिन्हें पांच वर्ष का खरीद का अनुभव होगा ;

(ख) क्या पूर्ति विभाग ने विदेश मंत्रालय से किये गये समझौते का उल्लंघन कर 18 अगस्त 1973 से पांच वर्ष के आवश्यक खरीद अनुभव को घटाकर तीन वर्ष का कर दिया है ; और

(ग) क्या उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित समझौते के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए 25 और 27 सितम्बर, 1973 को हुए इंटरव्यू के आधार पर बनाये गये सहायकों के पेनल को अवैध घोषित कर दिया जायेगा और उचित पैनल बनाने के लिये केवल उन्हीं सहायकों को इंटरव्यू के लिये बुलाया जायेगा जिन्हें कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होगा ?

पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 1960 में यह सहमति हुई थी कि तकनीकी मद, जिसमें सहायकों के पद भी शामिल हैं, गैर भारत विदेश सेवा के कर्मचारियों में से भरे जायेंगे जिनका चयन पूर्ति विभाग द्वारा किया जायेगा, किन्तु गैर तकनीकी पद भारत विदेश सेवा (बी) के कर्मचारियों में से भरे जायेगें जिनका चयन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जायेगा । इस विभाग द्वारा 1968 में इसी बात पर जोर दिया गया था ।

(ख) केवल सरकारी हित को विचार में रखते हुए, अगस्त, 1973 में सहायकों के मामले में पूर्ति विभाग द्वारा पांच वर्ष के न्यूनतन खरीद अनुभव को घटाकर तीन वर्ष का कर दिया था, और इसलिए इस प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित सहमति के उल्लंघन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इस्पात की नई कीमतें

675. **श्री मुहम्मद शरीफ**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा घोषित की गई दुहरी मूल्य-निर्धारण नीति के अनुसार अक्तूबर, 1973 के दौरान सरकार की संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा नये इस्पात मूल्यों की घोषणा कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो घोषित की गई नई कीमतों की मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा इस्पात के संशोधित मूल्यों की घोषणा कर अक्तूबर, 1973 में की गई थी ।

(ख) (1) नये प्लेटों, संरचनात्मकों तथा रेलवे सामग्री की तीन मुख्य श्रेणियों का, जिनका उपयोग मुख्य रुप से राज्य तथा केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र तथा मूल उद्योगों द्वारा किया जाता है, के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

(2) अन्य किस्मों के इस्पात के मूल्यों में भिन्न-भिन्न दरों से वृद्धि की गई है ।

(3) ये मूल्य 14/15 अक्तूबर 1973 की अर्धरात्रि से लागू किये गये हैं ।

(4) इंजीनियरी के माल के निर्यातकों के हितों की रक्षा की गई है ।

सरकारी नियंत्रण में और गैर-सरकारी क्षेत्र के अधीन कोयला खानें

676. **श्री मुहम्मद शरीफ**
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर } क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी नियंत्रण में और गैर-सरकारी क्षेत्र में कितनी कोयला खानें हैं ;

(ख) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र की कुछ अन्य कोयला खानों को अपने अधिकार में लेने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सरकार के नियंत्रण में कुल 995 कोयला खानें हैं इसके अतिरिक्त गैर सरकारी इस्पात संयंत्रों अर्थात टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी और इंडियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी की दस ग्रहीत कोयला खानें और हैं ।

(ख) और (ग) गैर सरकारी इस्पात संयत्रों को गृहीत कोयला खानों को छोड़कर शेष सभी कोयला खानों को सरकार ने पहले ही अपने अधिकार में ले लिया है । अत : अब अन्य कोयला खानों को सरकारी अधिकार में लेने का प्रस्ताव नहीं है ।

विदेशों से रद्दी इस्तपात के छोटे टुकड़ों का आयात

677. **श्री मुहम्मद शरीफ**
श्री आर० वी० स्वामिनाथन् } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ देशों से रद्दी इस्पात के छोटे टुकड़ों का आयात करने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से कितनी मात्रा में और कितनी कीमत के रद्दी इस्पातों के छोटे टुकड़ों का आयात किया जायेगा और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) वर्तमान आयात नीति के अधीन रद्दी इस्पात का आयात मैटल स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से किया जाता है । अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में रद्दी लोहे की उपलब्धि की स्थिति बहुत विकट है और उसका मूल्य इतना अधिक है कि भारतीय उपभोक्ताओं को पड़ता नहीं खाता । फिर भी आयात की व्यवस्था करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है ।

बंगालियों और पाकिस्तानियों को स्वदेश भेजने के लिए विमानों और यात्री जहाजों की व्यवस्था करने की पेशकश

678. **श्री के० मालन्ना :**
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : } क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

दिल्ली समझौते के अन्तर्गत बंगालियों और पाकिस्तानियों को स्वदेश भेजने के कार्य में सहायता देने तथा उसमें तेजी लाने के लिए किन-किन देशों ने विमानों और जहाजों की व्यवस्था करने हेतु अपनी सेवाएं देने की पेशकश की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग के अनुसार निम्नलिखित ठोस प्रस्ताव किए गए हैं :

सोवियत संघ से एक जहाज और एक वायुयान ; जर्मन जनवादी गणतंत्र और यू० के० से क्रमश: एक और दो वायुयान ; आस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जापान, लैशडेन्सी, लसमबर्ग, नीदर लैण्डस नार्वे, स्वीडन, टर्की और अमरीका ने नकद अंशदान दिया है जिससे कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग किराये पर विमान ले सके ।

रद्दी लोहे के छोटे टुकड़ों का विदेशों को निर्यात

679. **श्री बैकारिया :**
श्री अरविन्द एम० पटेल : } क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों को रद्दी लोहे के छोटे टुकड़ों का निर्यात किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970–71, 1971–72 और 1972–73 के दौरान कितनी मात्रा में रद्दी लोहे के छोटे टुकड़ों का निर्यात किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) वर्तमान निर्यात नीति के अनुसार रद्दी लोहे को तीन श्रेणियों में बांटा गया है अर्थात (i) ऐसी मदें जिनके निर्यात की अनुमति है । (ii) ऐसी मदें जिनके निर्यात की अनुमति मेटल स्क्रप ट्रेड कारपोरेशन लि० की विशिष्ट सिफारिशों पर "गुणावगुण" के आधार पर दी जाती है और (iii) ऐसी मदें जिनके निर्यात की अनुमित नहीं दी जाती । यह नीति बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ऐसे स्क्रेप का निर्यात न किया जाय जिसका देश में इस्तेमाल हो सकता है । विद्युत भट्टी पर आधारित इस्पात उद्योग के विकास से स्क्रैप का इस्तेमाल उत्तरोत्तर बढ़ रहा है ।

पिछले तीन वर्षों में निर्यात किए गए रद्दी लोहे के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

	टन
1970–71	51,990
1971–72	31,141
1972–73	27,630

पिछले दो वर्षों के दौरान भारत से रद्दी लोहे के छोटे टुकड़े मंगाने वाले देश

681. **श्री बैकारिया :**
श्री अरविन्द एम० पंटेल : } क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान किन-किन देशों से रद्दी लोहे के छोटे टुकड़ों का निर्यात किया गया ; और

(ख) निर्यात किये गये रद्दी लोहे के छोटे टुकड़ों की मात्रा का वर्षवार और देश वार ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) :

	1971-72	1972–73
जापान	31,141 टन	25,660 टन
तायवान	–	1,970 टन
कुल	31,141 टन	27,630 टन

श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तीसरा मजूरी बोर्ड

683. **श्री बेकारिया :**
श्री सरजू पाण्डेय : } क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम जीवी पत्रकारों के वेतन और सेवा-शर्तों के संशोधन के प्रश्न पर विचार करने के लिए सरकार ने तीसरा सांविधिक मजूरी बोर्ड गठित किया है;

(ख) उक्त बोर्ड के निर्देश-पद और सदस्यों के नामों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत होने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत, श्रमजीवी पत्रकारों की मजरियों में संशोधन करने के लिए एक मजूरी बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया है ।

जूट उद्योग में महिला श्रमिकों की संख्या में कमी होना

685. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि पिछले 20 वर्षों के दौरान जूट उद्योग में महिला श्रमिकों की संख्या में काफी कमी हुई है ;

(ख) क्या जूट उद्योग के प्रबन्धक महिला कर्मचारियों को सरकारी विधान में उपलब्ध सुविधाओं से वंचित कर रहे हैं और महिला श्रमिकों की बड़े पैमाने पर छंटनी कर रहे हैं ; और

(ग) इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय लोक सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

भारतीय श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति के अधिवेशन

686. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972 और वर्ष 1973 के दौरान सरकार ने भारतीय श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति के अधिवेशन का आयोजन नहीं किया है;

(ख) इन अधिवेशनों को आयोजित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस आलोचना की ओर दिलाया गया है कि राष्ट्रीय मजदूर संघ परिषद के गठन के कारण उक्त अधिवेशन आयोजित नहीं किए गए थे ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) सम्मेलन में नियोजकों और श्रमिकों के दलों के गठन में कतिपय परिवर्तनों को आवश्यक समझा गया था और उन्हें तय करवाना था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के विचार से इस्पात कारखानों की क्षमता के उपयोग में वृद्धि

687. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपमंत्री ने सितम्बर, 1973 में नई दिल्ली में आल इण्डिया स्टील रोलर्स एसोसिएशन के पहले वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए कहा था कि यदि देश में पांच मुख्य इस्पात संयंत्रों की क्षमता के उपयोग में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जा सके तो कुल मिला कर देश की आवश्यकता आसानी से पूरी हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो देश में इन पांच संयंत्रों में से प्रत्येक की वास्तव में कितनी क्षमता का उपयोग किया जाता है;

(ग) क्षमता के उपयोग में 10 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करने में सरकार के सामने क्या बाधाएं ह ; और

(घ) क्या अतिरिक्त इस्पात संयंत्र लगाने की बजाय, जिनके उत्पादन की स्थिति में पहुंचने में काफी समय लगता है, उपरोक्त वृद्धि करने के लिये कोई समुचित नीति निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां । परन्तु प्रस्तुत वक्तव्य वर्ष 1973–74 में साधारण इस्पात की अनुमानित मांग के संदर्भ में दिया गया था ।

(ख) और (ग) वर्ष 1972–73 में पांच मुख्य इस्पात कारखानों (भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, टिस्को, इस्को) का इस्पात पिण्ड का वास्तविक उत्पादन 61.29 लाख टन था । वर्ष 1973–74 के लिए 71.28 लाख टन का लक्ष्य रखा गया था जो वर्ष 1972–73 के उत्पादन में 16% से अधिक वृद्धि और कुल क्षमता के 80% उपयोग के बराबर है । खेद है कि अप्रैल-अक्टूबर, 1973 के महीनों में इस अवधि के लिये निश्चित किये गये लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उत्पादन कम हुआ है । इस अवधि में कारखाना–वार क्षमता का उपयोग नीचे दिया गया है :—

भिलाई इस्पात कारखाना	77.47%
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	50.90%
राउरकेला इस्पात कारखाना	59.33%
तिस्को	74.7%
इस्को	44.3%

इस अवधि में कम उत्पादन होने के मुख्य कारणों में बिजली की कमी, जिससे राउरकेला और दुर्गापुर कारखाना और टिस्को और इस्को के उत्पादन में कमी हुई, कोयले की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि न होना, जिसका कारण भी बिजली की कमी थी और जिससे भिलाई, राउरकेला टिस्को और इस्को के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा ; और दुर्गापुर में मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होना है । अगस्त-सितम्बर, 1973 में दुर्गापुर इस्पात कारखाने के धमन-भट्टी विभाग के कास्ट हाउस सैक्शन के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण 25 दिन के लिये सारे कारखाने में काम ठप्प रहा ।

लगभग पिछले 2 वर्षों में सभी इस्पात कारखानों में अधिक उत्पादन करने के रास्ते में बाधक अड़चनों और त्रुटियों पर काबू पाने के लिए कई उपाय किए गये हैं, इन उपायों में दूसरे उपायों के साथ-साथ उत्पादन सुविधाओं में वर्तमान असंतुलन को ठीक करने तथा उपकरणों की बेहतर उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए अनुपूरक सुविधाओं तथा नवीकरण/बड़ी बड़ी मरम्मतों के कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था करना शामिल है । जहां तक बिजली की कमी का सम्बन्ध है, सम्बन्धित राज्य सरकारों और दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारियों से इस्पात कारखानों कोयला खानों और कोयला शोधनशालाओं को उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से कहा गया है ।

(घ) इस्पात की मांग बढ़ रही है और आगामी वर्षों में बढ़ी हुई मांग केवल वर्तमान क्षमता से ही पूरी नहीं की जा सकती । इसलिए यह आवश्यक है कि न केवल वर्तमान इस्पात कारखानों का उत्पादन अधिक से अधिक किया जाये बल्कि वर्तमान कारखानों की क्षमता को बढ़ाकर तथा नए कारखाने लगाकर अतिरिक्त क्षमता भी बनाई जाए ।

भारी इंजीनियरिंग निगम को हुआ घाटा

688. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के भारी इंजीनियरी निगम के कार्यकरण के परिणामों से पता चलता है कि इस उपक्रम को 4.4 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) क्या बाद के महीनों में अर्थात जुलाई से आगे के महीनों में कारखाने के विभिन्न विभागों के उत्पादन, लक्ष्य से बहुत कम है और मशीन टूल सेक्शन में बिल्कुल उत्पादन नहीं हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इतने भारी घाटे और उत्पादन में इतनी कमी के क्या कारण है और उपरोक्त निगम के लिये लगातार घाटा होते रहने के कारणों का पता लगाना और उपचारात्मक उपाय करना क्यों सम्भव नहीं था और यदि कोई कार्यवाही नहीं है तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जुलाई से सितम्बर, 1973 तक हैवी इंजीनियरी निगम ने अपने तीन एककों अर्थात हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, फाउन्ड्री फोर्ज प्लान्ट और हैवी मशीन टूल प्लांट में उत्पादन-लक्ष्य का निम्नलिखित प्रतिशत प्राप्त किया है :

	एच० एम० बी० पी०	एफ० एफ० पी०	एच० एम० टी० पी०
जुलाई, 1973	73 %	63.7 %	50 %
अगस्त, 1973	67.4 %	72.0 %	कुछ नहीं।
सितम्बर, 1973	58.8 %	56.2 %	100%

अगस्त, 1973 में हैवी मशीन टूल प्लांट तीन मशीनी औजारों का लक्ष्य पूरा नहीं कर सका लेकिन इसनें एक मशीन का 90 %, दूसरी का 50 % और तीसरी का 30 % काम पूरा किया है, इसके अलावा हैवी मशीन टूल प्लांट ने उजरती काम और सहायक काम का 25.57 मी० टन उत्पादन किया जबकि लक्ष्य 10.52 मी० टन का था।

(ग) जुलाई-सितम्बर, 1973 में उत्पादन में गिरावट और भारी हानि के कारण ये थे (1) बिजशी की कमी और बिजली की सप्लाई में रुकावट ; (2) रूस से सहायक वस्तुओं का उपलब्ध न होना, जिससे हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ; और (3) फाऊंड्री फोर्ज प्रोजेक्ट में कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रों में अपर्याप्त भार।

विद्युत सम्भरण में सुधार करने का प्रश्न बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पास पहले ही उठाया गया है और वे 20 मेगावाट का निरन्तर सम्भरण करने के लिए सहमत हो गए हैं। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट द्वारा अपेक्षित सहायक समान रुप से प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किया जा रहा है। फाऊंड्री फोर्ज प्रोजैक्ट में सभी भार कन्द्रों के लिए पर्याप्त भार प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। हैवी मशीन टूल प्लांट में दूसरी पारी चालू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जो इसकी क्षमता का और अच्छी तरह उपयोग करने में सहायक होगी।

इस्पात सयंत्रों को कोयले की सप्लाई करने और इस्पात के अपव्यय पर रोक लगाने का सुझाव देने के लिए उच्छवित प्राप्त समितियां

689. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात संयंत्रों को कोयले की सप्लाई की श्रेष्ठतर प्रक्रिया का सुझाव देने और ऐसे क्षेत्रों का भी सुझाव देने, जहां इस्पात के अपव्यय पर रोक लगाई जा सके, के लिये उच्च शक्ति प्राप्त दो समितियां गठित की हैं;

(ख) क्या इन समितियों ने सरकार को अपने प्रतिवदन प्रस्तुत कर दिये हैं और यदि हां, तो उनमें क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस्पात का उत्पादन, सरकारी और गैर-सरकारी इस्पात संयंत्रों के लिये निर्धारित उत्पादन के अनुसार हुआ है और यदि नहीं, तो प्रत्येक संयंत्र में अब तक कितनी कमी रिकार्ड की गई है और उन क क्या कारण हैं तथा वतमान स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कोयले के परिवहन और वितरण की समस्याओं की जांच करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई गई है । समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ साथ इस्पात कारखानों के लिए कोयले का लदान तथा इसकी ढुलाई शामिल है । ऐसे क्षेत्रों में जिनमें इस्पात का अपव्यय रोका जा सकता है, के बारे में सुझाव देने के लिए कोई "उच्च शक्ति समिति" नहीं बनाई गई है । "देश में इस्पात की खपत में मितव्ययिता लाने" के बारे में एक समिति बनाने के प्रश्न पर इस समय सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है । आशा है औपचारिक रूप से इस समिति का गठन शीघ्र ही किया जाएगा ।

(ख) कोयला परिवहन और विरतरण के बारे में उच्च-स्तरीय समिति की आज तक दो बैठकें हुई हैं और समिति ने कुछ सुझाव भी दिए हैं । इस समिति द्वारा की गई सिफारिशें नीचे दी गई हैं :

(1) इस्पात कारखानों और कोयला शोधनशालाओं को कोयला ले जाने के लिए डिब्बों की उपलब्धि में वृद्धि करना ।

(2) एक मानीटरिंग सेल स्थापित करना जिसका काम यह सुनिश्चित करना होगा कि कोयला खानों, शोधनशालाओं और इस्पात कारखानों में रेल के डिब्बों के आने जाने में आने वाली दिन प्रतिदिन की कठिनाईयों का यथाशीघ्र हल निकाला जाए और जल्दी से जल्दी लदान के स्तर को बढ़ाया जाय और उसे बनाए रखा जाए ।

(3) इस्पात कारखानों और कोयला खानों को इस बात के लिए सभी प्रयत्न करने चाहिए कि इस्पात कारखानों, शोधनशालाओं और खानों में रेल के डिब्बों को कम से कम समय के लिए रोका जाए ।

(4) बिजली घरों, सीमेंट, रेलवे और अन्य बड़े-बड़े उद्योगों की आवश्यकताएं पूरी करने की हर कोशिश की जाए ।

(5) साफ्ट कोक का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जाएं ।

(6) पश्चिमी बंगाल और बिहार के गन्तव्य स्थानों तक सड़क से साफ्ट कोक ले जाने को उत्साहित किया जाए ।

(7) विभिन्न प्रकार का कोक ले जाने के लिए रेल के डिब्बों की संख्या में वृद्धि की जाए ।

(8) विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण स्थानों पर कोयले के भण्डार बनाए जाएं ।

(9) नौवहन और परिवहन मंत्रालय को देश के भीतरी जल-मार्गों द्वारा कोयले के परिवहन की योजना पर और अधिक गहराई से विचार करना चाहिए ।

(10) नौवहन और परिवहन मंत्रालय को कोयले का तटीय परिवहन बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए ।

(ग) निम्नलिखित सारणी में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात के पांच कारखानों का अप्रैल, अक्टूबर, 1973 की अवधि के लिए इस्पात पिण्ड और विक्रेय इस्पात के उत्पादन लक्ष्य, इस अवधि में वास्तविक उत्पादन और उत्पादन में कमी दी गई है :

हजार टन

कारखाना	लक्ष्य		वास्तविक उत्पादन अप्रैल-अक्टूबर 1973		कमी	
	इस्पात पिण्ड	विक्रेय इस्पात	इस्पात पिण्ड	विक्रेय इस्पात	इस्पात पिण्ड	विक्रेय इस्पात
भिलाई	1286.0	1010.0	1129.7	991.1	156.3	18.9
दुर्गापुर	559.0	452.0	475.9	200.9	83.1	251.1
राउरकेला	738.7	490.7	623.0	397.5	115.7	93.2
टिस्को	1096.8	824.4	871.3	664.9	225.5	159.5
इस्को	371.7	268.3	258.6	201.7	113.1	66.6
कुल	4052.2	3045.4	3358.5	2456.1	693.7	589.3

जिन बड़े-बड़े कारणों से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है वे हैं –बिजली को कमी जिससे दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात कारखानों और 'टिस्को' और 'इस्को' के उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ा है ; भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों और 'टिस्को' और ईस्को" के लिए कोयले की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि न होना जिसका कारण भी बिजली की कमी तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाने और कुछ हद तक राउरकेला इस्पात कारखाने में मालिक मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होना। दुर्गापुर में धमन भट्टी विभाग के कास्ट हाउस सेक्शन के कर्मचारियों द्वारा अगस्त-सितम्बर, 1973 में 25 दिन की हड़ताल जिस से सारे कारखाने में काम ठप्प हो गया था।

दीर्घकालीन प्रत्युपायों को जिन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है, के अलावा सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारियों से इस्पात कारखानों, कोयला खानों और कोयला शोधनशालाओं को उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से अनुरोध किया गया है।

इस्पात का अधिकतम उत्पादन करने की नीति

690. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या दुर्गापुर, इण्डियन, आयरन एण्ड स्टील कंपनी और भिलाई इस्पात संयंत्रों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है और यदि हां, तो देश में इस्पात का अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने और आयात को कम करने के लिये क्या नीति अपनाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : पांचवी योजना में हमारी नीति वर्तमान कारखाने से इस्पात का अधिकतम उत्पादन करने की है। भिलाई इस्पात कारखाने की 25 लाख टन पिण्ड की वर्तमान क्षमता को 40 लाख टन पिण्ड तक बढ़ाने का प्रस्ताव है और बोकारो इस्पात कारखाने का काम जारी रखा जाएगा जब तक कि 47.5 लाख टन पिण्ड की क्षमता प्राप्त नहीं हो जाती। इस प्रकार 62·5 लाख टन पिण्ड की अतिरिक्त क्षमता बनाई जाएगी। जिससे 1978–79 तक इस्पात की आवश्यकताएं लगभग पूरी हो जाएंगी। इस्को के बर्नपुर स्थित कारखाने में संयंत्रों और उपकरणों को ठीक हालत मे लाने के लिए प्रतिस्थापन कार्यक्रम भी हाथ में ले लिया गया है ताकि इस कारखाने से अधिकाधिक उत्पादन किया जा सके।

परिवहन सुविधाओं के अभाव क कारण भिलाई में ढलवा लोहा जमा हो जाना

691. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण भिलाई में 42,000 टन ढलवां लोहा पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) 8–11–73 को भिलाई इस्पात कारखाने में 40,600 टन कच्चे लोहे का स्टाक था। रेलवे तथा कारखाने द्वारा किए गये भरसक प्रयत्नों के फलस्वरूप गत दो महीने से स्टाक में कमी आ रही है। यथा-सम्भव अधिकतम मात्रा में कच्चा लोहा ले जाने के लिए हर कोशिश की जा रही है।

अल्जीयर्स सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्र में बंगलादेश के प्रवेश का समर्थन

692. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या अल्जीर्यस में हुए गुटनिर्पेक्ष देशों के सम्मेलन ने बंगलादेश के सयुंक्त राष्ट्र में प्रवेश का समर्थ न किया था ; और

(ख) क्या यह निर्णय सर्वसम्मति से किया गया था ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) अल्जीयस में सम्पन्न गुट निर्पेक्ष देशों के चतुर्थ शिखर सम्मेलन में एक अनुशंसा को स्वीकार किया गया जिसने सयुंक्त राष्ट्र में बंगला देश के प्रवेश का समर्थन किया गया था। कुछ आपतियों के बावजूद इस अनुशंसा को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

इस्पात के लिए होल्डिग कम्पनियां बनाना

693. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) इस्पात के लिये होल्डिग कम्पनियां बनाये जाने के सम्बन्ध में और कोई प्रगति नहीं हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसक क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) इस्पात के लिए होल्डिंग कम्पनी बना ली गई है और स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड जनवरी, 1973 को निगमित की गई थी। इस कम्पनी की सहायक कम्पनीयां, जो इसके पूर्ण स्वामित्व में हैं, निम्नलिखित हैं :—

1. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ।
2. नेशनल मिनरल्ज डवेल्पमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
3. मेटालरजिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेंटस इंडिया लिमिटेड
4. हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड
5. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
6. बोकारो स्टील लिमिटेड
7. मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड
8. सेलम स्टील लिमिटेड

इस्पात के लिए कोई और होल्डिंग कंपनी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारियों को बोनस न दिया जाना

694. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी, नहीं भिलाई इस्पात कारखाने ने बोनस अधिनियम, 1965 के उपबन्धों के अनुसार वर्ष 1972—73 के लिए अपने कर्मचारियों को उनके वेतन/ मजदूरी का 8.33% बोनस देने की घोषणा की है ।

'जूट' श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं

695. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट श्रमिक अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या उपाय किये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव लोक सभा की मेज़ पर रख दी जाएगी ।

पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशालय द्वारा दिल्ली में एक स्थानीय डीलर से आयातित 'हाई स्पीड' इस्पात का क्रय

696. **श्री सत्पाल कपूर :**
श्री शशि भूषण : } क्या **पूर्ति तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति तथा निपटाम का महानिदेशालय आयातित 'हाई स्पीड' इस्पात का क्रय दिल्ली में एक स्थानिय डीलर से करता है ;

(ख) यदि हां, तो पूर्ति नथा निपटान का महानिदेशालय प्रति वर्ष कितना आयातित 'हाई स्पीड' इस्पात खरीदा जाता है और इसके लिये कितना मूल्य दिया जाता है और जिस डीलर से यह खरीदा जाता है उसका नाम क्या है ;

(ग) क्या पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशालय को आयात लाइसेंस मिल सकता है और यदि हां, तो उन्होंने इसके लिये सरकार से आयात लाइंसेंस प्राप्त करने का प्रयास क्यों नहीं किया ; और

(घ) क्या पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशालय द्वारा दिल्ली की जिस कम्पनी से 'हाई स्पीड' इस्पात खरीदा जाता है , इसके पास आयात के लिये आयात लाइंसेंस है ?

पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिरलकर) :(क) आयातित हाई स्पीड इस्पात की खरीद पूर्ति और निपटाम महानिदेशालय द्वारा प्रतियोगी टेंडरों के आधार पर की जाती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान दिल्ली की 4 फर्में आर्डर प्राप्त करने में सफल रहीं।

(ख) 2 विवरण जिनमें अपेक्षित जानकारी दी गई है सलंग्न है।

विवरण–1 में, 1971, 1972 तथा 1973 (अक्तूबर तक) के दौरान दिल्ली के व्यापारियों से की गई खरीद का कुल मूल्य दिया गया है। (ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 5703/73)

विवरण–2 में, विभिन्न वस्तुओं के विवध ठेकों के संबध में फर्मों को अदा किया गया मूल्य दिया गया है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5703/73)

(ग) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा अपनाई गई क्रय प्रक्रिया के अनुसार विदेशी पूर्तिकर्ताओं अथवा उनके भारतिय एजेंटों को आर्डर, जहां वे जहाज पर्यन्त निशुल्क अथवा लागत, बीमा, भाड़ा के आधार पर उपलब्ध होते है दिए जाते हैं बशर्ते कि मांग कर्ता विभाग द्वारा पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई जाए तथा माल के आयात के वास्ते उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त हो। इन मामलों में कोई आयात लाइंसेस लेना जरुरी नहीं है। परन्तु, जहां मांगर्कता द्वारा विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं कराई जाती है अथवा आयात के लिए उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता, भारतीय फर्मों को रेल पर्यन्त निशुल्क आधार पर आर्डर दिए जाते हैं। जिनमें भुगतान भारतीय रुपयों में करना होता है।

(घ) यह जानकारी एकत्रित की जा रही है। तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

'आर्मी आर्डनेंस कोर' में भण्डाररक्षण कार्मिकों (स्टोरकीपिंग पर्सोनेल) को राजपत्रित अधिकारियों के रूप में पदोन्नति

697. **श्री सतपाल कपूर :**
श्री आर० के० सिन्हा : } क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'आर्मी आर्डनेंस कोर' में ऐसे कितने भण्डार-रक्षण (स्टोर कीपिंग पर्सोनल) हैं जिन्हें हाल ही में राजपत्रित अधिकारियों के रूप में पदोन्नत किया गया है ;

(ख) क्या पदोन्नत किए गए व्यक्तियों में से लगभग सभी ऐसे व्यक्ति जिनके पास अपेक्षित अर्हताएं (मैट्रिक अथवा उससे ऊपर) थीं, लिपिक वर्ग के कार्मिक के साथ-साथ 5 वर्ष से 20 वर्ष तक की अवधि के लिए कार्यलयों में नियुक्त थे ; और

(ग) यदि हां, तो किन कारणों से कार्यालय अधीक्षक की, राजपत्रित पदों पर उनके साथ-साथ पदोन्नती हेतु विचार नहीं किया गया जिसके अधीन उन्होंने कार्यालयों में काम किया था ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) हाल में 83 भण्डार-रक्षण कर्मचारियों को आर्डनेंस अधिकारी (सिविलियन) (भण्डार) के रुप में विद्यमान प्रत्याशित खाली जगहों पर पदोन्नति के आदेश जारी किए गए थे । अपने उच्चतर पद का कार्यभार सम्हालने से पहले एक वरिष्ट भण्डार-अधिक्षक की मृत्यु हो गयी और एक ने पदोन्नति को अस्वीकार कर दिया ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) कार्यालय अधीक्षकों को आर्डनेन्स अधिकारी (सिविलियन) (भण्डार) के पद पर सीधी पदोन्नति नहीं मिलती । लेकिन कार्यालय अधीक्षक आर्डनेंस अधिकारी (सिवलियन) (प्रशासन) के पद पर पदोन्नति पाने के हकदार हैं ।

'आर्मी आर्डनेंस कोर' में लोअर डिवीजन क्लर्क

698. **श्री सपतपाल कपूर :**
श्री आर० के० सिन्हा : } क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्मी आर्डनेंस में ऐसे कितने लोअर डिवीजन क्लर्क हैं जो 31 अगस्त, 1973 को वेतनमान की अधिकतम सीमा प्राप्त कर चुकें हैं ;

(ख) आगामी पांच वर्षों में कितने लोअर डिवीजन कलर्क वेतनमान की अधिकतम सीमा प्राप्त कर लेगें ; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) में से कितने व्यक्तियों की आगामी पांच वर्षों क दौरान पदोन्नति होने की सम्भावना है और कितने व्यक्ति अपने वर्तमान वेतनमान के अनुसार बिना किसी पद्दोनति के सेवा निवृत हो जायेंगें ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आर्मी आर्डनेंस कोर के लिपिक संवर्ग की पदोन्नति में गतिरोध

699. **श्री सतपाल कपूर :**
श्री आर० के० सिन्हा : } क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्मी आर्डनेंस कोर के लिपिक संवर्ग की पदोन्नति में भारी गतिरोध है और जिन व्यक्तियों को 1944 में 'लोअर डिविजन क्लर्की' के रूप में भर्ती किया गया था, उन्हें अभी तक, अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति नही किया गया है ;

(ख) क्या बहुत से लोअर डिवीजन क्लर्क बिना किसी पदोन्नति के सेवा-निवृत हो गए हैं यदि हां, तो 1968 के बाद ऐसे कितने लोअर डिवीजन क्लर्क सेवा-निवृत हुए हैं ;

(ग) इस कोर के उन लोअर डिवीजन क्लर्कों का वर्ष बार ब्योरा क्या है जिन्हें वर्ष 1944 1945 और 1946 के दौरान भर्ती किया गया था और अभी भी उसी ग्रेड में हैं ; और

(घ) उनकी पदोन्नति में गतिरोध दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) सेवा आर्डनेंस कोरों के लिपिक संवर्ग में गतिरोध के बारे में समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । निम्नलिखित भाग (घ) के उत्तर में बताई गई उपयुक्त कार्यवाही की गई थी ।

पूछी गई वास्तविक सूचना तत्काल उपलब्ध नही है । यह एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) उच्च संवर्गों में पदो के अनुभव में वृद्धि द्वारा पदोन्नति के अवसर मे सुधार के लिए 1969 में कदम उठाए गए थे । तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रकाश में इसमें और सुधार करने के विचार से मामला विचाराधीन है ।

आर्मी आर्डनेंस कोर में कार्यालय अधीक्षकों के लिए पदोन्नति के अवसर

700. **श्री सतपाल कपूर :**
श्री आर० के० सिन्हा : } क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अगस्त 1973 को आर्मी आर्डनेंस कोर में नियुक्त कार्यालय अधीक्षकों की संख्या कितनी थी ;

(ख) क्या उनमें से अधिकांश को गत 10–20 वर्षों से पदोन्नति नहीं हुई है और वे इसी ग्रेड में सेवा-निवृत हो जाएंगें ; और

(ग) यदि हां, तो उनके लिए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

रत्नगिरि एल्यूमीनियम संयंत्र

701. **श्री मधु दण्डवते :**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : } क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले में सरकारी क्षेत्र में एल्यूमीनियम का एक कारखाना लगाये जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार का निर्णय बदल दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भारत एल्यूमिनियम ने रत्नगिरि जिले में एल्यूमिनियम कारखाना लगाये जाने के सम्बन्ध में आरम्भिक कार्य के लिये नियुक्त कर्मचारियों को वापस बुला लेने का निर्णय किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

संयुक्त राष्ट्र में युद्धबंदियों और कश्मीर का मामला उठा कर पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते का उल्लंघन

702. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी प्रधान मंत्री श्री भुट्टो द्वारा संयुक्त राष्ट्र मंच पर युद्धबंदियों और कश्मीर के मामले का उठाया जाना शिमला समझौते में स्वीकृत 'द्वीवपक्षीय' सिद्धांत का उल्लंघन है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का ध्यान औपचारिक रूप से शिमला समझौते के इस उल्लंघन की ओर दिलाया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार यह महसूस करती है कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रधान मंत्री का भाषण शिमला और दिल्ली समझौतों के अनुकूल नहीं था । फिर भी, यह आवश्यक नहीं समझा गया कि, इस विषय पर पाकिस्तान सरकार के साथ औपचारिक तौर पर लिखा-पढ़ी की जाए ।

लघु इस्पात संयंत्र लगाने के लिये राज्यों को सहायता देना

703. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु इस्पात संयंत्र लगाने के लिये राज्य क्षेत्र के उद्यमों को हर सम्भव सहायता देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में कितने लघु इस्पात संयंत्र लगाये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इन में से प्रत्येक लघु संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता कितनी होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) भारत सरकार ने राज्य क्षेत्र / संयुक्त क्षेत्र में लगाए जा रहे लघु इस्पात कारखानों को सीधे कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है । फिर भी राज्य क्षेत्र के उपक्रम अपनी तकनीकी आर्थिक क्षमता के आधार पर सरकारी वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं । सरकार इन प्रायोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए सभी संभव सहायता देगी ।

(ख) और (ग) संभवत : अभिप्राय राज्य / संयुक्तक्षेत्र के लघु इस्पात कारखोनों से है । इन प्रायोजनाओं का विवरण इस प्रकार है :--

	नाम	क्षमता (टन)	स्थान	जिस तारीख को आशय पत्र / सी० ओ० बी० / औद्यौगिक लाइसेंस दिया गया
		विलेट्रस		
1	मैसर्स पंजाब स्टेट इन्डस्ट्रियल डिवेल्पमेन्ट कारपोरेशन (यह प्रायोजना मैसर्स पंजाब कनकास्ट एन्ड कं० द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । यह कम्पनी इस प्रयोजन के लिए बनाई गई है ।)	50,000	लुधियाना (पंजाब)	24-12-70 (सी० ओ० बी०)
2	दि हरियाणा स्टेट इन्डस्ट्रियल डिवेल्पमेन्ट कारपोरेशन	50,000	हरियाणा	18-6-71 (आशय पत्र)
3	दि यू०पी० स्टेट इन्डस्ट्रियल डिवेल्पमेन्ट कारपोरेशन	100,000	यू० पी०	28-6-71 (आशय पत्र)
4	दि इन्डस्ट्रियल डिवेल्पमेन्ट कारपोरेशन आफ उडीसा लि०	240,000	उड़ीसा	15-9-72 (आशय पत्र)
5	दि आन्ध्र प्रदेश इन्डस्ट्रियल डिवेल्पमेंट कारपोरेशन	50,000	आन्ध्र प्रदेश	11-11-71 (आशय पत्र)
6	दि राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रियल एन्ड मिनरल डिवेल्पमेन्ट कारपोरेशन लि०	50,000	राजस्थान	21-3-72 (आशय पत्र)

	नाम	क्षमता (टन)	स्थान	जिस तारीख को आशय पत्र/ सी० ओ० बी०, औद्योगिक लाइसेंस दिया गया
7	दि स्टेट इन्डस्ट्रियल एन्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ महाराष्ट्र (सिकोम)	75,000	महाराष्ट्र	19–8–72 (आशय पत्र)
8	मेसर्स गोगटे-स्टीलस लि० तारापुर (सिकोमे के सहयोग से)	50,000	महाराष्ट्र	8–10–73 (औद्योगिक लाइसेंस)
9	मेसर्स स्टील कम्प्लेक्स, फेरोके, केरल (केरल स्टेट इन्डस्ट्रियल डिवल्पमेंन्ट कारपोरेशन के सहयोग से)	50,000	केरल	16–3–72 (औद्योगिक लाईसेंस)
10	दि गुजरात इन्डस्ट्रियल डिवेल्पमेन्ट कारपोरेशन	50,000	भावनगर	27–8–73 (आशय पत्र)
11	दि आसाम इन्डस्ट्रियल डिवेल्पमेन्ट कारपोरेशन	50,000	आसाम	27–8–73 (आशय पत्र)
12	ईन्डो वर्मा पेट्रोलियम, जो सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है के मैसर्स ब्रिज एन्ड रुफ कं० लि०	50,000	बिहार	27–8–73 (आशय पत्र)

मेसर्स स्टील कम्प्लेक्स लि० ने 26–8–73 को पहली भटटी चालू कर दी है। पंजाब कनकास्ट ने सूचित किया है कि वे अपनी पहली भटटी नवम्बर 1973 के अन्त तक चालू कर देंगे। शेष प्रायोजनाएं अभी कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है और इनके चालू वर्ष में चालू होने की सम्भावना नहीं है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा विभिन्न राज्यों में घड़ियों के गौण एकक स्थापित करना

704. श्री के० लकप्पा :
श्री पी० गंगादेव : } क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा विभिन्न राज्यों में घड़ियों के गौण एककों की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) योजना का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और इस पर शीघ्र ही सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ।

भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थिति

705. **श्री के० लकप्पा :**
श्री पी० गंगादेव : } क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरिंग उद्योग में उत्पादन, विस्तार तथा निर्माण कार्य अपर्याप्त रुप से नहीं हो रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ; और

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए देश में इस्पात उपयोग के ढंग का भी अध्ययन किया जा रहा है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सरकारी क्षेत्र के भारी इंजीनियरी एककों में इस वर्ष उत्पादन में वृद्धि हुई है । भारी उद्योग मंत्रालय की देख-रेख में आने वाले गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों से प्राप्त रिपोर्टों से भी उत्पादन में हुई वृद्धि का पता लगता है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यों के अंतर्गत सम्भाव्यता का पूर्ण अध्ययन कर लेने के पश्चात ही सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विस्तार का प्रस्ताव हाथ में लिया जाता है । निर्माण कार्य में बहुत अधिक बिलम्ब का कोई मामला भारी उद्योग मंत्रालय के समक्ष नहीं आया है, सीमेंट, इस्पात और औद्योगिक गैसों की कम सप्लाई की कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । इस्पात मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न किस्म के इस्पात की मांग का पुनरीक्षण किया जाता है और इस मांग को पूरा करने के लिये उचित कार्यवाही की जाती है ।

विशाखापत्तनम, विजय नगर और सेलम में इस्पात मिलों की स्थापना

706. **श्री सर्यनारायण** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशाखापत्तनम, (आन्ध्र प्रदेश), विजयनगर (मैसूर) और सेलम (तमिलनाडु) में इस्पात मिलों की स्थापना के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक आरम्भ किये गये कार्यों की रुपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जहां तक सेलम के विषेश इस्पात कारखानों का सम्बन्ध है अवस्थापन सुविधाओं के विकास के साथ साथ स्थल तैयार करने का काम आरम्भ कर दिया गया है । जहां तक विशाखापत्तनम और विजयनगर इस्पात प्रायोजनाओं का सम्बन्ध है भूमि अर्जन तथा कुछ प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिये गये हैं ।

दक्षिण में इस्पात संयंत्रों के लिए पांचवी पंच वर्षीय योजना में प्रावधान

707. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण में तीन इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारुप में क्या प्रावधान किया गया है ; और

(ख) क्या ये प्रावधान प्रर्याप्त हैं और प्रत्येक प्रस्तावित एकक में कुल कितना निवेश होगा, उसकी क्षमता क्या होगी व स्थापना संबंधी समयावली क्या होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) पांचवीं पंच-वर्षीय योजना का प्रारुप तैयार किया जा रहा है। दक्षिण में लगाये जाने वाले तीन इस्पात कारखानों पर पूंजी निवेश के बारे मे तभी लग सकेगा जब पांचवीं पंच वर्षीय योजनाओं के प्रारुप को अन्तिम रुप दे दिया जायेगा।

रत्नगिरी के एल्युमीनियम संयंत्र के स्थान में परिवर्तन

708. **श्री अण्णासाहिब गोटखिडे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र में रत्नगिरि स्थित एल्यूमिनियम संयंत्र के स्थान में परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का इस बारे में क्या निर्णय है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

फेडरेशन आफ डीफेंस सर्विस इण्डस्ट्रियल वर्कर्स का अपने वेतनमानों और सेवा शर्तों पर विचार करने के लिए समिति का अनुरोध

709. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन आफ डीफेंस सर्विस इण्डस्ट्रियल वर्कर्स ने उनसे अनुरोध किया है कि उनमें असन्तोष को दूर करने के विचार में उनके वेतन-मानों, कार्य और सेवा शर्तों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) रक्षा स्थापनाओं में विभिन्न ट्रैडों को ग्रेड सरंचना के वर्गीकरण पर विचार करने के लिए समिति स्थापित करने के प्रश्न पर रक्षा मंत्रालय की संयुक्त परामर्शदायी तन्त्र की विभागीय परिषद में विचार किया गया था। इस पर वेतन आयोग द्वारा भी विचार किया गया और उन्होंने सिफारिश की है कि आद्योगिक स्थापनाओं में चयनात्मक आधार पर प्रयोग के रुप में एक सीमित दायरे में विशेषकर औद्योगिक और मानकीकृत नौकरियों के लिए वेतन मानों, कार्य और सेवा की शर्तो के लिए 'विशेषज्ञ निकाय' स्थापित किए जा सकते हैं । सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। इस निर्णय के अनुसार अगली कार्रवाई की जा रही है।

चेकोस्लोवाकिया के लिये बेरोजगार भारतीय जन शक्ति

710. **श्री वीरभद्र सिंह** :
श्री ई० वी० विखे पाटिल : } क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे कुशल तथा अर्द्ध-कुशल श्रमिकों को चेकोस्लोवाकिया भेजने का है जिन्हें उचित रोजगार नहीं मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मोटी रुपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या अतिरिक्त श्रमिकों को विदेशों में भेजने का सुझाव चेकोस्लोवाकिया के लिये ही है या अन्य देशों के लिये भी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) जी नहीं। चैकोस्लोवाकिया या किसी अन्य देश को कुशल अथवा अर्द्ध-कुशल कारीगर भेजने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

लम्ब्रेटा स्कूटरों के निर्माण के लिये सरकारी क्षेत्र की परियोजना

711. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लम्ब्रेटा स्कूटरों (दो तथा तीन पहियों वाले) के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र की परियोजना की स्थापना की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) लखनऊ म कारखान की इमारत का निर्माण हो रहा है । दो पहियों वाले स्कूटरों का निर्माण करने के लिये इटली के मै० इन्नोसेंटी से आयात किये गये सभी मशीनी औजार और उपकरण स्थल पर पहुंच गये हैं । तीन पहियों वाले स्कूटरों संयंत्र के लिए जनवरी, 1974 तक मशीने मिल जाने की आशा है । दो पहिये वाले स्कूटरों का उत्पादन अगस्त, 1974 में प्रारम्भ हो जाने की आशा है ।

(ख) लगभग 12 करोड़ रुपये ।

पाकिस्तान सीज़ थैट फ्रांम इण्डिया

712. **श्री एम० सुदर्शनम** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16-9-1973 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "अजीज़ स्टिल सीज़ थैट फ्रांम इण्डिया" शीर्षक के समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) पाकिस्तान सहित किसी देश के विरुद्ध हमारी कोई आक्रमक कुदृष्टि नहीं है । तथापि हमारे रक्षा उपायों की योजना बनाते समय पाकिस्तान में हुई उन सभी गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है ।

नाविक रंगरूटों की भर्ती के बारे में नौसेना अध्यक्ष का वक्तव्य

713. **श्री एम० सुदर्शनम्** :
श्री ए० के० गोपालन : } क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नौसेना अध्यक्ष के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें सरकार से नाविक रंगरुटों के चयन की वर्तमान पद्धति में परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) नौसेनाध्यक्ष ने नाविक रंगरुटों के चयन की वर्तमान पद्धति में परिवर्तन करने के लिए कोई वक्तव्य नहीं दिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में क्षेत्रीय पार-पत्र (पासपोर्ट) कार्यालय खोलना

715. **श्री ए० के० गोपालन :**
श्रीमती भार्गवती तनकप्पन : } क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार केरल में क्षेत्रीय पार-पत्र कार्यालय खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब तक खोला जायेगा, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) केरल में अलग से एक पासपोर्ट कार्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार बहुत हद तक विचार कर चुकी है और इस बात का हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले में अन्तिम निर्णय ले लिया जाय ।

मत्स्य पकड़ने वाली नौका, 'आकाश मारू–23' के गुम हो जाने के संबंध में जांच

716. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने मत्स्य पकड़ने वाली एक नौका आकाश मारु-23 क सितम्बर के दूसरे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में गुम हो जाने की परिस्थितियों को जांच करने के लिए केन्द्र सरकार से सहायता मांगी थी ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने किस प्रकार की सहायता दी ; और

(ग) यदि कोई सहायता नहीं दी गई तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) गुम हुई मछली पकड़ने वाली नौका के बारे में ज्यूंही समाचार प्राप्त हुआ कलकत्ता के मर्कन्टाइल मेरीन विभाग के प्रमुख अधिकारी ने गुम हुई मछली पकड़ने वाली नौका की खोज करने के लिए बंगाल खाड़ी में जहाजों को चौकन्ना करने के लिए रेडियों पर प्रसारण का प्रबंध किया । नौसेना प्राधिकारियों तथा भारतीय वायु सेना द्वारा खोज भी की गई थी । उनके प्रयत्नों को सफलता नहीं मिली । जहाजरानी के महानिदेशक इस सारे मामले में जांच-पड़ताल कर रहे हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Manufacture of passenger chassis by Ashok Leyland

717. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Ministr of **Heavy Industry** be pleased to state the number of Ashok Leyland "Comet" ALCOP 3/2-176.

W.B. Passenger chassis manufactured in the Company from 1st September, 1972 to 30th September, 1973 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : Thirty-eight.

Manufacture of Tata Diesel Vehicles by TELCO

718. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state the number of Tata Diesel vehicles Model LPT 1210 D 142 manufactured by Tata Engineering and Locomotive Company from 1st September, 1973 to 30th September, 1973 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh): 1576.

Export of "S 'Pilot 500' 501096" Lathe Machines manufactured by H.M.T.

719. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether "S 'Pilot 500' 501096" Lathe machines manufactured by H. M. T. are exported to foreign countries only;

(b) if so, the amount of foreign exchange earned as a result of export of such machines during the last two years ; and

(c) whether the said machines were sold in this country also, and if so, the number thereof and the names of the firms which were supplied these machines ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a) and (b) No, Sir. No such lathe has been exported so far.

(c) A total of 18 's' pilot Lathes worth Rs. 42 lakhs were sold in the domestic market.

सरकारी क्षेत्र में भारी विद्युत संयंत्रों की क्षमता के उपयोग में सुधार

720. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के कुछ महीनों में सरकारी क्षेत्र के भारी विद्युत संयंत्रों में क्षमता के उपभोग में कुछ सुधार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की उपयोगिता की प्रतिशतता क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1973 के प्रथम छ० महीनों में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० के सभी एककों में क्षमता का उपयोग गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 62 प्रतिशत अधिक हुआ है ।

कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना

721. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुद्रेमुख लोह अयस्क परियोजना का परित्याग कर दिया है जिसके अनुसार लोह अयस्क का निर्यात पतले गारे के रूप में किया जाने का विचार था ; और

(ख) यदि हां, तो कुद्रेमुख से अयस्क के निर्यात के लिये सरकार किस वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) प्रायोजना के विदेशी भागीदारों ने बताया है कि दूषण-रोधक उपायों के कारण जापान द्वारा कुद्रेमुख गारे का पैलेट बनाने के लिए आयात करने की उम्मीद नहीं है। सिन्टर फीड के रूप में गारे का निर्यात करने की तकनीकी सम्भाव्यता तथा आर्थिक सक्षमता के बारे में अध्ययन किए जा रहे हैं।

केरल को लोह और इस्पात की सप्लाई

722. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल को लोह और इस्पात की अपर्याप्त सप्लाई की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो केरल को उनकी पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजनायें बनाये जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) इस्पात की कई श्रेणियों की मांग उपलब्धि से अधिक है। वर्तमान वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्यवार आवंटन नहीं किए जाते हैं। इस्पात के आवंटन का विनियमन इस्पात प्राथमिकता समिति करती है जो इस्पात के अन्ततः उपयोग, जिसके लिए इस्पात की आवश्यकता होती है, उपलब्धि और स्पर्धी मांगों को ध्यान में रखती है।

केरल में कोयले की कमी

723. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल राज्य में कोयले की भारी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो केरल राज्य को कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने के लिये क्या विशेष उपाय क़िये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) केरल में कोयले की खपत बहुत कम है। इसके अलावा, सरकार को केरल राज्य में कोयले की कमी के बारे में अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात की मांग और उसका उत्पादन

724. **श्रीमती भार्गवी तनकम्प्पन :**
श्री वी० मायावन :
} क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की **कृपा** करेंगे कि :

(क) इस समय इस्पात की अनुमानित मांग क्या है;

(ख) इस समय वास्तविक उत्पादन कितना होता है ; और

(ग) प्रत्याशित मांग पूरी करने के लिए सरकार का क्या विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) **मांग तथा** उपलब्धि का अनुमान लगाने के लिए लोहे और इस्पात की टास्क फोर्स द्वारा गठित किए गए **योजना** दल ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 1973–74 में इस्पात की घरेलू मांग लगभग 67 लाख टन **होगी ।** वर्तमान संकेतों के अनुसार मुख्य कारखानों का उत्पादन लगभग 50 लाख टन होने की संभावना **है ।** विद्युत भट्टी इकाईयों तथा अन्य पुनर्वेलकों का उत्पादन 11.6 लाख टन होने का अनुमान है ।

(ग) यह मांग देशीय उत्पादन तथा आयात द्वारा पूरी करने का विचार है ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तांबे की आवश्यकता और उसकी उपलब्धता

725. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितने तांबे की आवश्यकता होगी और उस समय तक कितना तांबा उपलब्ध होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तांबे की आवश्यकता 1,05,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष आंकी गई है जबकि उस समय तक देशी उत्पादन से 45,000 मीट्रिक टन तांबा प्रति वर्ष उपलब्ध होगा । बाकी आवश्यकता की पूर्ति आयातित तांबे से की जाएगी ।

रण विधवाओं और सेना के अपंग कर्मचारियों को गैस की एजेंसियां और निःशुल्क भूमि आवंटन करने के बारे में केरल से शिकायत

726. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को केरल से ऐसी कोई शिकायतें मिली हैं जो रण-विधवाओं और सेना के अपंग कर्मचारियों को उनके पुनर्वास हेतु गैस की एजेंसियों और निःशुल्क भूमि के आवंटन के बारे में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है कि नाम मात्र व्यक्तियों को न्याय मिले ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) युद्ध में हुई विधवाओं तथा विकलांग सेना **कार्मिकों** को गैस एजेन्सियां तथा भूमि के आवंटन के संबंध में केरल से कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Mini Steel Plant in Ballia District, U.P.

727. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether a proposal to set up a mini steel plant in Ballia District (Uttar Pradesh) as under consideration ; and

(b) if so, the total expenditure to be incurred thereon and the time by which production is likely to commence ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) and (b) A letter of Intent has been granted to the U.P. State Industrial Development Corporation for setting up an electric furnace cum continuous casting complex for the manufacture of one lakh tonnes of mild steel billets per annum. The plant is proposed to be located in Ballia District of Uttar Pradesh. The proposal envisages an investment of approximately Rs. 8 crores. As the project is still in the initial stage of implementatoin, no precise indication regarding the time by which the unit would be commissioned can be given now.

कोयले का बढ़ा हुआ विक्रय मूल्य

728. **श्री रोबिन सेन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-कोककारी कोयला खानों को सरकारी नियंत्रण में लिये जाने के पश्चात कोल माइन्स आथोरिटी लिमिटेड, ने कोयले का विक्रय-मूल्य बढ़ा दिया है ;

(ख) कोयले खानों को सरकारी नियत्रंण में लिये जाने के ठीक पहले और बाद में कोयले की भिन्न भिन्न किस्मों (ग्रेडज) की दरें क्या थी ; और

(ग) क्या कोयले के विक्रय मूल्य की बढ़ी हुई दरों से प्राप्त राशि को कोयला खानिकों के कल्याणकार्यों पर खर्च किया जाता है अथवा किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिये ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं

(ख) गैर कोककारी कोयला खानों के अधिग्रहण के बाद कोयला खान प्राधिकरण ने गैर-सरकारी क्षेत्र की सयुंक्त कार्यकारी समिति द्वारा घोषित मूल्यों को स्वीकार किया था जो दिसम्बर, 1972 से लागू थे । ये निम्नलिखित हैं :—

बंगाल और बिहार कोयला क्षेत्र

कोयला ग्रेड	स्टीम रु०	कोयला चर्ण रु०
बढ़िया–क	48.00	47.00
बढ़िया–ख	45.00	42.00
ग्रेड–I	42.00	39.00
ग्रेड–II	38.00	35.00
ग्रेड–III क	35.89	32.62
ग्रेड–III ख	34.74	31.45

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और गुजरात के बाह्य कोयला क्षेत्र

कोयला ग्रेड	स्टीम	कोयला चूर्ण
	रु०	रु०
बढ़िया	46.50	44.50
ग्रेड I	44.25	41.25
ग्रेड II	42.25	39.25
ग्रेड III	41.25	38.25

(ग) प्रश्न नहीं उठाता ।

वेतन ढांचे के पुनरीक्षण के लिये कोयला खान उद्योग के लिए समझौता वार्ता समिति

729. **श्री रोबिन सेन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान उद्योग के वेतन ढांचे के पुनरीक्षण के लिये एक संयुक्त द्विपक्षीय समझौता-वार्ता समिति बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या समिति के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी, हां । आशा है समिति 6 महीने की अवधि में कार्य पूरा कर लेगी ।

अरब-इजरायल युद्ध के संबंध में सुरक्षा परिषद द्वारा पारित युद्ध विराम संकल्प के प्रति भारत की प्रतिक्रिया

730. **श्री त्रिदिव चौधरी :**
श्री श्रीकिशन अग्रवाल : } क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अरब-इजराइल युद्ध बन्द करने सम्बन्धी वार्ता तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 22 अक्टूबर, 1973 को पारित किये जाने वाले युद्ध-विराम के संकल्प के बारे में अमरीका और सोवियत संघ द्वारा सूचित किया हुआ था ; और

(ख) युद्ध विराम संकल्प के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा युद्ध-विराम के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति और सम्बन्धित पक्षों द्वारा नवम्बर, 1967 में सुरक्षा परिषद द्वारा पारित किये गये संकल्प संख्या 242 को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में स्थिति क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पश्चिम एशिया की हाल की लड़ाई में, भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, मिश्र, सीरिया और कई अन्य देशों के साथ संपर्क बनाए रखा । सरकार को राजनायिक तथा अन्य प्रयासों की जानकारी थी जिनके परिणामस्वरूप सुरक्षा परिषद में 22 अक्टूबर, 1973 को युद्ध-विराम प्रस्ताव संख्या 338 स्वीकार किया गया था ।

(ख) विदेश मंत्रालय के अधिकृत प्रवक्ता ने 22 अक्तूबर, 1973 को एक वक्तव्य में युद्ध विराम प्रस्ताव के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी थी, जिसकी एक प्रति सदन की मेज़ पर रख दी गई है। (**ग्रंथालय में रखी गयी 'देखिए' संख्या एल० टी० 5704/73**)

हमारी सूचना के अनुसार इजराइल ने 22 अक्तूबर, 1973 के बाद जमीन कब्जे में ली है और अपने सैनिक ठिकानों को सुदृढ़ किया है। उसके बाद मिस्र और इज़राइल के सैनिक कमांडरों के बीच 22 नवम्बर, 1973 को एक और समझौता हुआ है कि वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा कराए गए युद्ध-विराम का ईमानदारी के साथ पालन करेंगे।

भारत सरकार का ख्याल है कि अक्टूबर, 1973 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्तावों में लिखी बातों पर उसी भावना के अनुरूप पूर्ण रूप से पालन करने से पश्चिम एशिया में वास्तविक शांति हो सकेगी।

पूर्वी बंगाल के विस्थापितों के पुर्नवास के लिए वृहद योजना

731. श्री त्रिदिव चौधरी : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री पूर्वी बंगाल के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए वृहद योजना के बारे में 19 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7617 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वृहद योजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का क्या निर्णय है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के उत्पादन में बाधा

732. श्री त्रिदिव चौधरी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान गत माह (अक्तूबर 1973) को दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के अधिकारी संघ द्वारा दुर्गापुर संयंत्र के उत्पादन में बार बार आने वाली बाधाओं तथा अधिकारियों की अपनी शिकायतों के बारे में लिखित खुले पत्र की ओर जो मंत्री महोदय के लिए लिखा गया बताया जाता है, दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्गापुर की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में इस खुले पत्र के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र अधिकारी संघ से 10 अक्तूबर, 1973 की तारीख का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कारखाने के उत्पादन में बार बार रुकावट आने का ज़िक्र किया गया है।

(ख) पत्र में मुख्य रूप से यह सुझाव दिया गया है कि उत्पादन में हाल में आई रुकावटों की जांच कराई जानी चाहिए और कारखाने को सही ढ़ंग पर लाने के लिए आवश्यक ठोस उपायों के बारे में केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लेने की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए। कारखाने के सामने जो समस्याएं हैं वे सर्व विदित हैं। कारखाने के प्राधिकारी इन्हें सुलझाने के बारे में अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं। इस बारे में सहायक सभी रचनात्मक सुझावों का स्वागत है।

पांचवी योजना के दौरान भारी मशीन बनाने वाले संयंत्र के लिये योजनायें

733. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्**
श्री पी० डी० पटेल } क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में पांचवीं योजना अवधि में भारी मशीन बनाने वाले संयंत्र स्थापित करने के लिए योजना आयोग को कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) प्रस्तावित संयंत्र की मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) भारी मशीन बिल्डिंग संयंत्र की रोलिंग मिल तथा अन्य उपकरण की निर्माण क्षमता अनुमानत: 20,000 मी० टन हो जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के प्रतिरक्षा उपक्रमों में काम आने वाली सामग्री के आयात के लिये लाइसेंसों का देना बन्द करना

734. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्**
श्री प्रसन्न भाई मेहता } क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अन्तिम रूप से यह निर्णय कर लिया है कि सरकारी क्षेत्र के प्रति रक्षा उपक्रमों में काम आने वाली सामग्री के आयात के लिए नए लाइसेंस न दिये जाएं अथवा विदेशी सहयोग की अनुमति ही दी जाए ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भारत अन्य देशों की सहायता के बिना अपनी रक्षा व्यवस्था में सुधार लाने में समर्थ होगा ?

रक्षा मंत्रालय में (रक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ख) रक्षा उत्पादन के मामले में विदेशी तकनीकी सहयोग के बिना कार्य करने तथा जहां तक सम्भव हो स्वदेशी अनुसंधान तथा विकास पर ही निभर रहने का निर्णय किया गया है । तथापि, जहां किसी विशेष मद में आधुनिकतम प्रौद्यौगिकी की आवश्यकता पड़ती है जिसका अभी तक देश में विकास नहीं किया गया है उसमें अभी भी विदशी तकनीकी सहायता प्राप्त करना अथवा उस पर निर्भर रहना आवश्यक हो सकता है जो या तो एक साथ ही कुल तकनीकी जानकारी के क्रय द्वारा अथवा ऐसे मद के उत्पादन के लिए सीमित अवधि तक सहयोग के द्वारा किया जाता है ।

(ग) जी हां श्रीमन् । यह समझा जाता है कि ऐसी नीति से अधिकतम स्वावलम्बन तथा अपने स्वयं के अनुसंधान तथा विकास संगठन के माध्यम से स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास करने में सहायता मिलेगी ।

भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा श्री लंका का दौरा

735. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्**
श्री डी० के० पण्डा : } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका गया था और उसकी श्रीलंका के अधिकारियों से श्री मावो-शास्त्री समझौता के पूरे क्रियान्वयन के प्रश्न पर चर्चा हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी परिणाम क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) विदेश सचिव श्री केवल सिंह के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमंडल ने 14 से 17 अक्तूबर 1973 तक श्रीलंका की यात्रा की थी और श्रीलंका के अधिकारियों के साथ आपसी हित के बहुत से मामलों पर विचार-विमर्श किया था जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का विषय भी सम्मिलित है। इस वर्ष फरवरी में श्रीलंका में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच श्री मावो-शास्त्री संधि पर अमल पूरा करने पर विचार-विमर्श किया गया था और तभी इस बात पर सहमति हुई थी कि दोनों सरकारों के अधिकारियों के बीच अगली बैठक नई दिल्ली में होगी। भारत और श्रीलंका के अधिकारी प्रस्तुत समस्याओं को निपटाने के लिए और दोनों देशों के बीच नजदीकी एवं सौहार्दपूर्ण संबन्धों को विकसित करने के लिए समय समय पर मिलते रहे हैं।

भारतीय नौसेना के लिये विमान वाहक युद्धपोतों की उपयोगिता

736. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**
श्री वी० मायावन : } क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अहमदाबाद से प्रकाशित होने वाले 'टाइम्स आफ इण्डिया' दिनांक 22 अगस्त, 1973 में 'भारतीय नौसेना के लिए विमान वाहक युद्धपोतों की उपयोगिता पर संदेह' शीर्ष के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञ भारतीय विमान वाहक युद्धपोत, 'विक्रांत' के सम्बन्ध में सम्पादक के विचारों से सहमत है ; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय विमान वाहक युद्धपोतों को बदलने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) और (ग) उसमें व्यक्त विचारों से सरकार सहमत नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बीड़ी कर्मचारियों के वेतन में असमानता

737. **श्री शशि भूषण :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में बीड़ी कर्मचारियों को दिये जाने वाले असमान वेतनों से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ; और

(ख) इस बीच किन-किन राज्यों ने बीड़ी कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिये हैं तथा इस बात के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि अन्य राज्यों द्वारा भी ऐसा ही किया जाये ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जून, 1972 में मैसूर में तथा 17 जनवरी, 1973 को नई दिल्ली में हुई सम्बन्धित राज्यों के श्रम मंत्रियों की बैठकों में इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया था। बाद की बैठक में यह स्वीकार किया गया था कि बीड़ी श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में असमानताओं को कम करने के लिए विद्यमान न्यूनतम मजदूरी को, कुछ राज्यों/क्षेत्रों में पहले से प्रचलित उच्चतर मजदूरी पर बगैर प्रतिकूल प्रभाव डाले, 1000 बीड़ी लपेटने के लिए 3.25 रुपये प्रतिदिन (3.50 रुपये प्रतिदिन तक की विभिन्नताओं सहित) तक लाया जाए।

(ख) असम, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, करनाटक और उड़ीसा की सरकारों ने न्यूनतम मज़दूरी को संशोधित कर दिया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और त्रिपुरा की सरकारों ने टिप्पणियां मांगते हुए, बीड़ी श्रमिकों की मजदूरी के पुनरीक्षण संबंधि प्रस्ताव को अधिसूचित किया है। सूचित किया गया है कि पश्चिम बंगाल और केरल में, पहले से ही मजदूरी उस मजदूरी से उच्चतर है जो कि 17-1-1973 को हुई राज्य श्रम मंत्रियों की बैठक में स्वीकृत की गयी थी। शेष राज्यों के साथ इस मामले की पैरवी की जा रही है।

रक्षा सेवाओं को उपकरण तथा अन्य वस्तुएं सप्लाई करने वाली फर्में/कम्पनियां

738. **श्री शशि भूषण :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र की कौन सी फर्में तथा कम्पनियां तीनों रक्षा सेवाओं को उपकरण तथा आम वस्तुओं के भंडार सप्लाई कर रही है ;

(ख) कौन कौन सी वस्तुएं सप्लाई की जाती हैं और किन दरों पर ;

(ग) क्या इस प्रकार की सप्लाई से गैर-सरकारी फर्में भारी लाभ कमा रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो गैर-सरकारी फर्मों के लाभों को कम करके संगत बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) रक्षा सेवाओं के लिए स्टोरों को मदें प्राप्त करने के लिए कई एजेन्सियां हैं अर्थात पूर्ति एवं निपटान महानिदेशक, रक्षा पूर्ति विभाग, तीन सेना मुख्यालय, उनके स्टोर डिपो और उनकी कई यूनिटें और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय। स्टोर प्राप्त करने वाली एजेंसियां कई सौ होंगी। स्थायी मदों के प्राप्त करने का कार्य सामान्यत: पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय कर रहा है। जिन मदों का विकास करना होता है उन्हें सेनाओं के लिए रक्षा पूर्ति विभाग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। खाद्य सामग्री तथा अन्न, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के सेना क्रय संगठन द्वारा प्राप्त किया जाता है। 50,000 रु० तथा

कम मूल्य के स्थायी मदों का क्रय सीधे ही सेनाओं द्वारा किया जाता है। (1) तीनो सेनाओं को उपस्करों तथा स्टोर की पूर्ति करने वाली गैर-सरकारी फर्मों तथा कंपनियों के नाम (2) पूर्ति किए गए मद और (3) और दरों के संबंध में सूचना कई खण्डों में होगी और समेकित रूप में सूचना देना बिल्कुल असम्भव होगा। इसके अतिरिक्त, इसमें जो श्रम लगेगा वह होने वाले लाभ के अनुरूप नहीं होगा।

(ग) और (घ) अधिकतर क्रय पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय द्वारा प्रतियोगी दरों के आधार पर किया जाता है। निविदाओं पर निर्णय करते समय पिछले क्रय मूल्य पर बढ़ोतरी के कारणों पर विचार किया जाता है और मूल्यों के औचित्य पर विचार कर लिए जाने के पश्चात ही आर्डर दिए जाते हैं। रक्षा के हिसाब में पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के ठेको के प्रति पूर्ति करने वाली फर्मों द्वारा लाभ की मात्रा का पता लगाना सम्भव नहीं है। स्वामित्व आधार पर क्रय के बारे में दर की लागत संरचना पर विचार कर लिया जाता है और यह सुनिश्चित कर लिया जाता है, जहां तक संभव हो, मांगा गया लाभांश उचित स्तर पर है।

रक्षा पूर्ति विभाग मुख्यत: उन्ही मदों का कार्य कर रहा है जिनका विकास किया जाता है और जिनका अब तक आयात किया जाता था अथवा जिन्हें सेवाओं में पहली बार लाया जा रहा है।

फिर भी बहुत से सालों में तुलनात्मक दरें उपलब्ध हैं, दरों को स्वीकार करने से पूर्व सामान्यत: मूल्यों को कम करने के प्रयत्न किए जाते हैं।

रक्षा पूर्ति विभाग में अन्तिम रूप दिए जाने वाली अधिकांश संविदाओं में एक समिति द्वारा बात-चीत की जाती है। इस समिति में वित्त मंत्रालय, प्रयोक्ताओं, तकनीकी समितियों आदि के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं जिस में सरकार को अधिकतम लाभ पर स्टोर प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं।

अरब संघर्ष के संबंध में भारतीय रवैये के स्पष्टीकरण के लिए मध्य पूर्व की भारतीय मिशन

739. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अरब संकट के सम्बन्ध में भारत के रवैये के स्पष्टीकरण तथा अरब संघर्ष के समर्थन हेतु कोई मिशन मध्य-पूर्व भेजा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : जी नहीं। इस सम्बन्ध में भारत द्वारा अरब हितों के समर्थन की बात सुविदित है और विदेश स्थित हमारे दूतावास तथा संयुक्त राष्ट्र में हमारे स्थायी प्रतिनिधि संबंधित देशों क नेताओं से बराबर सम्पर्क बनाए हुए हैं।

पाकिस्तान को ईरान के रास्ते से अफ्रीकी शस्त्रों की सप्लाई

740. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका द्वारा बनाए लघु शस्त्र तथा अन्य सैनिक उपकरण ईरान के रास्ते से पाकिस्तान को दिए अथवा भेजे जा रहें हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) हमारी सूचना के अनुसार, जिसमें पाकिस्तान से प्राप्त अखबारी रिपोर्ट शामिल है, ईरान से पाकिस्तान को कुछ अमरीकी हथियार और उपकरण भेजे गए हैं।

(ख) भारत सरकार ने सभी सम्बद्ध देशों की सरकारों पर निरन्तर यह ज़ोर दिया है कि सीधे या परोक्ष रूप से पाकिस्तान को हथियार भेजने से उपमहाद्वीप में सामान्य स्थिति लाने की प्रक्रिया में बाधा पड़ेगी और वह हमारे लिए ज़बर्दस्त चिन्ता का कारण बन जाएगा।

अल्जीयर्स में गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन

741. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अल्जीयर्स में हुए गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) क्या भारत, गुट निरपेक्ष देशों के लिए स्थायी सचिवालय की स्थापना का समर्थन करने वाले देशों में से था ; और

(ग) क्या सरकार ने गुट निरपेक्ष देशों का अगले सम्मेलन दिल्ली में बुलाने का निमन्त्रण दिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) अल्जीयर्स के गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के नाम 'परिशिष्ट "क" में दिए गए हैं।

(ख) जी नहीं। भारत गुट-निरपेक्ष देशों के लिए स्थायी सचिवालय स्थापित करने के पक्ष में नहीं है क्योंकि हमारे विचार से इसका गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के स्वरुप और संभावनाओं पर बुरा असर पड़ेगा।

(ग) अगला गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1976 में कोलम्बो में करने का निश्चय हो चका है।

विवरण

परिशिष्ट "क"

अल्जीयर्स सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधियों के नाम

1. श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रधान मंत्री.....नेता
2. सरदार स्वर्ण सिंह, विदेश मंत्री।
3. श्री पी० एन० हकसर, प्रधान मंत्री के विशेष सलाहकार।
4. श्री केवल सिंह, विदेश सचिव।
5. श्री वाई० टी० शाह, वाणिज्य सचिव।
6. श्री के० बी० लाल, भारत का राजदूत, बेल्जियम।
7. श्री मोहम्मद यूनुस, सचिव, वाणिज्य मंत्रालय।
8. श्री ऐस० शहाबुद्दीन, भारत का राजदूत, अल्जीयर्स।
9. श्री एन० कृष्णन, संयुक्त सचिव (यू० एन०), विदेश मंत्रालय।

10. श्री एन० पी० जैन, मंत्री—संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप-स्थायी प्रतिनिधि ।

11. श्री ए० एन० डी० हक्सर, निदेशक (यू० एन०), विदेश मंत्रालय ।

12. श्री एस० एम० हाशमी, निदेशक, विदेश मंत्रालय ।

13. श्री शारदा प्रसाद, निदेशक, प्रधान मंत्री सचिवालय ।

14. श्री एस० एम० एस० चड्ढा, निदेशक (य० एन०), विदेश मंत्रालय ।

15. श्री एम० आर० श्राफ, विशेषाधिकारी, वित्त मंत्रालय ।

16. श्री बी० एन० दत्त, परामर्शदाता भारत का राजदूतावास, काहिरा ।

17. श्री एम० मलहोत्रा, उप सचिव, प्रधान मंत्री सचिवालय ।

18. श्री आर० एन० मुले, प्रथम सचिव, भारत का हाई कमीशन, लाग्रोस ।

19. श्री रणजीत सेठी, प्रथम सचिव, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन ।

20. श्री आर० जी० मेनन, प्रथम सचिव, भारत का राजदतावास, अल्जीयर्स ।

21. श्री एफ० वी० रमन, द्वितीय सचिव, भारत का राजदूतावास, अल्जीयर्स ।

भावनगर, सौराष्ट्र में मशीन टूल्स प्लांट स्थापित करने सम्बन्धी गुजरात सरकार की योजना

742. **श्री पी० जी० मावलंकर :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता : } :क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार प्रतिकूल होने पर भी गुजरात सरकार ने भावनगर, सौराष्ट्र में मशीन टूल्स प्लांट स्थापित करने की अपनी योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्लांट के लिये गुजरात सरकार को फिर भी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी ; और

(ग) इस मामले में गुजरात सरकार के आवेदन पर केन्द्रीय सरकार के विरोध के क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) गुजरात इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड जो गुजरात सरकार का एक उपक्रम है ने, गुजरात के भावनगर में एक मशीनी औजार संयंत्र स्थापित करने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसैंस के लिए हाल ही में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस आवेदन पर सरकार सक्रिय रुप से विचार कर रही है। गुजरात इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ने इस परियोजना के लिए किसी भी विशिष्ट केन्द्रीय सहायता की मांग नहीं की है ।

औद्योगिक संबंधी विधेयक

743. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक का प्रतिरुप तैयार कर लिया है ; और

(ख) यह नया विधेयक संसद में किस तारीख तक पेश किया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) नये विधान के ब्यौरे अभी तक भी तैयार किए जा रहे हैं और विधेयक को संसद में यथा-संभव शीघ्र पेश करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

उपदान अधिनियम, 1972 में त्रुटियां

745. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी और भारतीय संस्थानों ने, जिनके कर्मचारियों की संख्या कई राज्यों में दस से अधिक है किन्तु प्रत्येक राज्य में दस से अधिक है, यह तर्क देते हुए उपदान अधिनियम 1972 के अन्तर्गत अपने कर्मचारियों को उपदान देने से इनकार कर दिया है कि अधिनियम के अन्तर्गत हम उपदान देने के लिए बाध्य नहीं हैं ;

(ख) क्या ऐसे किसी संस्थान के कर्मचारियों की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान उक्त अधिनियम में विद्यमान किसी अन्य त्रुटि की ओर दिलाया गया है, और यदि हां, तो उसका स्वरुप क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) इस प्रकार का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है ।

(ख) सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन करने के लिए कुछ प्रस्तावों की जांच की जा रही है ।

बोकारो इस्पात संयंत्र की "स्लैबिंग मिल" (पट्टियां बनाने वाली मिल) का निर्माण

746. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र की स्लैबिंग मिल के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) यह मिल कब तक चालू होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) अब तक लगभग 90% सिविल तथा संयचनात्मक कार्य, 70% यांत्रिक उपकरणों की स्थापना का कार्य तथा विद्युत उपकरणों की स्थापना का 60% कार्य पूरा किया जा चुका है । टेस्टिंग तथा फिनिशिंग कार्य भी साथ-साथ आरम्भ किया जा रहा है ।

(ख) स्लैबिंग मिल के वर्ष 1974 के आरंभ में चालू हो जाने की संभावना है ।

बोकारो इस्पात संयंत्र स्टील मैल्टिंग काम्पलेक्स

747. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र के स्टील मैल्टिंग काम्पलेक्स में दो 100 टन संपरिसर्तकों (कन्वरटरों) के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) मैल्टिंग काम्पलेक्स में इस्पात उत्पादन कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है और स्टील मैल्टिंग काम्पलेक्स की कुल निर्धारित क्षमता कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) 100 टन के प्रथम कन्वर्टर को इस समय परीक्षण के तौर पर चलाया जा रहा है। 100 टन का दूसरा कन्वर्टर लगाने का काम अब लगभग पूरा होने वाला है।

(ख) आशा है दिसम्बर 1973 तक इस्पात पिण्ड का उत्पादन होना आरम्भ हो जाएगा।

(ग) स्टील मैल्टिंग शाप की जिसमें 100 टन के 4 कन्वर्टर होंगे, कुल निर्धारित क्षमता 17 लाख टन इस्पातपिण्ड प्रतिवर्ष है।

'सस्ता इस्पात संबंधी नीति' (चीप स्टील पालिसी) का पुनरीक्षण

748. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी विद्यमान 'सस्ता इस्पात सम्बन्धी नीति' का इस बीच पुनरीक्षण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस्पात के मूल्य सम्बन्धी नई नीति की मुख्य बातें क्या हैं और इसका सामान्य उपभोक्ता पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा।

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) इस्पात मूल्यन नीति में कुछ संशोधन किया गया है। उत्पादन लागत में वृद्धि कुछ प्रकार के इस्पात की खपत को कम करने की आवश्यकता, अर्थाव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों को इस्पात की सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकताओं के कारण ऐसा करना पड़ा।

(ग) (1) पलेटों, संरचनात्मकों तथा रेलवे सामग्री की तीन मुख्य श्रेणियों का, जिनका उपयोग मुख्य रुप से राज्य तथा केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र तथा मूल उद्योगों द्वारा किया जाता है, के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इन श्रेणियों के बारे में आम उपभोक्ताओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) अन्य किस्मों के इस्पात के मूल्यों में भिन्न भिन्न दरो से वृद्धि की गई है। इससे अधिकांश मामलों में आम उपभोक्ताओं पर मामूली प्रभाव पड़ेगा।

(3) ये मूल्य 14/15 अक्तूबर 1973 की अर्धरात्रि से लागू किये गये हैं।

(4) इंजीनियरी के माल के निर्यातकों के हितों की रक्षा की गई है।

सरकार द्वारा अपने अधिकार में न ली गई कोयला खानें

749. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अभी भी काफी संख्या में कोयला खानें सरकार द्वारा अपने अधिकार में नहीं ली गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) दो इस्पात संयंत्रों अर्थात टाटा आइरन एंड स्टील कम्पनी और इंडियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी की दस ग्रहीत खानों को छोड़ कर सभी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जस्ते की मांग तथा उपलब्धता

750. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जस्ते की मांग तथा उसकी उपलब्धता में अन्तर है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अन्तर को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) देश में विद्यमान दो प्रद्रावकों के, जिनकी कुल वार्षिक अनुज्ञप्त क्षमता 38,000 टन है, लगभग 24,000 टन के अनुमानित उत्पादन की तुलना में जस्ता के लिये वर्तमान (1973-74) मांग लगभग 1,31,000 टन आंकी गई है । जस्ता के लिये उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :--

(i) सरकारी क्षेत्र में स्थापित विद्यमान देवरी जस्ता प्रद्रावक की उत्पादन क्षमता का 18,000 टन से 45,000 टन प्रतिवर्ष तक विस्तार किया जा रहा है और यह विस्तार 1976-77 तक हो जाने की संभावना है ।

(ii) सरकारी क्षेत्र में विशाखापत्तनम (आन्ध्रप्रदेश) में 30,000 टन की क्षमता का एक नया जस्ता प्रद्रावक स्थापित किया जा रहा है जिसके 1976-77 तक चालू होने की संभावना है ।

(iii) मेसर्स कीमिनको बिनानी जिंक लिमिटेड को गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थित अपने बिनानीपुरम जस्ता प्रद्रावक का 20,000 से 40,000 टन प्रतिवर्ष तक विस्तार करने के लिये 'आशय पत्र' दिया गया है । विस्तार के 1977–78 तक पूरा होने की संभावना है ।

(iv) राजस्थान के राजपुरा-दरीबा अयस्क निक्षेप और राज्य के अन्य निक्षेपों पर आधारित, 1,00,000 टन (50,000 टन की दो प्रावस्थाओं में) की क्षमता का एक नया जस्ता प्रद्रावक सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

तमिलनाडु को श्रीलंका से आए विस्तथापितों के पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता

751. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने श्रीलंका से आए विस्थापितों के शीघ्र पुनर्वास हेतु केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार से श्रीलंका से लौटे प्रत्यावासियों के पुनर्वास के लिये सामान्य रीति के अनुसार वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में हाल में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। भारत सरकार ने प्रारम्भ से ही भारत श्रीलंका करार 1964 के अन्तर्गत भारत आने वाले प्रत्यावासियों के राहत और पुनर्वास के लिये वांछित धन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्वीकार की है। विशिष्ट योजनाओं और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में कुछ स्वीकृत पद्धतियों के अनुसार पुनर्वास के लिये ऋण और अनुदान मंजूर किये जाते हैं। उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार तमिलनाडु सरकार को अब तक 380.76 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी है।

तमिलनाडु में स्वीकृत योजनाओं को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **(मंत्रालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5705/73)**

दिसम्बर और अक्टूबर, 1973 के दौरान युद्धबन्दियों की वापिसी

752. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : } क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सितम्बर और अक्तूबर, 1973 में कुल कितने पाकिस्तानी युद्धबन्दी भारत से पाकिस्तान वापिस भेजे गये हैं; और

(ख) उन पर अनुमानत: कितना व्यय आया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सितम्बर 1973 के दौरान 77 युद्धबन्दियों को तथा अक्तूबर 1973 के दौरान 6169 को स्वदेश भेजा गया था।

(ख) संकलित किये गये खर्च के अनुसार, 30 सितम्बर, 1973 तक पाकिस्तानी युद्धबन्दियों जिसमें सुरक्षात्मक हिरासत में रखे गये असैनिक भी सम्मिलित हैं, लगभग 26,86,49,000 रुपए खर्च किये गये हैं। सितम्बर और अक्तूबर 1973 के दौरान जो युद्धबन्दी स्वदेश भेजे गये हैं उन पर किये गये खर्च को अलग से संकलित नहीं किया गया है।

रुरकेला इस्पात संयंत्र में विस्फोट

754. **श्री श्याम सुन्दर : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाल ही में रूरकेला इस्पात संयंत्र में कोई विस्फोट हुआ था और क्या कुछ ही दिन पश्चात उसी स्थान पर एक अन्य विस्फोट हुआ था, और यदि हां, तो इन दुर्घटनाओं की जांच का क्या परिणाम निकला है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : हाल में इस प्रकार का कोई विस्फोट नहीं हुआ है।

उड़ीसा सरकार और राउरकेला इस्पात संयंत्र के बीच भूमि के हस्तांतरण के बारे में करार

755. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उड़ीसा सरकार की ओर से राउरकेला इस्पात संयंत्र को भूमि के हस्तांतरण के बारे में करार को अन्तिम रूप दे दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : जी नहीं । अभी शर्तें तय की जानी है ।

रूरकेला इस्पात संयंत्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये उड़ीसा सरकार के कर्मचारी

756. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बोकारो, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये अन्य राज्य सरकारों के कर्मचारियों की तुलना में रूरकेला इस्पात संयंत्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये उड़ीसा सरकार के कर्मचारियों की संख्या कितनी है । ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : राउरकेला इस्पात कारखाने में उड़ीसा सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आये हुए कर्मचारियों की संख्या 23 है जिनमें 4 एग्जेक्यूटिव (संचालक) तथा 19 नान-एग्जेक्यूटिव हैं । तीन अन्य कारखानों में सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्रतिनियुक्ति पर आये हुए व्यक्तियों के तदनुरूपी आंकड़े निम्नलिखित हैं :–

	कुल	एग्जेक्यूटिव	नान-एग्जेक्यूटिव
दुर्गापुर	4	4	–
भिलाई	9	1	8
बोकारो	10	–	(उपलब्ध नहीं हैं)

आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए रक्षा उत्पादन का सुदृढ़ आधार

757. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रालय रक्षा उत्पादन का सुदृढ़ आधार बनाने का विचार कर रहा है और पर्याप्त रूप से आत्मनिर्भरता की स्थिति में होने का प्रयास कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो प्राप्त की गई आत्मनिर्भरता का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां । सरकार की यह घोषित नीति है कि रक्षा-संबंधी आवश्यकताओं के मामले में क्रमशः आत्म-निर्भरता प्राप्त की जाए । इस दिशा में सरकार ने देसी उत्पादन का ऐसा आधार बना लिया है जो प्रोद्योगिक दृष्टि से ठोस और रक्षा सेनाओं को हथियार तथा रक्षा उपस्कर संबंधी अन्य जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये समुचित है ।

(ख) हम छोटे हथियारों, हल्की तोपों और उनके गोला-बारूद के संबंध में आत्म-निर्भर हो गए हैं । फील्ड और मध्यम कोटि के तोपखानों के लिये क्रमशः देशी क्षमता का निर्माण किया जा रहा है । आर्मर्ड रेजीमेण्टों को उत्तरोत्तर देश में ही बने विजयन्त टैंकों से लेस किया जा रहा है नौ सेना के लिये हम लिवेण्डर-दलाल फ्रिगेट बना रहे हैं तथा वायु सेना के लिये साकत, मिग–21 और अल्बोट हवाई जहाज । रक्षा सेनाओं के लिये संचार उपस्कर तथा रडारों की आवश्यकताएं अधिकांशतः देशी उत्पादन से पूरी हो रहीं हैं । हजारों फैक्टरियों में एण्टी-टैंक मिसाइलों का उत्पादन भी शुरू हो गया है ।

लेकिन कुछ मामलों में उपस्कर और शस्त्रों का आयात अभी भी जरूरी है। ऐसा करना या तो स्थिति की आवश्यकता के कारण, का उपस्कर आदि के अत्यन्त परिष्कृत होने और इसलिये देश में उपलब्ध वर्तमान डिजाइन व विकास संबंधी सामर्थ्य से परे होने के कारण, या देश में उसे बनाने में अत्याधिक लागत आने के कारण जरूरी है।

श्रीलंका द्वारा भारतीय मछुओं की गिरफ्तारी

758. **श्री आर० एन० बर्मन :**
श्री हुकुम चन्द्र कछवाय : } क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री लंका सरकार द्वारा 3 सितम्बर, 1973 को कितने भारतीय मछुओं को पकड़ा गया था ;

(ख) श्रीलंका सरकार द्वारा उनको पकड़े जाने के कारण क्या है ;

(ग) क्या इन मछुओं को इस बीच रिहा कर दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इन मछुओं की रिहाई के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 61 भारतीय मछुओं को श्रीलंका सरकार ने 23 सितम्बर 1973 को गिरफ्तार किया था, 3 सितम्बर, 1973 को नहीं।

(ख) श्रीलंका सरकार के अनुसार ये मछुए इस कारण पकड़े गये थे कि वे श्रीलंका के उत्तरी तट से एक मील से कम दूरी पर श्रीलंका के प्रादेशिक जलक्षेत्र में मछलियां पकड़ रहे थे।

(ग) यह मामला कोलम्बो स्थित हमारे हाई कमीशन के जरिये श्रीलंका सरकार के साथ उठाया गया था और वे मछुए तत्काल छोड़ दिये गये थे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-भूटान सीमा सम्बन्धी पट्टी मानचित्र

759. **श्री आर० एन० बर्मन :**
श्री एम० एस० शिवस्वामी : } क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और भूटान के प्रतिनिधियों ने हाल ही में "भारत भूटान सम्बन्धी पट्टी मानचित्र" पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) क्या जनता को यह मानचित्र उपलब्ध कराया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) कुछ समय से दोनों पक्षों के सर्वेक्षण दल भारत-भूटान सीमा का सर्वेक्षण कर रहे हैं। हाल ही में भारत और भूटान के प्रतिनिधियों ने कुछ पट्टी मानचित्रों पर जिनका संबंध सीमा के उस हिस्से से है जिसका सीमाकंन हो चुका है और जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य है, हस्ताक्षर किये।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ; क्योंकि पूरी सीमा का सीमांकन नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Proposal to use Machines in Employment Exchanges for Keeping Records

769. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the **Minister of Labour** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to use recording machines in the Employment Exchanges for keeping records; and

(b) if so, the reasons which necessitated the use of the said machines and the likely improvement to be effected in the working of Employment Exchanges thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Bal Govind Verma): (a) and (b) Mechanisation of Employment Exchange operations for matching job-seekers against notified demands is being tried out at Delhi for rendering prompt and efficient service to job-seekers and employers.

गुजरात में रोड रोलरों की सप्लाई

761. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **पूर्ति तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य ने रोड रोलरों संबंधी अपनी आवश्यकतायें बता दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां । गुजरात सरकार ने पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को क्रमश: 1972–73 तथा 1973–74 में 57 तथा 100 रोड रोलर सप्लाई करने के वास्ते 2 मांग पत्र भेजे ।

(ख) देश की सीमित उत्पादन क्षमता के कारण रोड रोलरों की मांग पूर्णतया पूरी नहीं की जा सकी । गुजरात सरकार को, उनकी आवश्यकताओं को उचित प्राथमिकता देते हुए निम्नलिखित आवंटन किया गया :–

वर्ष	किया गया आवंटन
1972–73	33
1973–74	53

जामनगर, गुजरात में तांबे और पीतल की मांग

762. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में जामनगर में बिजली के फालत पुर्जों के निर्माण के लिये तांबे और पीतल की बड़ी मांग है ;

(ख) क्या भारत में तांबे और पीतल की भी बड़ी कमी है ; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार क्या पग उठा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

टेल्को एण्ड ट्यूब कम्पनी जमशेदपुर के पीड़ित श्रमिकों की पुनः बदली

763. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **श्रम** मंत्री 30 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4998 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पार्टियों के साथ न्यायालय से बाहर ही समझौता कर लेने सम्बन्धी उच्च-स्तरीय चर्चा के परिणाम स्वरूप टेल्को एण्ड ट्यूब कम्पनी जमशेदपुर के बरखास्त किये गये कर्मचारियों को पुनः बहाल कर दिया गया है और यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : इस मामले को सुलझाने के लिये, राज्य सरकार द्वारा प्रयास जारी हैं ।

ब्रिटेन, अमेरीका तथा सोवियत संघ में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी

764. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विदेश** मंत्री 30 अगस्त 1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 5085 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन, अमेरीका, तथा सोवियत संघ में अध्ययन कर रहे छात्रों की कुल संख्या संबंधी जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है और यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ;

(ख) क्या सोवियत संघ के साथ इस आशय का करार हुआ है कि केवल शिक्षा मंत्रालय अथवा आई० एस० सी० यू० एस० द्वारा प्रायोजित छात्रों को ही वहां के किसी विश्वविद्यालय में दाखिल किया जा सकता है ; जबकि ब्रिटेन तथा अमेरीका में यदि संबंधित विश्वविद्यालय चाहे तो किसी भी छात्र को प्रवेश दे सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस भेद भाव का क्या कारण है ; और यदि नहीं, तो इन तीनों देशों के बारे में तत्संबंधी वास्तविक स्थिति क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां । गत तीन वर्षों में यू० के०, अमेरीका और सोवियत संघ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है :—

देश का नाम	1970	1971	1972
यू० के०	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।	1,897	1,689
अमेरीका	5,137	5,683	4,071
सोवियत संघ	99	98	91

(ख) और (ग) ऐसा कोई समझौता तो नहीं है लेकिन सोवियत संघ की शैक्षिक संस्थाओं में तभी विदेशी विद्यार्थियों को दाखिला मिलता है जब कि वे सम्बद्ध सरकार द्वारा प्रायोजित किए गए हों अथवा उसने उन विद्यार्थियों के नामों का अनुमोदन किया हो, लेकिन यू० के० और यू० एस० ए० में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के उत्पादन की विविधता

765. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री वाई० ई० श्वर रेड्डी : } क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के उत्पादन में विविधता लाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस में कोई अतिरिक्त पूंजी लगानी होगी ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का विचार पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजनाओं में निम्नलिखित वस्तुओं का उत्पादन शुरु करके अपने उत्पादों में विविधता लाने का है :—

(1) स्लाइडिंग हेडस्टाक आटोमेटिक्स एण्ड हारोलोजिकल मशीनें ।
(2) न्यूमिरकल कन्ट्रोल मशीन टूल ।
(3) बेड टाइप मिलिगं मशीनें।
(4) लैंप बनाने की मशीनें, लैंप और लैंप के हिस्से-पुर्जे ।
(5) टूल रुम, डाइ शाप और हाइड्रोलिक एलीमेंट और पावर पैक ।
(6) प्लास्टिक निस्त्रवण मशीनें ।
(7) विशेष प्रयोजन की मशीनों की क्षमता बढ़ाना ।
(8) दबने वाली और रिजिड वील अल्युमीनियम ट्यूबों के लिए नि:स्त्रावण मशीनें ।
(9) वेब आफ सेट मशीनें ।
(10) मोटर सुधारने के उपकरण ।
(11) कृषि मशीनें तथा उपकरण ।
(12) घड़ियों के लिए मेन स्प्रिगं, हेयर रिंग, और शाक प्रूफ डेवाइस ।
(13) मेटल फार्मिंग मशीनें, ट्रांसफार एलीमेंट और संबंद्ध उपकरण ।
(14) सूक्ष्म मशीन टूल बियरिंग ।
(15) बाल तथा रोलर बियरिंगों का निर्माण करने के लिए सूक्ष्म मशीनें ।
(16) लाइनोटाइप हाट मेटल स्लग कास्टिग मशीनें ।
(17) पैक करने की मशीनें, कम्पोजिंग की मशीनें, टाइप सेटिंग, जिल्द साजी तथा सिलाई मशीनें और प्रोसेस कैमरा ।

(18) प्रिसिलन इन्स्ट्रयूमेंटेशन, कैमरा तथा टाइमर आदि ।

(19) इलेक्ट्रो डिस्चार्ज ट्यूबें ।

(ग) योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। कंपनी ने लगभग 40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त क्षमता परिव्यय का अनुमान लगाया है ।

Indian Team of Doctors sent to Syria

766. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have sent a team of Doctors to Syria in October 1973 with medicines and instruments ; and

(b) if so, the number of doctors and the value of medicines sent in Indian currency ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes Sir.

(b) The medical team consisted of 10 specialist Doctors and 4 Operating Room Assistants. The value of the medicines and equipment including instruments was about Rs. 3 lakhs.

Overtime Allowance Paid to Employees of Ministry of External Affairs during last three Years

767. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the amount of overtime allowance paid to the employees of his Ministry during the financial year, 1972-73 increased considerably as compared to that for the years 1970-71 and 1971-72;

(b) the year-wise amount of overtime allowance paid during each of the above financial years ; and

(c) whether in view of the financial difficulties, Government propose to slash down the estimated amount of overtime allowance to be disbursed during 1973-74 and if so, the action propsed to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes , Sir.

(b) 1970-71 ..	Rs. 5·81 Lakhs
1971-72	Rs. 5·09 Lakhs
1972-73	Rs. 7·18 Lakhs

(c) Yes, Sir. The decision of Government, on the recommendations of the Third pay Commission is that the system of grant of Over Time Allowance in non-industrial establishments shall continue, but the conditions under which this allowance may be granted shall be tightened.

Accident of Air Force Aircraft in Punjab

768. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether two Air Force aircraft met with an accident in October, 1973 in Punjab ; and

(b) the estimated loss and the results of the enquiry conducted by Government ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) This will be known only after the proceedings of the Court of Inquiry which is in progress are finalised :

Unions of Civil Employees in Indian Defence Establishments

769. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2643 on the 9th August, 1973 regarding the Unions of Civil Employees in the Indian Defence Establishments and state:

(a) whether information regarding Parts (a) and (b) of the question has since been collected ; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence Shri Vidya Charan Shukla : (a) and (b) Yes, Sir. There are at present 142 recognised unions of Civilians Employees in Defence Establishments all over India. The unions are functioning at unit/Area level. Besides the unions, there are two Federations of Defence civilians functioning at all-India level. Information regarding membership of the unions is, however, being collected and will be laid on the Table. of the Hosue.

विक्रांत के लिए हैरियर विमान

770. **श्री आर० के० सिन्हा :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : } क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विमान अपने वाहक 'विक्रांत' के लिए ब्रिटेन को हाकर सिडल्लो नामक से हैरियर विमान कंपनी से हैरियर विमान प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न किया गया ;

(ख) क्या सरकार हाकर सिडल्लो से हैरियर विमान प्राप्त करने में असफल रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और 'विक्रांत' के लिए विमान उपलब्ध करवाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है क्योंकि विमानों के बिना विक्रांत का किसी भी स्थिति जिसमें इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, में बेकार हो जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं श्रीयन ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) उपर्युक्त विमान प्राप्त करने के लिए सरकार विभिन्न प्रस्तावों का अध्ययन कर रही है ।

भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की युद्ध की तैयारी

771. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 सितम्बर, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स में' पाक बिल्डस सेबरल कैनाल्स, बन्डस फार वार्डर डिफेन्स' (पाकिस्तान सीमा सुरक्षा के लिए अनेक नहरें, बांध बना रहा है) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या पाकिस्तान भारत के विरुद्ध अपनी रक्षा सेवाओं को पूरी तरह तैयार कर रहा है ;

(ग) यदि हां, तो भारत इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए क्या उपाय कर रहा है; और

(घ) क्या हाल में भारत के साथ हुई लड़ाई में पाकिस्तान द्वारा उठाई गई हानि को उसने पूरा कर लिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन ।

(ख) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है जिससे भारत के विरुद्ध युद्ध के लिए पाकिस्तान की तैयारियों का पता चलता हो । लेकिन पाकिस्तान द्वारा अपने उपस्कर और प्रशिक्षण में सुधार लाने के लिए की जाने वाली सामान्य गतिविधियों की रिपोर्टें मिली हैं ।

(ग) पाकिस्तान में होने वाले ऐसे विकासों पर सावधानी पूर्वक निगरानी रखी जाती है जिसका हमारी सुरक्षा से संबंध हो । रक्षा संबंधी अपने उपायों की योजना बनाते समय इन विकासों को ध्यान में रखा जाता है ।

(घ) पाकिस्तान ने वायुसेना, थल सेना और नौसेना का जो सामान खोया था उसे काफी हद तक पूरा कर लिया है ।

राष्ट्रीय मजूरी नीति का निर्माण करने के लिए वेतन ढांचे का विश्लेशण के लिए सेल स्थापित करना

772. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने राष्ट्रीय मजूरी नीति का निर्माण करने के लिए आंकड़े एकत्रित करन और वेतन ढांचे का विश्लेषण करने के लिए श्रम मंत्रालय में एक मजरी सेल स्थापित करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा ;

(ग) यह किस सीमा तक लाभकारी होगा ; और

(घ) इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) जी हां। मजूरी आंकड़े और अन्य सम्बद्ध विषय-वस्तु एकत्र और विश्लेषित करने के लिए एक मजूरी सेल स्थापित करने का निर्णय किया गया है और यह महसूस किया जाता है कि यह नीतियों के मूल्यांकन और निर्माण में उपयोगी होगा।

अहमदाबाद टैक्सटामईल मिल ओनर्स एसोसिएशन और टैक्सटाईल लेबर एसोसिएशन के बीच करार

773. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनके मंत्रालय की सहायता से अहमदाबाद टैक्सटाईल मिल ओनर्ज़ एसोशिएशन और अहमदाबाद टैक्स्टाइल लेबर एसोशिएशन के बीच 12 सूत्रीय करार हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में काम करने वाले श्रमिकों को इससे कितना लाभ होगा ; और

(घ) क्या मिल मालिकों द्वारा करार को शीघ्र और पूर्ण रूप से क्रियान्वित करवाने के लिए इनके मंत्रालय द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोवन्द वर्मा) : (क) से (घ) यह मामला अनिवार्य रूप से राज्य के कार्यक्षेत्र में आता है।

गुजरात में स्पंज लोहे का कारखाना

774. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** :
श्री प्रभुदास पटेल : } क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात औद्योगिक विकास निगम ने गुजरात राज्य में प्राकृतिक गैस को अपचायक के रूप में इस्तेमाल करने वाला संयंत्र लोहा बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसेंस मांगा है ;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कहा है कि इस कारखाने के लिये प्रयोज्य सामग्री के रूप में इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक गैस उपलब्ध है ; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने लाइसेन्स देना स्वीकार कर लिया है ; और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक कर लिये जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) अपचायक के रूप में प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करके प्रतिवर्ष 1.80 लाख टन स्पंज लोहे का उत्पादन करने का गुजरात औद्योगिक निवेश निगम का प्रस्ताव लाइसेंस समिति ने अनुमोदित कर दिया है और उनको आशय-पत्र शीघ्र ही दे दिया जाएगा ; गुजरात औद्योगिक निवेष निगम ने सूचित किया है कि इस प्रायोजना के लिए प्राकृतिक गैस, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से उपलब्ध हो जायेगी।

इस्पात की कमी को पूरा करने के लिये कार्यवाही

775. **श्री प्रसन्न भोई मेहता :**
श्री वी० मायावन : } क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात की कमी को पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यवाही की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) इस्पात की कई श्रेणियों की उपलब्धि मांग से कम रही है । इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए उठाए गए कदमों में प्रौद्योगिक सुधारों द्वारा देशीय उत्पादन में वृद्धि करना, मालिक-मजदूर सम्बन्धों को बेहतर बनाना, संयंत्र और मशीनों के रख-रखाव में सुधार करना, आयात के मामले में विशेषत: ऐसी मदों के आयात के बारे में, जिनकी सप्लाई कम है, आयात की उदार नीति अपनाना, निर्यात का विनियमन और वितरण प्रणाली को दोषरहित बनाना शामिल हैं ।

Fall in production of Coal after Nationalisation of Coking and Non-coking Coal Mines

776. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Samar Guha : } Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether the production of coal has fallen after the nationalisation of coking and non-coking coal mines;

(b) if so, the extent of fall in production ;

(c) the reasons therefor; and

(d) the steps taken by Government to augment the production and the results thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) Compared to the production in the corresponding months of the year prior to the nationalisation, the production of coal after nationalisation, has not fallen.

(b) and (c) Do not arise.

(d) Reorganisation and reconstruction of the taken over mines with a view to maximising the production from the existing mines, are in hand. New mines, including some open cast mines, which would give production earlier, have also been taken up for development. These steps are expected to yield results in the Fifth Plan.

Fall of Production and Profit of Indian Copper Co. Ghatsila after Nationalisation.

777. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the production of copper and the profit earned thereon have fallen after the nationlisation of Indian Copper Company, Ghatsila.

(b) if so, the reasons for the fall in the production and profit; and

(c) the steps taken by Government to augment the production and increase the profit?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Following steps have been taken for increasing the production at Indian Copper Complex, Ghatsila.

(i) A scheme for the sinking of a Vertical Shaft for increasing copper ore production at Surda Mine has been recently sanctioned. A detailed project report is under preparation.

(ii) A new Concentrator Plant for treating 2,000 tonnes of copper ore per day is being set up at Mosaboni mine. This Plant is expected to be ready by April 1974.

(iii) The production of copper ore at Pathargora Mine is being increased from the present rate of 200 tonnes to 600 tonnes per day over a period of 2 years.

(iv) The mining methods at the Mosaboni Mine are being improved for achieving higher output.

The above steps are expected to lead to further improvement in production and profit at the Indian Copper Complex, Ghatsila.

Scheme to Augment Copper Production

778. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Government have formulated a scheme to augment copper production in the country; and

(b) if so, the broad outlines thereof and the extent to which it would help the country achieve self-sufficiency in the field of copper?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prashad): (a) Yes, Sir.

(b) The task of developing copper deposits in the country has been entrusted to Hindustan Copper Ltd., N. C. L. have several projects in hand for augmenting copper production. Some of the prominent projects are—

Khetri Copper Project

Khetri Copper Complex comprises Khetri and Kolihan Copper Mines. It consists of a refinery, concentrator, smelter and Acid-cum-Fertiliser Plant. The concentrator Plant has been commissioned and the other surface plants will be ready by the middle of 1974. Concerted efforts are now being made to improve the mining techniques and to step up ore production.

Indian Copper Complex

The expansion schemes include increasing the rate of production of copper ore at Surda Mine, setting up of a new concentrator Plant at Mosaboni Mine, increasing of production of copper at Pathargora Mine from 200 tonnes per day to 600 tonnes over a period of 2 years, etc. The Copper deposits at Rakha in the vicinity of Indian Copper Complex are being developed in two phases. The work on Rakha phase I project is nearing completion whereas for phase II a feasibility report is under preparation.

Malanikhand Copper Project

To develop these promising deposits as early as possible, recently an agreement has been signed by Hindustan Copper Ltd., with a Soviet Agency for the preparation of Detailed Project Report.

In addition to the above mentioned copper deposits, Hindustan Copper Limited is also developing other small copper deposits like Dariba, Chandmani etc. in the neighbourhood of Khetri. It is expected that by the end of 5th Five Year Plan, the indigenous production of Copper metal in the country will be about 45,000 tonnes.

Problems of Danapur Cantonment Board

779. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a Member of Parliament has written to him on the 8th October about certain problems of Danapur Cantonment Board;

(b) if so, the gists thereof; and

(c) the reaction of Government thereon?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes Sir.

(b) The Hon'ble Member has suggested improvement of the sanitary conditions in some of the civil areas and repair of two of the roads in the Cantonment.

(c) The matter is under examination in consultation with the local authorities.

गिरिदीह् कोयला खान के सेवानिवृत्त मजदूरों की भविष्य निधि की बकाया राशि की अदायगी न करना

780. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिरिदीह् कोयला खान के सेवानिवृत्त मजदूरों को धनवाद स्थित कोयला खान परिशिष्ट निधि कार्यालय द्वारा उनकी भविष्य-निधि की बकाया राशि की अदायगी नहीं की गई है ;

(ख) क्या संयुक्त कोयला मजदूर संघ गिरिदीह् ने उक्त कार्यालय के अधिकारियों को बारबार स्मरण कराया है कि वे सम्बन्धित मजदूरों की बकाया राशि की तुरन्त अदायगी करने की व्यवस्था करें ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें भविष्य निधि की राशि अदा न किये जाने के क्या कारण हैं और सरकार का विचार कब तक उक्त अदायगी कर देने का है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) धन वापिसी के 41 दावों में से 30 का निपटान हो चुका है और 11 लम्बित हैं ।

(ख) जी हां, कुछ व्यक्तिगत मामलों में ।

(ग कुछ अनिवार्य सूचना के अभाव में लम्बित पड़े 11 दावे रुके हैं । अपेक्षित सूचना के उपलब्ध होते ही उनका भी निपटारा कर दिया जाएगा

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र तथा मिश्रधातु इस्पात संयंत्र से चोरी

781. **श्री जी० विश्वनाथन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र तथा मिश्र धातु इस्पात संयंत्र से लाखों रुपये के मूल्य की सामग्री चोरी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा मिश्रित इस्पात कारखाने में गत तीन वर्षों में चोरी के कारण हुई कुल हानि की राशि निम्नलिखित थी :

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

वर्ष	चोरी की संख्या	हानि (रु०)
1970–71	255	7,70,731.50
1971–72	187	7,87,625.00
1972–73	137	2,54,106.38

मिश्रित इस्पात कारखाना

1970–71	46	70,404.00
1971–72	63	3,65,555.00
1972–73	55	1,31,121.00

(ग) कारखानों द्वारा इस प्रकार की चोरियों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

(1) नियमित कर्मचारियों के लिए पहचान-पत्रों को अधिक दोष रहित प्रणाली लागू करना ।

(2) कारखानों में प्रवेश को विनियमित करना, बाढ़ और दरवाजे लगाना और महत्वपूर्ण उपकरणों की रक्षा करना।

(3) शासन गुह्य अधिनियम और पश्चिमी बंगाल लोक-व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम 1970 के अधीन इस्पात कारखाने और कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों को राज्य सरकार द्वारा "संरक्षित/वर्जित क्षेत्र" घोषित करना।

(4) कारखाने की परिसीमा के अन्दर सुबह से संध्या तक वाचटावर (गुमटी) पर प्रहरी को तैनात करना।

(5) कारखाने की परिसीमा के चारों ओर और वाहनों द्वारा तथा पैदल पहरा लगाना।

(6) द्वारों पर पड़ताल करने की व्यवस्था को मजबूत बनाना।

(7) द्वारों पर सभी वहानों की तलाशी लेना।

(8) रेल डिब्बों की पड़ताल करना तथा रेल की पटरी साथ साथ गश्त लगाना।

(9) अनिधिकृत प्रवेश-कर्त्ताओं/अपराधियों का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपराध शाखा के कर्मकारियों द्वारा सादे कपड़ों में निगरानी रखना।

(10) चोरी/उठाईगीरी की घटनाओं आदि की सभी रिपोर्टों पर तत्काल ध्यान देने के लिए अपराध नियंत्रण इकाई की स्थापना करना।

(11) आसूचना और अपराध शाखाओं की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उनका पुनर्गठन करना।

वस्ती में कुछ चुने हुए इन्सटालेशनों को, जिन पर इस समय दरवानों/चौकीदारों द्वारा पहरा दिया जाता है केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के क्षेत्राधिकार में देने का प्रस्ताव है।

मिश्रित इस्पात कारखाना

(1) वाहनों के आवागमन को विनियमित करने के लिए मुख्य द्वार पर पतन द्वार लगा दिए गए हैं और रात को 10.30 बजे के बाद मुख्य द्वार को ताला लगा दिया जाता है।

(2) कारखाने के अन्दर और चारदीवारी के चारों ओर तेजी से गश्त लगाई जाती है।

(3) 16.00 बजे के बाद गोदामों में ताले लगा दिए जाते हैं और उनको सील कर दिया जाता है।

(4) सभी स्थानों पर जहां मूल्यवान सामग्री रखी जाती है तथा जहां माल को उतारा चढ़ाया जाता है, पहरा देने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया जाता है।

(5) गुमटी (वाचटावर) में घुमने वाली लाइट लगाने का प्रत्यन किया जा रहा है।

(6) एक आसूचना स्कन्ध की स्थापना की गई है और कारखाने में अपराध तथा अपराधियों का पता लगाने का काम इसको सौंपा गया है।

लोह अयस्क तथा बाक्साइट निक्षेपों के लिये केरल का भूगर्भीय सर्वेक्षण

782. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री 2 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1669 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के मालावार क्षेत्र में जहां कि भूगर्भीय सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है वहां पाये जाने वाले लौह अयस्क और बाक्साइट की अनुमानित मात्रा कितनी है ;

(ख) कोवटमाला और नीलाम्बूर क्षेत्र में लोह अयस्क के लिये जो खोज आरम्भ की गई थी उसकी तथा कानोर के चिमनी क्षेत्र में बाक्साइट के निक्षेपों की जो खोज आरम्भ की गई थी, उनकी स्थिति क्या है;

(ग) क्या किसी अन्य नए क्षेत्र में खोज कार्य शुरू किया गया है ;

(घ) क्या खोज कार्य को और तेजी से करने के लिये सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) क्या अभी तक पाये गये लौह अयस्क तथा बाक्साइट निक्षेप उद्योग स्थापित करने के लिये पर्याप्त नहीं है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) कोजीकोड जिले के चार खण्डों में 31.46 से 41.24 प्रतिशत लोहांश वाले लौह अस्यक का कुल 440.00 लाख टन भंडार होने का अनुमान है । कालीकट जिले में आलमपारा क्षेत्र में क्षेत्रगत अन्वेषण कार्य पूरा हो चुका है और रिपोर्ट तैयार की जारी है। रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिए जाने पर ही इस क्षेत्र में उपलब्ध लौह अयस्क की कुल राशि के बारे में बताया जा सकता है ।

जहां तक बाक्साइट का सम्बन्ध है, कन्नानेर जिले में 40 % और उससे अधिक ऐलूमिना वाले बाक्साइट के कुल लगभग 73.00 लाख टन भंडार होने का अनुमान है ।

(ख) मालापुरम जिले के कोवटटी माला, नीवलाम्बुर क्षेत्र में लौह अयस्क के लिए ड्रिलिंग द्वारा प्रारम्भिक समन्वेषण कार्य जून में आरम्भ किया गया था और अभी भी जारी है । इस क्षेत्र में सितम्बर, 1973 तक कुल 1234.5 लाख मीटर ट्रिलिंग कार्य किया गया है । ड्रिलिंग और रसायन सम्बन्धी आंकड़ों से कन्नोर जिले के चिमैनी क्षेत्र में किसी प्रकार के आर्थिक लाभ के बाक्साइट होने का पता नहीं चला है ।

(ग) हाल ही में प्रारम्भ किए गए अन्वेषण कार्य में कन्नोर जिले के तालीपारम्बा में बाक्साइट हेतु अन्वेषण भी सम्मिलिति हैं जो जारी हैं । अन्य प्रारम्भिक अन्वेषणों में जिन्हें 1972–73 की क्षेत्रगत कार्य विधि आरम्भ किया गया था और जिन्हें चालू रखने का प्रस्ताव है, कन्नौर जिले के पायनुर क्षेत्र में बाक्साइट के लिए ; त्रिवेन्द्रम और किलोन जिलों में त्रिसोबेरिल के लिए और कनानूर जिले में स्टीटाइट के लिए अन्वेषण सम्मिलित है ।

(घ) अन्वेषण कार्यों में योजनाबद्ध रूप से और संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार प्रगति हो रही है ।

(ङ) आलमपारा में लौह अयस्क निक्षेपों के लिए रिपोर्ट तथा बाक्साइट निक्षेपों के लिए परिकरण परीक्षण/प्रमाणीकरण सक्रिय को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही इन निक्षेपों पर आधारित किसी उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया जा सकता है ।

रक्षा उत्पादन विभाग में अवर श्रेणी लिपिक की भर्ती

783. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रक्षा उत्पादन विभाग ने इस आशय का एक आदेश जारी किया है कि किसी व्यक्ति की अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिये उसके पास न्यूनतम अर्हता के रूप में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा का पास प्रमाण-पत्र होना चाहिये ;

(ख) इस विभाग द्वारा ऐसा किये जाने के क्या कारण हैं जब कि संघ लोक सेवा आयोग रेलवे, डाक व तार तथा अन्य सरकारी उपक्रमों में इस प्रचार के पद पर एस० एस० एल० सी० परीक्षा पास अथवा केरल से एस० एस० सी० परीक्षा पास व्यक्तियों को नियुक्त करना स्वीकार कर लिया जाता है ;

(ग) क्या सरकार इस तथ्य की दृष्टि से इस नीति पर पुनर्विचार करेगी कि इसके फलस्वरूप केरल के वे हजारों नवयुवक नियुक्ति के लिये अपात्र रह जाते हैं जो कि रक्षा प्रतिष्ठानों में नौकरी के लिये आवेदन करते हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक): (क) से (ग) दिसम्बर, 1969 में, आर्डनेंस फैक्टरियों को छोड़कर सभी रक्षा स्थापनाओं में निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को मैट्रिक से बढ़ाकर हायर सैकण्डरी करने के प्रयोजनार्थ आदेश जारी किये गये थे । बाद में, मई 1971 में आर्डनेंस फैक्टरियों में निम्न श्रेणी लिपिकों के पदों के सम्बन्ध में भी ऐसे ही आदेश जारी किये गये । इन दोनों ही आदेशों में इस बात की व्यवस्था है कि निम्न-श्रेणी लिपिकों की भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षा के विस्तृत नियम बनने तक वर्तमान व्यवस्था चलती रहेगी । चूंकि बहुत से राज्यों द्वारा अभी तक अपने यहां हायर सैकण्ड्री शिक्षा प्रणाली लागू न करने के कारण प्रवेश परीक्षा के लिए नियम बनाना सम्भव नहीं हो सका है, इसलिए उपर्युक्त आदेश अमल में नहीं आ सके हैं और रक्षा उत्पादन स्थापनाओं सहित सभी रक्षा स्थापनाओं में निम्न श्रेणी लिपिक के रुप में भर्ती के लिए न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक योग्यता अभी भी मैट्रिक ही है ।

केरल में एल्युमीनियम और सीमेन्ट के कारखाने

784. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 दिसम्बर, 1973 के "जनयुगम" के केलिएन्ट संस्करण में प्रकाशित समाचार के अनुसार, केन्द्रीय इस्पात तथा खान मंत्रालय में उपमंत्री ने कोचीन में 10 सितम्बर, 1973 को यह वक्तव्य दिया है कि केरल राज्य में उपलब्ध चूना पत्थर तथा बाक्साइट के बड़े निक्षेपों का उपयोग करके वहां एल्यूमीनियम तथा सीमेंट के कारखाने खोले जाने की बड़ी सम्भावनायें हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) केरल में अनुमानित बाक्साइट के 120 लाख टन के अनुमानित भंडारों में से केवल 27.80 लाख टन के भंडारों में ही 48 % से अधिक ऐलूमिनांश पाए जाने की सूचना मिली है जिसे ऐलूमीनियम के उत्पादन के लिए सामान्यतया उपयुक्त समझा जाता है । पालघाट और क्वीलोन जिलों में सीमेंट के निर्माण के लिए उपयुक्त चूनाश्म के 139.50 लाख टन भंडार होने का अनुमान है । इन निक्षेपों पर आधारित संयंत्रों की स्थापना की साध्यता पर अभी तक विचार नहीं किया गया है ।

राजकुमार सिहानुक की अध्यक्षता वाली कम्बोडियाई सरकार तथा दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देना

785. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्जीलियर्स में हुये गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में सभी गुट-निरमेक्ष देशों को संबोधित करते हुये यह घोषणा स्वीकार की गई थी कि राजकुमार सिहानुक की अध्यक्षता वाली कम्बोडियाई सरकार तथा दक्षिण वियतनामी की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता दी जाये ;

(ख) क्या इस घोषणा को स्वीकार करने के पक्ष में भारत ने भी वोट दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो इन दो सरकारों को भारत सरकार द्वारा कब पूर्ण राजनीतिक मान्यता दी जायेगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) अल्जीयर्स में सम्पन्न गुट-निरपेक्ष देशों में चतुर्थ शिखर सम्मेलन ने अपनी घोषणा में कहा है कि "राज्याध्यक्ष प्रिंस नरोत्तम सिहानुक की कम्बोडिया संघ की शाही राष्ट्रीय सरकार ही वहां की एकमात्र न्यायोचित एवं विधिसम्पन्न सरकार है तथा सम्मेलन ने सभी गुट-निरपेक्ष देशों से यह अनुरोध किया कि वे इसे तुरन्त मान्यता प्रदान करें । सम्मेलन ने सभी सदस्य-देशों से अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को राजनयिक समर्थन प्रदान करने के लिए भी निवेदन किया ।

(ख) गुट निरपेक्ष सम्मेलनों की बैठकों की प्रथा के अनुरूप अल्जीयर्स में हुए सम्मेलन के र्णयों को भी मतदान की प्रक्रिया के बिना पूरे सम्मेलन की सम्मति से स्वीकार किया गया ।

(ग) इस विषय पर अब भी सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है ।

रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग निगम के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सोवियत उपकरण

787. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ भारी इंजीनियरिंग निगम राँची को इस वर्ष इसके उत्पादन म वृद्धि करने के लिये 5 करोड़ रुपये के मल्य के पुर्जे तथा उपकरण सप्लाई करेगा; और

(ख) यदि हां; तो उत्पादन में वृद्धि करने का अर्थ यह है कि इस समय भारी निर्माण क्षमता इस संयंत्र की लक्षित क्षमता से कम है अथवा क्या इससे मांग पूरी करने के लिये लक्षित क्षमता में वृद्धि हो जायेगी ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीदलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1973–74 में रुस बोकारो तथा अन्य ग्राहको के लिये उपकरणों का निर्माण करने हेतु 2.64 करोड़ रुपये के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 2872 मी० टन पूरा करने वाले हिस्से-पुर्जों का सम्भरण करेगा ।

(ख) इस समय हेवी मशीन बिल्डिंग संयंत्र अपनी लक्षित क्षमता से काम कर रहा है । पूरा करने वाले हिस्से-पुर्जों के आयात से हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन बोकारो इस्पात संयंत्र तथा अन्य ग्राहकों को 14,000 मी० टन पूर्ण उपकरणों का सम्भरण कर सकेगा ।

1970–71 तथा 1971–72 के दौरान सिंगरेनी कोल्थरीज कम्पनी का कार्य-निष्पादन

788. श्री राजदेव सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोल्यरीज कम्पनी का पिछले वर्ष को 95.71 लाख रुपये की हानि के मुकाबिले वर्ष 1971–72 में 59.10 लाख रुपये का लाभ हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970–71 में हानि के क्या विशेष कारण थे ; और

(ग) क्या कोयले की किस्म तथा भंडारों की स्थिति आशाजनक है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सिंगरैनी कालियरीज कम्पनी को 1970–71 में 95.71 लाख रुपये की हानि के विपरीत 1971–72 में 69.11 लाख रुपये का लाभ हुआ था ।

(ख) 1970–71 में हानि के मुख्य कारण हडतालें और काम-बंदी; निवेश धन, कोयला भंडारों और सामग्री का कम उपयोग; वैगन पूर्ति असंतोषजनक स्थिति, कुछ भूतल मजदूर श्रेणियों में श्रमिकों को बहुलता और कोयले का अलाभप्रद बिक्री मूल्य है ।

(ग) जी. हां ।

माईनिंग एण्ड एलाईड मशीनरी कर्पोरेशन लिमिटेड का कार्यकरण

789. श्री राजदेव सिंह : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या माइनिंग एण्ड एलाइड कार्पोरेशन लिमिटेड ने पहली बार वर्ष 1972–73 में 12.42 लाख रुपये का लाभ कमाया है ;,

(ख) क्या पूर्ववर्ती वर्षो में इसे घाटा होता रहा था ;

(ग) यदि हां, तो आरम्भ से अब तक इसे कितना घाटा हुआ है ; और

(घ) क्या वर्ष 1973 में अर्जित लाभ आगामी वर्षों में लाभ होने का संकेत करता है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के 1972–73 के अन्तिम वार्षिक लेखे में 12.42 लाख रुपये का लाभ दिखाया गया है इसके प्रारम्भ होने से अब तक इस समय पहली बार माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन ने लाभ दिखाया है ।

(ख) जी, हां।

(ग) 31-3-1972 तक इसको 36.51 करोड़ रुपये की संचित हानि हुई है

(घ) जी, हां :

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में हड़तालों के कारण जन-दिवस की हानि

790. श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में हड़तालों के कारण कितने जन-दिवसों की हानि हुई; और

(ख) रुपये में हानि कितनी हुई ;

(ग) आवर्ती हानि को रोकने के लिये क्या उपाय किए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) उपलब्ध अंतिम सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र में जनवरी से जून, 1973 के दौरान हड़तालों के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या और हानि हुए उत्पादन का मूल्य निम्न प्रकार है :-

(i) हड़तालों की संख्या : 306

(ii) नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या : 968,375

(iii) हानि हुए उत्पादन का मूल्य : 2.63 करोड़ रुपये

हानि हुए उत्पादन के मूल्य से संबंधित सूचना उन 166 मामलों से संबंधित है, जिनके बारे में सूचना उपलब्ध है।

(ग) औद्योगिक संबंध तंत्र जैसा कि वर्तमान सांविधिक उपबन्धों और स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आवश्यक है औपचारिक मध्यस्थता, समझौते, न्याय-निर्णय अथवा पंच-फैसले द्वार औद्योगिक विवादों के कारण होने वाली काम-बंदियों को कम करने के लिये प्रयास करता रहता है।

खनिज विक्षेपों के लिये अरुणाचल प्रदेश में सर्वेक्षण

791. श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में खनिज निक्षेपों का पता लगाने के लिये अब तक कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा सर्वेक्षण कब किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) अरुणाचल प्रदेश में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया है और वह अभी भी जारी है। भारतीय

भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था द्वारा किये गए सुव्यवस्थित सर्वेक्षण के फलस्वरूप राज्य में महत्वपूण खनिज विनिक्षेपों के अनुमानित भंडार इस प्रकार है : लिग्नाइट-बिटूमिनी कोयले के तिरप जिले में 910 लाख टन और अनेक ग्रेफाइट निक्षेप; सुबासिरी जिले में 35 लाख टन सियांग जिले में 135.50 लाख टन और लोहित जिले में 710 लाख टन भंडार, सोहित जिले में से सीमेंट ग्रेड और भागत: फलक्स ग्रेड के अच्छी किस्मों के चूना पत्थर के 900 लाख टन और कामेंग जिले में फलक्स ग्रेड डोलोमाइट के 200 लाख टन भंडार ।

अरुणाचल प्रदेश में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 1973–74 के "क्षेत्रगत कार्य" संबंधी प्रस्तावों में यह भी सम्मिलित है : विभिन्न जिलों के सम्भावित खनिज धारक क्षेत्रों में भूवैज्ञानिक मानचित्रण का कार्यक्रम और सुबासिरी जिले में मुख्य-धातु, कामेंग जिले में डोलोमाइट और चूना-पत्थर, कामेंग तथा सुबासिरी जिलों में ग्रेफाइट, तिरप जिले और राज्य के कछ पहाड़ी ढलान भागों में कोयले के लिये क्षेत्रीय खनिज समन्वेषण ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत और जापान में एक इस्पात संयंत्र के निर्माण में लगने वाले समय की तुसना

792. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री पी० गंगादेव :
} क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान में जिस इस्पात संयंत्र का निर्माण 24 महीने होता है, भारत में उसका निर्माण पूरा होने में 7 से 8 वर्ष लग जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ।

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) : इस्पात कारखाने के निर्माण में लगने वाला समय संसाधनों की उपलब्धि पर ही नहीं बल्कि और बहुत सी बातों पर विशेषत: इसमें काम करने वाले विभिन्न अभिकरणों का इंजीनियरी सेवाओं सिविल तथा संविरचन कार्यों, उपकरणों की सप्लाई तथा स्थापना आदि बातों पर निर्भर है । भारत की तुलना में जापान में नया इस्पात कारखाना स्थापित करने में कम समय लगने के कारण निम्न-लिखित हैं :

(1) जापान में सुस्थापित रूपांकन संगठन, निर्माण इकाइयां तथा विशिष्ट निर्माण अभिकरण हैं ।

(2) पूंजीनिवेश के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध है जबकि भारत में संसाधनों रुपये तथा विदेशी मुद्रा दोनों की बड़ी समस्या है; और

(3) जापान के अधिकांश इस्पात कारखानों में, जो समुद्र के किनारे हैं, कच्चे माल की प्रयाप्ति तथा तैयार उत्पादों का प्रेषण समुद्री जहाजों द्वारा होता है जबकि भारत में अवस्थापन सुविधाओं के विकास में ही काफी समय लग जाता है ।

Decline in Production of Aluminium

795. **Shri Lalji Bhai** :
Shri Jagannath Mishra : } Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether production of aluminium has declined of late; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) The production of aluminium has been adversely affected in the current year on account of heavy power cuts imposed on the aluminium smelters by the different State Electricity Boards. Besides, frequent interruptions in supply of power have further affected the production of E. C. grade metal.

भारत, पाकिस्तान तथा बंगला देश संबंधी अमरीकी नीति में परिवर्तन

796. **डा० हरिप्रसाद वर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने इस उप-महाद्वीप के तीन प्रमुख देशों अर्थात भारत, पाकिस्तान तथा बंगला देश के साथ अमरीकी सम्बन्धों के बारे में अमरीकी नीति में किसी परिवर्तन पर ध्यान दिया है ;

(ख) क्या इस परिवर्तन से तीन, देशों के प्रति अमरीकी नीति समान हो जायेगी ; और

(ग) अमरीकी नीति में उक्त परिवर्तन के सन्दर्भ में अमरीका के साथ भारतीय सम्बन्धों में यदि कोई सुधार हुआ हो तो वह क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) 1971 के संकट के दौरान अमरीकी सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के मुकाबले में उपमहाद्वीप के संबंध में उस सरकार की नीति में परिवर्तन के संकेत हैं। ये संकेत 11 सितम्बर को विदेश संबंध समिति के समक्ष अमरीकी मंत्री द्वारा किये गये सार्वजनिक वक्तव्यों से मिलते हैं। डा० किसिंगर के बयानों से उपमहाद्वीप की स्थिति के बारे में अमरीका की अच्छी सूझ बूझ का पता चलता है। जहां तक भारत और अमरीका के संबंध का प्रश्न है, दोनों देश समानता, पारस्परिकता और आपसी हित के आधार पर संबंधों को सुधारने के इच्छुक हैं। पी० एल० 480 की समस्या का समाधान करने की दृष्टि से दोनों देशों की बातचीत अच्छे संबंधों की दिशा में बढ़ने का सबूत है।

राजस्थान में बलारिया में जस्ता अयस्क खान का विकास

797. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राजस्थान के जावार क्षेत्र में बलारिया में एक नयी जस्ता अयस्क खान के विकास हेतु एक 11.61 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की रूपरेखा क्या है और जस्ता-अयस्क का खनन कार्य कितने चरणों में किया जायेगा।

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान के जावार क्षेत्र में बलारिया सीसा-जस्ता खानों के विकास के लिये 11.61 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर, 19-9-1973 को प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया था। इस परियोजना में, अयस्क परिष्करण के लिये अनुकूल सुविधाओं सहित, 2,000 टन प्रतिदिन अयस्क उत्पादन का विचार है ताकि कम्पनी के देवरी (उदयपुर के पास) स्थित जस्ता प्रदावक को जिसको 18,000 से 45,000 टन वार्षिक तक विस्तार किया जा रा है, अपेक्षित अतिरिक्त जस्ता सान्द्र उपलब्ध कराए जा सकें।

बलारिया खान का विगत कुछ समय से समन्वेषण किया जा रहा है। 5.71 प्रतिशत जस्ता और 0.87 प्रतिशत सीसा वाले लगभग 172.50 लाख टन अयस्क भंडार होने का अनुमान है। इस समय इस खान को कम्पनी की केन्द्रीय माचिया स्थित वर्तमान दूसरी चालू खान से, भूतल सुरंग द्वारा जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के 1974 के शुरू में पूरा होने की आशा है जब बालारिया में विकास कार्य को त्वरित किया जाएगा ताकि उसे 1976 के अन्त तक चालू किया जा सके। आशा की जाती है कि बलारिया खान 1978–79 तक अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य करेगी।

इजरायली हवाई हमलों के कारण सीरिया से भारतीयों को निकाल लिया जाना

798. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इजरायली लड़ाकू विमानों द्वारा दमिश्क पर बमबारी के कारण सीरिया से कितने भारतीय परिवारों को निकाल लिया गया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : दिनांक 9-10-1973 को इजराइल द्वारा दमिश्क पर हवाई हमला किये जाने के फल वरूप 16 भारतीय परिवारों को सीरिया से निकाल लिया गया जिनमें 45 व्यक्ति थे।

सेना यूनिटों को दिये गये पैंटन टैंक

799. **श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सेना यूनिटों के नाम क्या है जिनको जनरल केन्डेथ (सेवा निवृत्त) द्वारा पैंटन टैंक दिये गये हैं ; और

(ख) प्रत्येक यूनिट को ऐसे कितने टैंक दिये गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) ले० जनरल के० पी० कैंडेथ द्वारा चांदी मन्दिर में एच० क्यू० वैस्टर्न कमान को मरम्मत न हो सकने वाले दो पैटन टैंक दिये गये थे ।

(ख) इसके अतिरिक्त, हरेक को एक डरेलिक्ट पैटन टैंक तीन कोर मुख्यालयों एक डिवीजनल हैडक्वार्टर तथा दो आर्मड ब्रिगेड को आवंटन किया गया है ।

विदेशों में बड़े मिशनों में कर्मचारियों की संख्या का पुनर्विलोकन

800. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक लेखा समिति ने 107वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में निहित लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का उल्लेख करते हुए अपने 13वें प्रतिवेदन में यह इच्छा प्रकट की थी कि सरकार को विदेशों में अपने बड़े मिशनों में कर्मचारियों की संख्या का पुनर्विलोकन करना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित पुनर्विलोकन एक वर्ष के भीतर किया गया था जैसा कि समिति द्वारा सिफारिश की गई थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

बिजली के कारण इस्पात के उत्पादन पर प्रभाव

801. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात की अत्यधिक कमी है ।

(ख) क्या बिजली की कमी के कारण गत 6 महीनों में इस्पात के उत्पादन में कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां, । बिजली/कोयले की कमी के कारण अप्रैल–सितम्बर 1973 की अवधि में उत्पादन में हुई हानि इस प्रकार थी :

कारखाने का नाम	टन	
भिलाई	27,500	
दुर्गापुर	44,736	
राउरकेला	54,297	
मिश्रित इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर	5,887	
टिस्को	177,000	
इस्को	20,700	(अप्रैल–अगस्त,
कुल	3,30,120	सितम्बर में हुई हानि के बारे में अभी मालूम नहीं है)

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिए किये गये उपायों में प्रौद्योगिक सुधारों द्वारा देशीय उत्पादन में वृद्धि लाना, मालिक-मजदूर सम्बन्धों को बेहतर बनाना, संयंत्र और मशीनों के रख-रखाव में सुधार करना, ऐसे इस्पात के आयात के मामले में जिसकी सप्लाई कम है विशेषरूप से काफी उदार नीति अपनाना, निर्यात को विनियमित करना और वितरण व्यवस्था को दोषरहित बनाने के उपाय शामिल हैं। सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों और प्राधिकारियों से इस्पात कारखानों कोयला खानों और कोयला शोधनशालाओं की बिजली की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने को भी कहा गया है ।

पालम हवाई अड्डे से एक रूसी पर्यटक का गायब होना

802. **श्री एम० एस० संजीवीराव :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : } क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 अक्तूबर, 1973 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक सोवियत पर्यटक 9 अक्तूबर, 1973 को पालम हवाई अड्डे से गायब हो गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां । दिल्ली में सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के राजदूतावास से यह समाचार मिलते ही कि एक सोवियत राष्ट्रिक, श्री अनातोली पाखेमो 9 अक्तूबर, 73 को पालम हवाई अड्डे से गायब हो गया है उसका पता लगाने के लिए कदम उठाए गए। 10 अक्तूबर, 1973 को लगभग 10 बजे, यू० के० हाई कमीशन ने चाणक्यपुरी स्थित पुलिस स्टेशन को सूचना दी कि एक व्यक्ति जबरदस्ती ब्रिटिश हाई कमीशन के भवन में घुस आया है और गड़बड़ी पैदा कर रहा है। इस व्यक्ति को जिसको पहचान लिया गया कि वह श्री पाखोनोव ही है, उन चोटों और घावों के उपचार के लिए इर्विन अस्पताल ले जाया गया, जो उसके यू० के० हाई कमीशन के भवन में घुसते समय खिड़की का शीशा तोड़ने के फलस्वरूप और पुलिस से बचने के लिए पहली मंजिल से कूदने के कारण लगे थे। श्री पाखोनोव वास्तव में अशांत मनः स्थिति में थे। पूछताछ करने पर, उन्होंने कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देश प्रत्यावर्तन के लिए सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के राजदूतावास को सौंप दिया गया और वे 12 अक्तूबर, 1973 को प्रातः काल एयरोफलोट उड़ान से मास्को चले गए ।

अविलम्बीनय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling attention to the Matter of Urgent Public Importance

रेलों के रद्द किये जाने के समाचार

श्री श्याम नंदन मिश्र (बेगुसराय) : मैं रेल मन्त्री का ध्यान अविलम्बनिय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :–

"रेलों के रद्द किये जाने और उसके परिणामस्वरूप जनता को हो रही कठिनाइयों, विशेषकर कोयला और अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन और रेल यात्रा में हो रही कठिनाइयों के समाचार"

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : हाल के महीनों में रेलों को कोयले की सप्लाई में कमी होती रही है। स्टीम कोयला, जो रेलों तथा कई उद्योगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हुआ कि उससे स्टीम कोयले के सभी उपभोक्ताओं की मांगें पूरी हो पातीं।

2. अगस्त और सितम्बर में लोको कर्मचारियों की हड़ताल और रेलों पर अनेक कर्मचारी आन्दोलनों तथा 'धीरे काम करो' आन्दोलनों के कारण स्थिति और बिगड़ गयी जिसका परिवहन कार्य पर गम्भीर प्रभाव पड़ा और यातायात में बाधा पड़ी। अक्तूबर में कोयला खानों में कई छुट्टियां रहीं जिसके कारण पिछले वर्षों की तुलना में बहुत कम कोयला भेजा गया। कोयले की सप्लाई में अधिक कमी बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों से हुई है जो रेलों की जरूरतों का अधिकांश भाग पूरा करते हैं। कुछ समय पूर्व असम के क्षेत्रों से भी कोयले की सप्लाई में कमी हो गयी जहां कोयले का उत्पादन करने वाली तीन में से एक खान में बाढ़ का पानी भर जाने की सूचना मिली है। ऐसी परिस्थितियों में कुल उपलब्ध कोयले में से रेलवे को उसके हिस्से का कोयला नहीं दिया जा सका क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की न्यूनतम आवश्यक मांग को भी पूरा करना था।

3. इस के परिणामस्वरूप रेलों के पास कोयले का स्टाक बहुत कम हो गया। उद्योगों को उनकी जरूरत का स्टीम कोयला उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलों को कोयले की अपनी निजी खपत में कमी करनी पड़ी। योजना बद्ध तरीके से इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रेलों ने विभागीय और शंटिंग सेवाओं में कमी कर दी है और साथ ही कुछ कम दूरी वाली उन गाड़ियों को भी अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है जिनमें कम यात्री सफर करते थे। लेकिन रेलों को यह सलाह दी गयी है कि महत्वपूर्ण हितों जैसे, दैनिक यात्रियों, अदालतों में जाने वाले लोगों, छात्रों, औद्योगिक कर्मचारियों आदि पर इस का दुष्प्रभाव न पड़ने पाये। लेकिन कोयले सहित अनाजों, उर्वरकों, सीमेंट, पैट्रोल अन्य पदार्थों जैसी आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

4. उपलब्ध संकेतों के अनुसार आशा है आगामी सर्दी के महीनों में स्टीम कोयले की उपलब्धता बढ़ जायेगी जैसे ही स्टीम कोयले की उपलब्धता में सुधार हो जायेगा और रेलें शेडों में कोयले का अपेक्षित स्टाक जमा कर लेंगी, गाड़ी सेवाओं में की गयी कटौती एक चरणबद्ध तरीके से बहाल कर दी जायेगी।

श्री श्यामनंदन मिश्र : रेलवे के कार्य करण की स्थिति आज बहुत खराब है जिसके फलस्वरूप लोगों को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिये रेल मंत्रालय जिम्मेदार है जिसने 200 गाड़ियों के रद्द किये जाने की घोषणा की है। यात्रियों की कठिनाईयों के अतिरिक्त माल यातायात पर भी गाड़ियों के रद्द किये जाने का प्रभाव पड़ा है रेलवे को कोयले की कम सप्लाई किया जाना एक मुख्य कारण कहा गया है। वैगन सप्लाई तथा कोयले का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में होता है। क्या हम जान सकते हैं कि रेलवे को इसकी आवश्यकता के अनुसार कोयला सप्लाय न करने के क्या कारण हैं? रेलवे की पूर्व अनुमति से ही कोयले की सप्लायी में कमी की गयी है। समझ में नहीं आता कि रेलवे ने अपनी अनुमति देते हुये संख्या में काम क्यों नहीं लिया

और ऐसा क्यों नहीं कहा कि रेलवे की आवश्यकता इतनी है और यह मात्रा सप्लायी की जानी चाहिये। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कोयले की कमी के कारण कोई प्राईवेट कपड़ा अथवा चीनी कारखाना तो बन्द नहीं हुआ ?

यह एक समाजवाद विरोधी मंत्रालय है जो समाजवादी उपक्रम चला रहा है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारे सारे कार्य समाजवाद विरोधी हैं।

श्री श्यमनन्दन मिश्र : आपने सरकार समाजवाद विरोधी हाथों में सौंप रखा है। जिस उद्योग को भी आपने अपने हाथ में लिया है, उसकी स्थिति गिरती ही जा रही है–(व्यवधान)

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : माननीय सदस्य मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनें रेलों को रद्द करने का अर्थ एक सैक्शन की सारी रेलों को रद्द करना नहीं है। अतः यह कहना गलत है कि गाडियों के रद्द होने से परिवहन सेवा अस्त व्यस्त हो गयी है।

हम प्रति दिन 10,900 गाड़ियां चला रहे हैं। माननीय सदस्य के अनुसार 200 गाड़ियां रद्द हुई हैं जो पांच प्रतितश से भी कम हैं।

देश में अनिवार्य उद्योगों को कोयला सप्लाई करने के बारे में विशेष ध्यान रखा गया है। रेलवे ने अपनी आवश्यकता में कमी करके उद्योगों को चलाने का प्रयत्न किया है। माननीय सदस्य ने स्वयंम माना है कि कोई भी प्राईवेट उद्योग बन्द नहीं हुआ। उन्हें रेलवे को धन्यवाद देना चाहिये जिसने प्राईवेट उद्योगों के लिये अपनी आवश्यकता में कमी की है (व्यवधान)......................रेल गाड़ियों की स्थिति सुधर रही है और आगे को गाडियां रद्द नहीं होंगी। खानों से कोयला उठाने में भी कोई रुकावट नहीं है। रेलवे वैगन सप्लाई करने की स्थिति में है। स्थिति में सुधार होगा और आगे गाड़ियां रद्द नहीं की जायेंगी।

Shri Madhu Limaye (Banka): Both Railway and Coal Ministries are answerable for the shortage of coal. The Railway Ministry has failed to satisfy the railway workers. I do not know as why the Railway Minister has even giving false relpies.

Wagon shortage, carrying capacity of the railways and absence of sidings at the pitheads are some of the reasons for shortage of coal. According to our information there is a lot of corruption in the allotment of wagons.

I wanted that the Minister of Coal and Mines should also be present here to answer the part of question relating to his Ministry. It has been stated that movement of wagons will be speeded up and a programme of diesolisation and electrification of trains has been prepared. Will the Hon. Minister state the quantity of different type of coal produced since January and also during the last two years?

There are so many Unions in the Railway. There should be only one Union for all the 15 lakhs employees of the railway. There should be separate wage boards for employees of the Railway. There should be direct negotiations between the railway workers and the management with a view to avoid strikes and agitations.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : It is not correct that there is no co-ordination between the two departments there is no clash between the two departments and problems are solved by negotiations at the high levels.

Wagons are allotted on the recommendations of State Government. In case Officers of the Railway have done any thing wrong in this behalf, it should be brought to our notice. We will definitely enquire into it.

In so far as Railway employees Unions are concerned, it has been the policy of the Railways to negotiate only with the two recognised Unions. We want to encourage the organisation of each category of Union. We want that there should be only one Union in one industry. We are trying to adopt this policy. We have been assured by certain categories that they will disband their Union in case there is only one Union in the Railways. I want the help of Shri Limaye in this behalf. We should persuade Shastriji not to do that.

Shri Ramavatar Shastri (Patna): I am prepared but..... (*Interruptions*) :

Shri Madhu Limaye : Will you accept the railways as a commercial organisation and issue instructions that their cases should not be referred to the Pay Commission in future and their problems should be solved by direct negotiations through the medium of wage boards.

Mr. Speaker : You say that reply has not given for one question but the question can be only one, not more.

Shri Madhu Limaye : You have changed the procedure and like others I am also benefitting out of it.

Mr. Speaker : They take benefit and also says that you have changed the procedure. This is strange.

श्री विश्व नारायण शास्त्री (लखीमपुर) : मंत्री महोदय द्वारा दिया गया वक्तव्य अपर्याप्त तथा परस्पर विरोधी है । इसमें नहीं बताया गया कि स्टीम कोल के कम सप्लायी के क्या कारण हैं ।

क्या मैं जान सकता हूं कि कर्मचारी आन्दोलनों के कारण रेलवे के स्टीम कोल की सप्लायी में कमी कैसे हो सकती है ?

पहले यह बताया गया कि अगस्त और सितम्बर के दौरान स्थिति खराब हुई और अब कहा गया है कि इसका कारण कोयला खानों द्वारा अधिक छुट्टी मनाना है । इसीलियें मैं कहता हूं कि वक्तव्य परस्पर विरोधी है । वक्तव्य में यह नहीं बताया गया कि किन जोनों और सेक्शनों में कितनी सेवाऐं रद्द की गयी । इसलिये वक्तव्य अपर्याप्त है ।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि पूर्वी, पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमांत जोनों में से प्रत्येक जोन में कुल कितनी गाड़ियां रद्द की गयीं और रेलवे के टनों और रूपयों में कुल कितनी हानि हुई ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : माननीय सदस्य ने कहा है कि वक्तव्य अपर्याप्त है लेकिन बात ऐसी नहीं इसमें माननीय सदस्यों द्वारा मांगी गयी दूसरी सूचना है ।

माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि इसका कोयले के परिवहन पर क्या प्रभाव पड़ता है । यदि लोको स्टाफ हड़ताल करें और इंजन न चलें तो कोयले का परिवहन कैसे होगा .....(**व्यवधान**) यह बात स्पष्ट है । लोको स्टाफ की हड़ताल से 14.67 करोड़ रुपये की हानि हुई है ।

1 नवम्बर, 1973 से मध्य रेलवे में 122 गाड़ियां रद्द की गयीं, दक्षिणी रेलवे में कोई गाड़ियां रद्द नहीं की गयीं और पूर्वी रेलवे पर दो गाड़ियां रद्द की गयीं ।

अध्यक्ष महोदय : इसका उल्लेख वक्तव्य में है । आपके बताने की आवश्यकता नहीं है ।

Shri K.M. Madhukar (Kesaria): The cancellation of 210 trains has effected the life of common man.

The Hon. Minister should take steps to implement the compromise formula arrived at with the loco running staff so that their problems could be soved.

Some forces of the country in collaboration with the high ups of this Ministry are conspiring to sabotage the public sector plants or bodies. Unfortunately Government is not aware of such conspirators.

The wagons are allotted to the private companies by adopting unfair means. The hon. minister should see to such corrupt practices.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये

(Mr. Deputy Speaker in the chair)

There is no coordination between different Ministries. On the one hand it is said that there is shortage of coal and on the other there is shortage of wagons. No sympathy is shown to the workers even after nationalisation of public sector industries. The production in the mines is not according to the expectations. So many reasons are responsible for these difficulties. It is for this reason that I say that steps should be taken to implement the compromise formula arrived at with the All India Loco Staff.

The acts of sabotage in the railway and also mines should be enquired into so that culprits are brought to books. The mines should be re-oriented on the scientific basis.

There should be a co-ordinating body to assess the number of wagons and quantity of coal in each ministry. Also are you going to take action against the corrupt officials?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: Any complaint of alleged corruption received against any official will be enquired into and punishment awarded accordingly.

It is not correct to say that the railway had to incur losses due to loco staff strike.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : क्या कमी कोयले की है अथवा बैगनों की ?

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रक्रिया को नियमित करने का प्रयास कर रहा हूं । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में यह परम्परा रही है कि जिन सदस्यों ने नाम दिये हैं, मंत्री महोदय उन्हीं के प्रश्नों का उत्तर देंगे । यह सारा मामला पेचीदा है ।

श्री भागवत झा आज़ाद (भागलपुर) : ये आज या कल वक्तव्य दे सकते हैं जिसके लिये ये तैयार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मन्त्री महोदय को इस शर्त पर अनुमति दूंगा कि कोई भी अधिकयन नहीं पूछे जायेंगे ।

कोयले की सप्लाई की स्थिति के बारे में वक्तव्य

Statement Re. Coal Supply Position

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : गत वर्ष जब मेरे पास रेलवे मंत्रालय था तो यह शिकायत थी कि कोयले के लिए गाड़ियां उपलब्ध नहीं हो रहीं। उस समय कोयला उद्योग गैर-सरकारी हाथों में था और गाड़ियों की व्यवस्था करना खरीददार का उत्तरदायित्व होता था : अब कोयले का राष्ट्रियकरण कर दिया गया है, अतः आज सारा राष्ट्र यह आशा करता है कि न केवल खानों से अधिक कोयला निकाला ही जायेगा बल्कि इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि सारे देश में उसका वितरण भी हो। इस एकाएक हुये परिवर्तन में हमें इस बात की व्यवस्था करनी थी कि सारा संगठन तर्कसंगत आधार पर चले, जिससे राष्ट्र की मांगें भी पूरी हो सकें। क्योंकि यह निरंतर चलने वाला मामला है और इसमें कुछ पूंजी लगाने का प्रश्न भी उत्पन्न हो जाता है।

कोयला सभी निकायों द्वारा निर्धारित मूल्यों पर दिया जायेगा। परन्तु मार्केट में वह उसी कीमत पर मिलेगा अथवा नहीं, यह दूसरी बात है। कमी पैदा कर दी जाती है, विशेषकर उस समय जब के परिवहन के स्तर में कुछ कमी आ जाती है। मैं तत्कालीन समस्याओं के बारे में रेलवे मंत्रालय से बातचीत कर रहा हुं। साइडिंग्ज़ की समस्या की ओर तुरन्त ध्यान दिया जा रहा है ताकि माल उतारने के कार्य में तुरन्त सुधार किया जा सके।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : स्टीम कोल की क्या स्थिति है ?

श्री टी० ए० पाई : जब तक कोयला खानों को पुनः गठित नहीं किया जाता उस समय तक हम तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकते। बंगाल और बिहार की कोयला खानों का पुनर्गठन अनिवार्य है। उस भाग में बहुत से इस्पात कारखाने हैं। रेलवे का एक तिहाई भाग इस्पात कारखानों के काम में लगा है ।

यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि रेलवे विभाग इसके लिये उत्तरदायी है अथवा कि कोयला खानें। मैं यह मानने को तयार हूं कि दोनों ही उसके लिए उत्तरदायी हैं कि समाज की आवश्यकताओं को उन्हें पूरा करना है। हम पूरे समन्वय के साथ इस दायित्व को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the table

नौसेना औपचारिकता, सेवा शर्तें, और प्रकीर्ण (तीसरा व चौथा संशोधन) विनियम 1973 और भारतीय नौसेना सहायक सेवा विनियम, 1973

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) नौ सेना औपचारिकता, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (तीसरा संशोधन) विनियम 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 जुलाई, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 12 (ड०) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या 5363/73]

(दो) नौ सेना औपचारिकता, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (चौथा संशोधन) विनियम, 1973 (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 अगस्त, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 13 (ड०) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5466/73]

(तीन) भारतीय नौ सेना सहायक सेवा विनियम, 1973, जो भारत के राज पत्र दिनांक 1 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 232 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5620/73]

रेलवे सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1973

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं निम्नलिखित पत्र रेल सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रेल सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 20 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 448 (ड०) में प्रकाशित हुए थे) सभा पटल पर रखता हूं :

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5693/73]

विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

चौथी लोक सभा

(एक) विवरण संख्या 31	पांचवा सत्र, 1968
(दो) विवरण संख्या 33	सातवां सत्र, 1969
(तीन) विवरण संख्या 32	आठवां सत्र, 1969
(चार) विवरण संख्या 31	नौंवा सत्र, 1969
(पांच) विवरण संख्या 33	दसवां सत्र, 1970
(छः) विवरण संख्या 21	ग्यारहवां सत्र, 1970
(सात) विवरण संख्या 23	बारहवां सत्र, 1970

पांचवीं लोक सभा

(आठ) विवरण संख्या 11	पहला सत्र, 1971
(नौ) विवरण संख्या 25	दूसरा सत्र, 1971
(दस) विवरण संख्या 16	तीसरा सत्र, 1971
(ग्यारह) विवरण संख्या 16	चौंथा सत्र, 1972
(बारह) विवरण संख्या 10	पांचवां सत्र, 1972
(तेरह) विवरण संख्या 8	छठा सत्र, 1972
(चौदह) विवरण संख्या 8	सातवां सत्र, 1973
(पंद्रह) विवरण संख्या 9	सातवां सत्र, 1973
(सोलह) विवरण संख्या 3	आठवां सत्र, 1973

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5694/73]

वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1963

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1963 की धारा 24 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) दूसरा संशोधन स्कीम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 सितम्बर, 1972 में अधि-सूचना संख्या सां० आ० 581 (ड०) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) दूसरा संशोधन अधिनिमय, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 582 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) तीसरा संशोधन स्कीम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 नवम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 709 (ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) तीसरा संशोधन नियम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 नवम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 710 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) संशोधन स्कीम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 14 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 141 (ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(ख) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5695/73]

श्री इरासेझिमान (कुम्भकोणम) : मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि सभा पटल पर विवरण रखने में अब बहुत बिलम्ब करने की एक प्रक्रिया सी बना ली गई है और प्रायः सभी पत्रों के साथ विलंब पत्र रखने के कारण बताने वाले विवरण रखे जा रहे । यह एक सामान्य बात हो गई है । कल भी श्री राम निवास मिर्धा ने 20 दिसम्बर, 1971 से संबंधित, दूसरा 1 अप्रैल, 1972 से तथा तीसरा 2 जुलाई, 1972 से संबंधित पत्र सभा पटल पर रखे हैं और उन्हें विलम्ब से रखने के कारण बताने वाले विवरण भी रखे हैं । कारणों के बारे में भी एक विवरण में तो केवल यह कहा गया है है कि "भूल से रखना भूल गये" । यह तो कोई कारण नहीं हुआ । सभा जानना चाहेगी कि दो वर्ष का विलंब क्यों हुआ ? और यह भूल करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ।

अतः मेरा सुझाव है कि इन विलंबों की जांच करने के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये । दूसरे लोक लेखा समिति ने इस बात पर भी टिप्पणी की है कि सरकार काराधान आदि के संबंध में भी अधिसूचनाएं जारी करती है जिस पर समिति को आपत्ति है । अतः मैं चाहूंगा कि सरकार द्वारा उक्त अधिसूचनाओं तथा बिलंब के कारण बताने वाले विवरणों आदि की जांच करने के बारें में अलग से एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): It is a very serious matter. The explanations given for delays are also not at all satisfactory. They go on collecting information but don't care to place them on the table of the House, until thing amount to a heavy bulk. It is a matter of ignoring parliamentary decorum and a Parliamentary Committee should be appointed to go into that.

Shri Madhu Limaye (Banka): Such matters can be referred to our Subordinate Legislation Committee to ensure timely placement of papers on the table.

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे मामलों में माननीय सदस्यों की सतर्कता देख कर मुझे खुशी होती है ।

यह सहीं है कि सरकार की कठिनाईयों को भी अनुभव किया जाना चाहिये परन्तु सरकार को भी संसद के प्रति और अधिक उत्तरदायित्व की भावना से काम करना चाहिये । साथ ही विलंब के कारण भी ठोस तथा सन्तोषजनक होने चाहिये । केवल "भूल से रह गया" कहने से दायित्व पूरा नहीं हो जाता ।

श्री भगवत झा आजाद (भागलपुर) : "भूल से रह गया" एक ईमानदारी कारण है अन्य बहाने तो कितने भी बनाये जा सकते हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : भूल किसकी ? मंत्री की या मंत्रालय की ?

उपाध्यक्ष महोदय : संबंधित मंत्रालय की । फिर भी मैं कहूंगा कि संसदीय पत्रों के मामले में इस प्रकार से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये । वैसे इस बात के लिये तो यह कहना काफ़ी होगा । कोई समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं है ।

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मैं राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना सभा को देता हूं :—

(एक) कि राज्य सभा ने 12 नवम्बर, 1973 की अपनी बैठक में सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1973 पास कर दिया है ।

(दो) कि राज्य सभा ने 12 नवम्बर, 1973 की अपनी बैठक में प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक, 1973 पास कर दिया है ।

राज्य सभा द्वारा पारित पाविधेयक
BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA

महासचिव : श्रीमन् मैं राज्य सभा द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1973।

(2) प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक, 1973 ।

सदस्यों की दोष सिद्धि

CONVICTION OF MEMBERS

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे ड़ायमंड हार्बर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से 12 दिसम्बर, 1973 को भेजा गया निम्नलिखित तार प्राप्त हुआ है :—

"श्री माधुर्य हालदार, सदस्य, लोक सभा, ने सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान न्यायालय की कार्यवाही का अपमान करके, मामला संख्या 01510/73 में सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट, डायमन्ड हार्बर, 24 परगना, पश्चिम बंगाल, के न्यायालय में 12 नवम्बर, 1973 को अपने आपको गिरफ्तार कराया । सदस्य को दोषी पाया गया और उस दिन न्यायालय के उठने तक उन्हें हिरासत में रखा गया । "

याचिका समिति

COMMITTEE ON PETITION

14वां प्रतिवेदन

श्री ए० पी० शर्मा : मैं याचिका समिति का 14वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGES

छठा प्रतिवेदन

डा० हेनरी आस्टिन (एर्नाकुलम) : मैं विशेषाधिकार समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

कंपनी (संशोधन) विधेयक

COMPANIES (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 तथा निबंधनकारी व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करता हूं ।

संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति (विनियमन) अधिनियम, 1956 तथा निर्बन्धनकारी व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969, का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य का रिकार्ड सभा-पटल पर रखता हूं ।

राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक
NATIONAL LIBRARY BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाया गया ।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (चण्डीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा राष्ट्रीय पुस्तकालय और कतिपय अन्य सम्बद् मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के समय वर्षाकालीन सत्र, 1974 के अंतिम दिन तक बढ़ाती है।

श्री इराझिमान (कुम्भकोणम) : मैं जानना चाहता हूं कि यह वर्ष 1974 में होने वाले संसद के मानसून सत्र के अन्त तक का समय क्यों लेना चाहते हैं। सभा में भी तथा देश भर में यह भावना व्यापत है कि यह समिति निर्धारित समय से अत्याधिक समय ले रही है। उन्हें यह दायित्व लेते समय ही समय का ध्यान रखना चाहिये था। अब दो वर्ष का समय हो चुका है और शायद दो वर्ष और ले जायें। अतः मानसून सत्र के अन्तिम दिन की बजाये यह प्रतिवेदन बजट सत्र के पहले सप्ताह में पेश किया जाये। मैं प्रस्ताव करता हूं उपरोक्त संकल्प में 'मानसून सत्र' शब्दों के स्थान पर बजट सत्र के अन्तिम सप्ताह के पहले दिन रखा जाये ।

श्री पी० जी० मावलंकर : हमारी एक समिति को सैंकड़ों ज्ञापन प्राप्त हुए परन्तु हमने कुछ एक ही छांटे। समय बचाने के लिये यहां भी ऐसा किया जा सकता था। अतः इस कारण अधिक समय लेने की जरूरत नहीं थी। इसलिये समिति के अध्यक्ष आगामी बजट सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक का समय मांग लेते ।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार : इस विधेयक के कुछ प्रावधानों पर विवाद पैदा हो गया था और स्वयं विपक्ष के ही कुछ सदस्यों ने यह कहा था कि यह विधेयक जल्दबाज़ी में पेश न किया जाये। हमें समूचे साक्ष्यों तथा खण्ड वार विचार करना है। फिर कतिपय गंभीर विवादों के पहल करने हेतु भी कुछ समय तो लगेगा ही ।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु एक सत्र को बीच में छोड़ कर मानसून सत्र के अन्त तक का समय क्यों मांगा जा रहा है ।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार : विपक्षी सदस्यों द्वारा कुछ प्रावधानों पर विवाद पैदा किये जाने पर स्वयं शिक्षा मंत्री ने भी उन पर पुनः विचार के लिए समय मांगा। उन्होंने पुस्तकालय का एक

निर्देशक नियुक्त करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से सम्पर्क किया था। इस प्रकार विधेयक को और अधिक सारगर्भित बनाने तथा सभा द्वारा व्यापक रूप से इसे स्वीकार्य बनाने के लिये पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये।

श्री समर गुह : मैं भी इस समिति का एक सदस्य हूं और माननीय सदस्य से सहमत हूं। वस्तुतः यह विधेयक इतना..... तो नहीं है। इस विधेयक के कारण केवल राष्ट्रीय पुस्तकालय के कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि कई प्रसिद्ध हस्तियों को भी बड़ी चिन्ता है ...

उपाध्यक्ष महोदय : वह करना क्या चाहते हैं ...

श्री समर गुह : कुछ मित्रों ने कुछ आपत्तियां उठाई थी जिनका जिक्र मेरे माननीय मित्र ने यहां नहीं किया। इस विषय पर कई आन्दोलन हुए तथा अनेक गोष्ठियां तथा सम्मेलन आयोजित हुए थे जिनमें अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भाग लिया था .....।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नहीं आ रहा है आखिर माननीय सदस्य करना क्या चाहते हैं।

श्री समर गुह : शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय पुस्तकालय में एक निर्देशक की नियुक्ति करने का सुझाव दिया था और मुझे उम्मीद है कि सभा इस संबंध में मेरे साथ सहयोग करेगी। हम सभी विपक्षी सदस्यों ने यह स्वीकार किया था कि नये प्रबन्ध के कार्यकरण को भी देख लिया जायेगा।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं आपका ध्यान ज्ञापन के अनुच्छेद संख्या 4 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि क्योंकि विधेयक का विरोध हुआ है अतः इस पर विचार में समय लगेगा। यह विधेयक जनमत प्राप्त करने के लिये प्रचलित नहीं किया गया है, परन्तु प्रवर समिति के पास विचारार्थ है। अतः उन्हें यह नहीं कहना चाहिये कि इस विधेयक का विरोध होने के कारण इस पर अधिक समय लग रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं एक बीच के मार्ग का सुझाव देता हूं। श्री विद्यालंकार मानसून सत्र के अन्तिम दिन तक का समय चाहते हैं। मैं सुझाव देता हूं कि यह समय केवल अगले सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया जाये। फिर अपनी बैठकों के पश्चात् समिति यदि आवश्यक समझे तो और अधिक समय मांग ले।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सभा को यह स्वीकार होगा .....व्यवधान..... यदि इस विषय पर भी विमत है तो फिर मुझे इसे मतदान के लिये रखना होगा। इस पर अब और आगे चर्चा नहीं होगी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : यदि यह सुझाव है कि अगले सत्र के अन्तिम दिन तक का समय बढ़ा दिया जाये और बाद में स्थिति पर विचार कर लिया जाये तो मंत्री महोदय को यह स्वीकार होगा। मेरा समिति के अध्यक्ष से अनुरोध है कि वह यह मान लें।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार : मुझे स्वीकार है।

श्री समर गुह : न तो मंत्री महोदय और न ही समिति के अध्यक्ष ऐसा कर सकते हैं। इस संबध में जिम्मेवार लोगों ने इस विषय में आपत्तियां उठाई हैं। मुझे खेद है कि माननीय मित्रों ने सारे मामले

को समझा नहीं है । उन्हें पूरी भूमिका का ज्ञान नहीं है । अत : यह एक गलत परम्परा होगी । संयुक्त समिति के सर्वसम्मत निर्णय को यहां सभा में बदलना एक बुरी परम्परा होगी । फिर मंत्री महोदय और समिति के अध्यक्ष इस निर्णय को बदल नहीं सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था रखिये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बजट सत्र के अन्त में वह फिर समय वृद्धि के लिए कह सकता हैं ।

श्री समर गुह : इस संबंध में कोई सर्वमान्य हल निकाल लीजिये । निपेरा को काम करने का अवसर तो दीजिये . . . .

श्री एस० एम० बनर्जी : मानसून सत्र तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है । मंत्री महोदय ने संशोधन के रूप में सुझाव दिया है कि अगले सत्र के अन्तिम दिन तक का समय दिया जाये । यही बात है न ?

श्री के० रघुरामैया : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संसदीय कार्य मंत्री के इस सुझाव को सभा में मतदान के लिये रखता हूं यदि यह सभा को स्वीकार हो तो ठीक है ।

प्रश्न यह है :

"कि समिति को अगले सत्र के अन्तिम दिन तक का समय दे दिया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

मूल प्रस्ताव, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ

THE ORIGINAL MOTION, AS AMENDED WAS ADOPTED

श्री समर गुह : संसदीय कार्य मंत्री ने एक अत्यन्त बुरी परम्परा चलाई है ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

MATTER UNDER RULE 377

महाराष्ट्र में आदिवासियों पर जमीदारों द्वारा कथित सशस्त्र हमला

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महाराष्ट्र में जिला धूलिया के शाहादा और तालोडा तालुकों में धान के भूमिपतियों ने गुजर जाति के शस्त्रधारी नियुक्त कर रखे हैं तथा वे वहां के आदि-

वासियों पर तरह तरह के अत्याचार करके उनकी जमीनें हड़प कर रहे हैं तथा आतंकित कर रहे हैं। गुजरों द्वारा आदिवासियों के शोषण के कारण सर्वोदय कार्यकर्त्ताओं ने वहां श्रमिक संगठन बनाकर आदिवासियों की जब्त की गई भूमि को वापस दिलाने का अभियान चलाया है। पाटिलवादी में गुजरों ने आदिवासियों तथा भीलों पर गोली चलाई जिसमें एक आदिवासी मारा गया तथा अनेक घायल हुए। आदिवासियों के संगठन की गतिविधियों के फलस्वरूप जब कृषि-मजूरी में 40 से 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई तो भूमिपति तिलमिला उठे और उन्होंने अपनी निजी सशस्त्र सेना बना डाली। 5 अक्तूबर को आदिवासी भूमिहीनों की शाहादा में गांव चिरोड़े में आयोजित एक बैठक में इन शस्त्र-धारियों ने आक्रमण कर दिया जिसका नेतृत्व समीपवर्ती गांव पातवाडी के सरपंच ने किया था। इस हमले में भाले, लोहे की छड़ों तथा देसी पिस्तौलों का खुल कर उपयोग हुआ था।

जब सरकार ने कुछ वन-भूमि को भूमिहीनों में वितरित करना चाहा तो इस सरपंच ने प्रशासन पर दबाव डाल कर उक्त वितरण रूकवा दिया। इन बस्तियों में भूमिपतियों तथा सरकारी व्यवस्था में साँठ-गाँठ है।

फल "सुरक्षा बल" के वेष में भूमिपति धनियों ने अपनी सशस्त्र सेना बना रखी है। सतपूड़ा तापी क्षेत्र सहकारी चीनी मिल लिमिटेड के शीर्षक पत्र पर इस सरकारी चीनी मिल के अध्यक्ष श्री पी० के० पाटिल ने भूमिपतियों को इस आशय का पत्र लिखा कि वहां 4.2 लाख रुपय कीं लागत से तथा 19 लाख के निरन्तर होने वाले व्यय से एक सशस्त्र संगठन कायम किया जाये। आपकी अनुमति से मैं उक्त पत्र की फोटो प्रति *सभा पटल पर रख रहा हूं।

मेरा गृहमंत्री से अनुरोध है कि वह इस मामले की जांच करे तथा गरीब भूमिहीन आदिवासियों पर अत्याचार करने वाले इस सशस्त्र संगठन को ऐसी गतिविधियों के करने से रोके तथा भूमिहीन आदिवासियों में भूमि का वितरण कराने की व्यवस्था करें।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्री पी० के० पाटिल को गिरफ्तार किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था रखिये। प्रो० मधु दण्डवते वह कापी मुझे दे दें। श्री मधु लिमये !

Shri Madhu Limaye: I have not to say much. This incident was given notice of two or three days and had the Home Ministry taken action for thwith such incidents might have not happened. The Prime Minister is here and I request her to immediately issue instructions to the Chief Minister to go into the matter and stop the idea of forming para military organisation there. I had been working in that area in my boyhood and I know how much atrocities are done to the Adivasis. Immediate action should be taken in this matter.

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : अब यह मामला हमारी जानकारी में आया है और हम महाराष्ट्र सरकार से सम्पर्क किये हुए हैं।

*अध्यक्ष महोदय द्वारा तदनन्तर आवश्यक अनुमति प्रदान न किये जाने के कारण कागजात/दस्तावेज को सभा-पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

*The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission the paper/document was not treated as paper laid on the Table.

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्होंने वह पत्र सभा पटल पर रखा है और आप उसे पढ़ भी नहीं रहे हैं ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : हम महाराष्ट्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं और यदि दोनों माननीय सदस्यों द्वारा कही गई बातें सही हैं तो निश्चय ही यह बड़ी चिन्ता की बात है । परन्तु जब तक हम महाराष्ट्र सरकार से उत्तर नहीं पा लेते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते ।

कुछ संसद सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में अध्यक्ष को सूचना दिया जाना

श्री वीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : मुझे ज्ञात हुआ कि इस सभा के सदस्य श्रीमती विभा घोष गोस्वामी, श्री विजय मोदक, श्री एस० पी० भट्टाचार्य और श्री माधुर्य हालदर को बंगाल में अन्य 40,000 व्यक्तियों के साथ 12 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया है। किन्तु इस बारे में आप को कोई सूचना नहीं दी गई ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Shri Shiv Shanker Prasad Yadav, the Member of this House was arrested on 18th October in Monghyr district. But the intimation of his arrest was not given to the House according to the rules. I demand that the matter should be looked into by you or it should be referred to the Privilege Committee under rule 227.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि ये बातें सच हैं तो इनकी अवश्य जांच की जानी चाहिये । (व्यवधान) किन्तु पहले मुझे तथ्यों का पता लगाना होगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्री हालदर के बारे में आपको तार मिल चुका है । इन चार माननीय सदस्यों को 12 तारीख को गिरफ्तार किया गया था और आज 15 तारीख हो गई । अभी तक अध्यक्ष को इसकी सूचना नहीं दी गई ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई नई बात आपने नहीं बताई । मुझे एक अन्य तार मिला है जिसके अनुसार श्री दिनेश ने जोरदार सत्याग्रह किया तथा जिला मजिस्ट्रेट, मलाद, पश्चिम बंगाल ने उन पर दो रूपया जुर्माना या एक दिन की साधारण कैद का फैसला किया । माननीय सदस्य ने कैद मंजूर की । (व्यवधान)

श्री दशरथ देव : उनको बहुत बुरी तरह से पुलिस और कांग्रेस के गुंण्डों ने पीटा है ।

(इसके पश्चात् लोग-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजकर 30 मिनट, म० प० तक के लिए स्थगित हुई)

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty minutes past fourteen hours of the clock)

(लोक-सभा मध्याह्न भोजन के बाद 2 बजकर 35 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई) ।

(The Lok Sabha re-assembled after lunch at thirtyfive minutes past fourteen of the clock)

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

(प्राधिकृत अनुवाद (केन्द्रीय विधियां) विधेयक

AUTHORISED TRANSLATIONS (CENTRAL LAWS) BILL

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कतिपय भाषाओं में केन्द्रीय विधियों के प्राधिकृत अनुवाद का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

संविधान के अनुच्छेद 345 क अन्तर्गत राज्य विधान सभाओं को अधिकार है कि वे राजभाषा के रूप में हिन्दी अथवा किसी एक या एक से अधिक भाषा को स्वीकार कर लें । अतः यह उपयोगी होगा कि उन्हें केन्द्रीय विधियों का प्राधिकृत अनुवाद उपलब्ध कराया जाए । वर्तमान प्रक्रिया यह है कि सम्बद्ध राज्य सरकारें अपनी राजभाषा में बनी विधियों का अनुवाद कराती हैं तथा उन पर अन्तिम निर्णय राजभाषा विधायी आयोग द्वारा किया जाता है जो विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के अधीन है । चूंकि केन्द्रीय अधिनियमों के क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित संस्करणों का कानूनी स्तर नहीं है अतः उनका उपयोग भी सीमित रह जाता है । इस विधेयक का उद्देश्य अनुदित विधियों को कानूनी स्तर दिलाने का है ।

मैं इस विधेयक को सभा में विचार किये जाने के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

***श्री एम० ए० मुरुगन्तम** (तिसनेल वली) : महोदय, देश के प्रत्येक नागरिक को देश के कानूनों से परिचित होना चाहिये किन्तु यह सम्भव नहीं है क्योंकि कानून या तो अंग्रेजी में हैं या हिन्दी में । अतः केन्द्रीय और राज्य विधियों का क्षेत्रीय भाषाओं में प्राधिकृत अनुवाद होना चाहिए । अतः मैं इस सम्बन्ध में सरकार का समर्थन करता हूं । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सरकार विभिन्न कानूनों और विधियों को उतनी तत्परता के साथ लागू नहीं करती जितनी से करना चाहिये । संसद में कानून तो बन जाते हैं किन्तु उनको क्रियान्वित नहीं किया जाता ।

अधिकतर केन्द्रीय अधिनियमों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद नहीं कराया गया । मंत्री महोदय कह सकते हैं कि यह कार्य सम्बद्ध राज्य सरकारों का है । किन्तु यह उत्तर संतोषजनक नहीं है । मेरा अनुरोध है कि इनका शीघ्र से शीघ्र क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराना चाहिये ।

आश्चर्य की बात है कि भारत के संविधान का भी अभी तक कई भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध नहीं है । इससे स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है कि क्षेत्रीय भाषाओं की कितनी उपेक्षा की जा रही है ।

---

*तमिल मे दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarise translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

राज भाषा (विधायी) आयोग गत 12 वर्षों से कार्य कर रहा है। इस आयोग के लिये 1973-74 के बजट में 28 लाख रुपयों की मांग की गई थी। गत 12 वर्षों में इस आयोग पर लगभग 3 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। किन्तु इस आयोग द्वारा अब तक केवल 237 अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया गया है। आश्चर्य की बात है कि केवल चार अध्यादेशों का हिन्दी में अनुवाद किया गया है जबकि सैंकड़ों की संख्या में अध्यादेश जारी किये जा चुके हैं।

प्रत्येक मंत्रालय में हिन्दी कार्यालय भी है। इसके बावजूद केवल 237 अधिनियमों और 4 अध्यादेशों का राजभाषा हिन्दी में अनुवाद किया गया है। अगर हिन्दी की यह हालत है, तो इसका तो अनुमान ही लगाया जा सकता है कि प्रादेशिक भाषाओं की क्या हालत होगी ?

पिछले अनेक वर्षों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्टों में यह सिफारिश करते आ रहे हैं कि अस्पृश्यता अपराध निवारक अधिनियम का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करके सभी पुलिस स्टेशनों में उपलब्ध किया जाना चाहिए, परन्तु खेद की बात है कि उक्त अधिनियम का अभी तक हिन्दी में भी अनुवाद नहीं हो सका है।

विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में जितने केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद किया गया है, उनकी संख्या इस प्रकार है। उर्दू, में 17, असमिया में 46, उड़िया में 51 और मराठी में केवल 8 अधिनियमों का अनुवाद किया गया है। इनका मुद्रण अभी तक नहीं किया गया है।

केन्द्रीय सरकार ने 40 महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए प्राथमिकता देने का राज्य सरकारों से अनुरोध किया है। मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि जिन भाषाओं में और जितने अधिनियमों का अनुवाद कर दिया गया है, उससे सम्बन्धित आंकड़े सभा पटल पर रखे जायें।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि नई दिल्ली में जनवरी, 1973 में विधि सचिवों का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई और सरकार ने उन पर क्या निर्णय लिये हैं।

शीघ्र से शीघ्र सभी को क्षेत्रीय भाषाओं में संविधान का अनुवाद किया जाना चाहिये। तमिल में शीघ्र से शीघ्र संविधान का अनुवाद किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भारतीय भाषा ही नहीं है, बल्कि श्री लंका, सिंगापुर, मलयेशिया और बर्मा जैसे देशों में इसे दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मणिपुर) : मैं अपने पूर्व वक्ता की इस बात से पूर्णत: सहमत हूं कि केन्द्रीय अधिनियमों के अनुवाद में तीव्र गति लाई जानी चाहिए।

केन्द्रीय अधिनियमों के अनुवाद के बारे में "संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भाषा" का उल्लेख है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा भाषायी समुदाय है, जो आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भाषा के अन्तर्गत नहीं आता। और इस विधेयक का अभिप्राय जनता को लाभ पहुंचाना है, तो दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले भाषायी अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए उन भाषा-समूहों में भी अनुवाद

प्रस्तुत किये जायें, जिनका संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेख नहीं है, परन्तु जिन्हें साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता-प्राप्त है । केन्द्रीय और राज्य-कानूनों का राज्य स्तर पर भी द्रुत गति से अनुवाद किया जाना चाहिए ।

मणिपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, यद्यपि इसको आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए निरन्तर मांग की जाती रही है । साहित्य अकादमी मणिपुरी को आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में मान्यता देती है । इस समय-कानून की जानकारी शहरी क्षेत्रों अथवा अधिक पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित है । अगर सरकार कानून की जानकारी सभी लोगों को उपलब्ध करना चाहती है, तो कानूनों का अनुवाद आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं तक ही सीमित न रख कर अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध किया जाना चाहिए । जिस प्रकार की नीति आकाशवाणी ने अपना रखी है, वैसी ही नीति कानूनों के अनुवाद में भी अपनाई जानी चाहिए । मणिपुरी जैसी विकसित भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार को पहल करनी चाहिए । तब मैं ऐसे उपाय का अधिक स्वागत करूंगा ।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur): The present bill may appear a short measure but it is an important bill in itself. The translated version of the Central Laws, prepared by the State Governments can not be treated as authentic version unless such rules, regulations and Acts are authorised by such a Bill.

The Honourable Minister has stated in the Financial Memorandum that translated version would be made available in 11 languages. I would like to know from the Honourable Minister as to why he has left out four of the fifteen languages in the Eighth Schedule.

The Minister has also stated in the Memorandum that there would be one Machinery at state level and the other at central level, which would finally approve the translated version of the Acts, rules and regulations. If there is only one Central Agency which would prepare authorised translations, there would not be any duplication of work.

Some of the ordinances, rules and bye-laws issued in the last four years have not been translated even in Hindi. How long would it take to translate them in these eleven regional languages? There should be a time limit to make available the translated versions. The permanent staff should be provided for this purpose.

Under Article 343(1), it has been stated that Hindi in Devanagari script would be the official language. But today even the translated version of the central laws are not available in Hindi. Hindi has not been given the encouragement which should have been given to it under the Article 351. The sufficient scientific terminology has not been prepared even in Hindi. Such difficulties may also come up in the way of other regional languages. I, therefore, suggest that adequate staff should be provided for preparing translated version in the regional languages.

I know this work would be very difficult. Why this sort of duplication is required? Even now Hindi translation is not being made available. Special attention should be given to make available the translation in other languages at the earliest. At present even authorised translation of our Constitution is not available.

I want to say one thing more that it is better if you can get it translated in 15 languages instead of 11 languages otherwise, please clarify the position in this regard.

Shri D. N. Tiwari (Gopalgunj): I have got one fundamental objection that according to official languages Act Hindi is a link language and English is an associate language. In such situation the Original Bill should be brought out in Hindi and then translated in English and other regional languages. But here original Bill is being brought out in English and then it is translated in Hindi. Technical terminology which is not available in Hindi, can be taken from English in its original shape. We can digest terminology even from English and other regional languages. English words can be included, but original Bill should be drafted in Hindi and it should be translated afterwards in other languages.

उपाध्यक्ष महोदय : आप विधेयक को हिन्दी अथवा अंग्रेजी में पेश कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि इसका हिन्दी से अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाये।

श्री डी० एन० तिवारी : मेरी आपत्ति यह है कि सभी विधेयक अनिवार्य रूप से हिन्दी में लाये जायें और उनका अंग्रेजी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संबंध में कोई रोक नहीं लगायी गयी है। यदि इसे हिन्दी में पेश किया जाता है, तो इस पर भी रोक नहीं है।

Shri D. N. Tiwari: I want to submit that the progress made so far in translating the Acts is most insignificant. In this way we would never be able to translate them in Hindi and other regional languages. This work should be undertaken more expeditiously.

***श्री सी० चित्रिबाबू** (चिंगलपुर) : अधिकृत अनुवाद (केन्द्रीय विधि) विधेयक के द्वारा केन्द्रीय विधियों का अधिकृत अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में कराने का उपबन्ध करने का प्रस्ताव किया गया है।

मैं प्रसन्न हूं कि कम से कम स्वतंत्रता के 25 वर्षों के पश्चात केन्द्रीय सरकार ने इस विधेयक को पुनः स्थापित करके केन्द्रीय विधियों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराने की आवश्यकता को समझा है। किन्तु मुझे आशंका है कि सरकार इस विधेयक के उपबन्धों को लागू करने के लिये और 20 वर्ष ले लेगी। भारत एक बहुभाषी देश है और संविधान में 15 भाषाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि सरकार को अब यह बात समझ आ गयी है कि लोग अंग्रेजी अथवा हिन्दी में अधिनियमित केन्द्रीय कानूनों को समझ नहीं पाते ।

जब तक हमारे देश के लोगों में यह भावना नहीं पैदा होती है कि वे भी देश के शासन में हिस्सेदार हैं, तब तक उनके मन में राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के बारे में बढ़ा चढ़ा कर कही जा रही बातों का कोई प्रभाव नहीं होगा । जब केन्द्रीय अधिनियम हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होंगे , तो हिन्दी अथवा अंग्रेजी न जानने वाले हमारे देश के लोगों के मन में देश के शासन का हिस्सेदार होने की भावना पैदा नही हो सकती । लोकतांत्रिक सरकार का यह पहला कर्त्तव्य है कि समूचे रूप से समाज की भलाई के लिये लोगों को अधिनियमित कानूनों से अवगत कराये । उदाहरणार्थ तमिलनाडु के लोग केवल तभी अपनी अधिकारों और कर्तव्यों को जान पायेंगे जब संविधान को तामिल भाषा में प्रकाशित किया जायेगा ।

उदाहरण के तौर पर केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोल और मिट्टी के तेल के मूल्य अत्यधिक बढ़ा दिये तो तमिलनाडु के लोगों को यह पता नहीं चला कि यह मूल्य केन्द्रीय सरकार ने बढ़ाये हैं अथवा राज्य सरकार ने । वह ये भी नहीं जानते कि केन्द्रीय सरकार को ऐसे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है । वे कानून को समझने में असमर्थ हैं, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं में अधिकृत अनुवाद उपलब्ध नहीं हैं । लोग केवल तभी कानून का सम्मान करेंगे जब वे उन्हें समझेंगें । मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह शीघ्र से शीघ्र इस विधेयक के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये ठोस पग उठायें, ताकि देश के लोग यह समझने लगें कि इस देश के लोगों के मन में शासन में भाग लेने की भावना पैदा हो सके ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दी के विकास पर करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं । यदि इस धनराशि का दसवां भाग भी सभी क्षेत्रीय भाषाओं के विकास पर भी किया जाये, तो हमारे देश के लोगों के मन में अधिक एकता एवं अखंडता की भावना पैदा होगी । स्वतंत्रता के 25 वर्षों के पश्चात इस विधेयक को पेश करने से, जिसमें केन्द्रीय कानून का अधिकृत अनुवाद करने का उपबन्ध किया गया है, द्रुमक का यह दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है कि न केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी, अपितु देश की सभी भाषाओं की ओर समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये ।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय कानूनों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद शीघ्र से शीघ्र कराया जाये ।

Shri Madhu Limaye (Banka): We should be allowed to discuss about Agenda paper, list of business which is circulated to us. But Industrial Development Amendment Bill is missing from the Agenda and a Bill has been brought. If the right of changing the agenda is given to the Government, we should also be given the right of bringing amendments.

उपाध्यक्ष महोदय : बात स्पष्ट हो गयी है । मैं इस पर विचार करूंगा ।

Shri M. C. Daga (Pali): It is being said that it would be duplication of work if central laws are translated at state level and those translations are approved at the central level. In states the Hindi translation, which is being done is not easily understandable by the people. Original laws should be brought out in Hindi and then they should be translated in English and other languages. But it is not being done. Education should be imparted in regional languages.

Time limit for translating the laws should be specifically mentioned in the Bill. It should also be mentioned in it that central laws would be translated by the central Government.

Shri Madhu Limaye (Banka): Time limitation for completing the translation work should have been specifically mentioned in the law. It is not known what measures have been taken by Government to fulfil the intention of Article 351 of the Constitution. In this Article it has been mentioned that it is the duty of the Central Government to develop all the languages of India spoken by the people.

I am also one of those uneducated and illiterate tribal people who want to speak in their own dialects and also want the expedite development of those dialects. May I know what has been done to implement the implication of Article 351 of the Constitution? I would like to say that the government have failed in fulfilling its responsibility under Article 351.

Even after 23 years of enforcement of the Constitution, the translation of the Constitution into important dialects has not been done.

It is given in the figures of census done in 1971 that the number of Hindi-speaking people has decreased during the last decade. The citizens in Hindi speaking areas are asked by the census-staff to tell themselves as Maithili or Bhojpuri speaking people instead of Hindi or Urdu-speaking people. In this way the local languages or dialects are being ignored.

We are haunted by the inferiority complex that we do not want to develop our own languages.

I know that only one language is not sufficient in the country but Tamil is older than Hindi. Let us propagate Tamil, Bengali, Marathi. I request the government to frame rules for the translation of the Constitution and other Central Acts into dialect within a specific period. I have given a notice to that effect.

The money being spent on the propagation of the languages should be properly utilized. The government should make a time-bound programme for executing the translation work.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh): I do not know why the states are being approached to execute the translation work. There are certain people in the Centre who know all the languages and the government can get the translation work done. The State Governments are already over-burdened with work. This work will be delayed there.

Tehre is snag in the pattern of education. If the primary students are taught to write in the Devnagari script, there will be no difficulty then, be it Tamil or Malayalam, Bengali or Gurumukhi. This can be done even now.

Translation in Hindi should be simple so that everyone can follow it. Hindi is spoken in almost all the states but we have not laid adequate emphasis on that.

The translation of the Bills should be done at the central level. The government should get it done by the learned government officers.

Shri F. H. Mohsin : The translation into Hindi will be done in the centre and not in the States.

Shri Nathu Ram Ahirwan : Persons knowing all the languages should be employed in the Central Government.

There should be a time-limit that after such and such period of the passing of a Bill, its translation will be done. If translation in regional languages is not done for years together, how will it do ?

Why not the Officers prepare the Bills originally in Hindi and regional languages ?

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : The manner in which the development of Hindi should have been done, has not been done.

There is a confusion all over the world that India has no language of her own. We are having English imposed on us even after 25 years of independence. It is not correct.

A committee should be appointed which consists of various members who know their respective languages and the translation work is done under their supervision. If it is done, Hindi may prosper better.

All the Official work should be done in Hindi.

The judgements of the courts should be given in Hindi.

Shri. M. Ram Gopal Reddi (Nizamabad) : Preference should be given to Hindi. It is our language . If all the 16-17 languages are used. there may be controversy.

Therefore, I would like to say that the language of our country, Parliament and courts should be only one and that is Hindi.

I request the hon. Minister to withdraw this Bill on the ground that only Hindi can be the language of this country and no other language can be used.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I rise to support the Bill. It is good that translation into all the regional languages will be done.

When any hon. Member speaks in Urdu in this House, his speech is written either in Devnagari script or it is translated into English. Urdu is not a foreign language.

Some time back there was a practice of writing the Urdu speeches in Urdu. But now that practice has been done away with.

Gujaral Committee is there to propagate Urdu. We are awaiting the report of this Committee. Shri Mohsin knows Urdu. It is his mother-tongue.

Shri. F. H. Mohsin : No.

Shri S. M. Banerjee : Urdu is a language which can be understood commonly.

Urdu should not be allowed to die. I request that at least its use over here should be allowed.

Dr. Kailas (Bombay South) : I support the Bill which is before the House. Shri Banerjee is viewing the topic with a political motive (*Interruption*). Every language is to flourish in this country. (*Interruption*). Since Urdu is specified in the Eighth Schedule to the Constitution, translation will be done or is being done into Urdu.

श्री एफ० एच० मोहसिन : माननीय सदस्यों के समर्थन के लिए मैं उनका आभारी हूं।

यह सीधा सा विधेयक है। ऐसी बात नहीं है कि हम हिन्दी की उपेक्षा कर रहे हैं। राजभाषा अधिनियम में सभी केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद करने का उपबन्ध है। यह कार्य राजभाषा आयोग द्वारा हाथ में लिया गया है। हिन्दी में कुल 396 केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद किया जा चुका है। कुल पृष्ठ 7512 अनूदित किये जा चुके हैं। अभी 322 अधिनियमों का अनुवाद किया जाना है।

Shri Hukam Chand Kachwai : What is the number of total Acts and how many of them have been translated.

श्री एफ० एच० मोहसिन : पहले के अधिनियम अंग्रेजी में हैं। संविधान के अंगीकार किये जाने के पश्चात्...

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : What is the total number of Acts and Ordinances enacted and the number out of them translated ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं इस समय विस्तार पूर्वक नहीं बता सकता परन्तु काम तेजी से हो रहा है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उप-कानून, नियम और विनियमों की संख्या क्या है ?

श्री एच० एफ० मोहसिन : काफी काम किया जा चुका है।

Shri Hukam Chand Kachwai : This much of work has been done in twenty five years. It means fifty years are needed for this work.

श्री एफ० एच० मोहसिन : माननीय सदस्य जानते हैं कि राजभाषा अधिनियम 1963 का है। राजभाषा आयोग बनने के बाद उसने अनुवाद कार्य आरम्भ किया और काफी अच्छा कार्य किया है।

Shri Madhu Limaye : The Constitution is of 1950.

श्री एफ० एच० मोहसिन : राजभाषा अधिनियम तो 1963 का है। (**व्यवधान**)

Shri Madhu Limaye : That is also constituted under the Constitution.

श्री एफ० एच० मोहसिन : चाहे कुछ भी है। इस समय इस विधेयक से इस सब का सम्बन्ध नहीं है।

Shri Mohammad Tahir (Purnea) : The hon. Minister has said that 300 legislations have been translated into Hindi. May I know whether they have actually been translated into Hindi or Sanskrit ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : कुल 396 केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद किया गया है।

श्री लिमये तथा अन्य माननीय सदस्यों ने अनुच्छेद 351 को उद्धृत किया है। सरकार हिन्दी के प्रचार के लिये भरसक प्रयत्न कर रही है। दक्षिण भारत में हिन्दी पढ़ाने का कार्य आरम्भ किया गया है।

श्री मधु लिमये : अन्य राष्ट्रीय भाषाओं के बारे में क्या किया गया है ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : प्रत्येक राज्य में अन्य राष्ट्रीय भाषाएं भी पढ़ाई जा रही है। हम सभी केन्द्रीय कानूनों का 11 भाषाओं में अनुवाद करने का विचार कर रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा कि बाकी की चार भाषाओं के बारे में क्या किया गया है। हिन्दी का कार्य हमने आरम्भ कर दिया है। शेष तीन भाषाएं कश्मीरी, सिंधी और संस्कृत हैं। जिनका कार्य हम आरम्भ नहीं कर रहे हैं। ये किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है।

किन्ही माननीय सदस्य ने पूछा कि उर्दू में कितने कानून अनूदित किये गये हैं। अनुवाद की संख्या इस प्रकार है : असमिया में चार, मराठी में 15, गुजराती में 52, उड़िया में 61, उर्दू में 70 मलयालम में 15 और तमिल में 9 अधिनियम अनूदित किये गये हैं। यद्यपि इन अधिनियमों का अनुवाद किया जा चुका है तथापि उनका न्यायालय में प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अनुवाद प्रमाणित नहीं है। अतः यह विधेयक इसलिये लाया गया है कि लोग इस अनुवाद का न्यायालयों में प्रयोग कर सके। खंड 2 के अनुसार आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं का अनुवाद किया जा सकता है और वह प्रमाणिक हो सकता है।

पहले हमें केन्द्रीय अधिनियमों का राज्यों की राजभाषाओं में अनुवाद आरम्भ करना है।

राज्य की एजेंसियां अनुवाद कार्य करेंगी और राजभाषा आयोग उसे अनुमोदित करेगा।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : क्या संविधान का इन 11 भाषाओं में अनुवाद किया गया है।

श्री एफ० एच० मोहसिन : अनुवाद तो है परन्तु वह प्रमाणित नहीं है।

श्री मधु लिमये : तो फिर उसका क्या फायदा हुआ ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : वह अभी विचाराधीन है क्योंकि अभी हिन्दी अनुवाद भी प्रमाणिक नहीं।

श्री पी० जी० मावलंकर : जब तक सरकार संविधान का अनुवाद प्रामाणिक नहीं करवायेगी तो काम कैसे चलेगा ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : उसे भी किया जायेगा ।

श्री पी० जी० मावलंकर : पहले उसे प्रमाणिक करवाया जाना चाहिये था, बाद में केन्द्रीय अधिनियमों को लिया जाना चाहिये था ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : इसमें यह कठिनाई आ गई कि यह मामला विधि मंत्रालय के पास था और हमने और अधिक प्रतीक्षा नहीं की । हम यह विधेयक पहले इसलिये लाये हैं कि आगे काम चले । जब विधि मंत्रालय यह काम पूरा कर लेगा तो उसे भी हम लेंगे ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं मंत्री महोदय के भाषण में व्यवधान नहीं डालना चाहता परन्तु एक कठिनाई है । इन अधिनियमों के शब्द संविधान के सिद्धान्तों पर आधारित हैं । यदि संविधान का अनुवाद अभी तक प्रमाणिक नहीं है तो केवल अधिनियमों के अनुवाद से काम चलाने का क्या लाभ है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपका मार्गदर्शन चाहूंगा । संविधान के अनुवाद का प्रमाणीकरण कौन करेगा ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह सारा मामला विधि मंत्रालय को सौंपा हुआ है । इस समय संविधान के अनुवाद से हमारा कोई मतलब नहीं है । केवल अन्य केन्द्रीय अधिनियमों से मतलब है ।

क्षेत्रीय भाषाओं में अनूदित केन्द्रीय अधिनियमों का कानूनी दर्जा नहीं है । उनके अनुवाद को कानूनी दर्जा देने के लिये यह विधेयक लाया गया है ।

मैं समझता हूं कि मैं सब बातों का उत्तर दे चुका हूं । श्री टोम्बी सिंह ने कहा कि नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में स्थान नहीं दिया गया है । इस बारे में बाद में देखा जायेगा । हम चाहते हैं कि जितनी ज्यादा भाषाओं को स्थान मिले उतना ही अच्छा है ताकि समूचे देश की जनता देश के कानून समझ सके । मैं प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : संविधान के अनुवाद का प्रामाणीकरण करने वाला अधिकारी कौन है ? क्या विधेयक में ऐसी व्यवस्था है ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : जी, हां । यह खंड 2 में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रामाणीकरण करने वाला अधिकारी कौन है ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : राष्ट्रपति है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मावलंकर ने प्रश्न पूछा कि जब स्वयं संविधान का अनुवाद ही प्रामाणिक नहीं है तो संविधान के अन्तर्गत बने अधिनियम आदि का अनुवाद प्रामाणिक कैसे हो सकता है ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : अंग्रेजी का संविधान प्रामाणिक है, संविधान के अन्तर्गत हम कानून बनाते हैं और उन कानूनों का अनुवाद किया जाता है ।

Shri Madhu Limaye : There is provision of authorising the translation of the Central Acts in this Bill, when translation of the laws made under the Constitution are not authorised, then what is the use. Suppose, there is a word for Adivasis in the Constitution and that is "Sechduled Tribes". When "Sechduled Tribes" is translated, will it be "Adivasi" "or Anusuchit Jati" ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा पर छोड़ता हूं । मुझे स्वयं कुछ संदेह है । यदि आप इस विधेयक को जैसा है वैसे ही पारित करना चाहते हैं तो मैं इसे सभा के समक्ष रख दूंगा ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : इसमें कोई भी तकनीकी कठिनाई नहीं है । संविधान अंग्रेजी में है और वह संविधान सभा द्वारा पारित किया हुआ है । अब हम इन कानूनों को संविधान के अन्तर्गत पारित कर रहे हैं और हम केवल उन्हीं कानूनों के अनुवाद को प्रामाणीकृत कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ने एक संगत प्रश्न उठाया । "शिडयूल्ड ट्राइब" शब्द संविधान में कई बार आया है । जब स्वयं संविधान का अनुवाद प्रामाणिक नहीं है तो "शिड्यूल्ड ट्राइब" शब्द का अनुवाद प्रामाणिक कैसे होगा ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : हमारा संविधान अंग्रेजी में है । हम केन्द्रीय सरकार के लिये संविधान के अन्तर्गत कानून बनाते हैं । इन कानूनों का अनुवाद किया जाता है । हमारा संविधान अंग्रेजी में है और प्रामाणिक है इसलिये इसमें कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री बी० आर० शुक्ल : (बहराइच) यदि माननीय सदस्यों का तर्क माना जाता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब तक भिन्न-भिन्न राज्यों की भाषाओं में जितने कानून बने हैं और जिन कानूनों में परिभाषाएं और शब्द संविधान से लिये गये हैं वे सब गैर-कानूनी हैं क्योंकि उन शब्दों का अनुवाद प्रामाणिक नहीं है । अतः मेरा निवेदन है कि यह अनावश्यक और असंगत है ।

Shri R. V. Bade (Khargone): They have posed a question whether the translation of the Constitution is authenticated or not, it has been of no use.

श्री एफ० एच० मोहसिन : हिन्दी के मामले में संसद् राजभाषा अधिनियम पारित कर चुकी है । इस विधेयक में राजभाषा अधिनियम की तरह क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद की व्यवस्था है मैं नहीं समझता कि इस आधार पर अन्य भाषाओं में संविधान का प्रामाणीकरण आवश्यक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ने नियम 109 के अधीन सूचना दी है कि इस विधेयक पर चर्चा स्थगित की जाये । मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिये । श्री मधु लिमये प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I am moving this motion of adjournment of direction because I feel that without translating the constitution it will not be possible to have authorised translation of Central Laws. I, therefore, request the house to accept my motion.

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर और आगे चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : यह सभा राजभाषा अधिनियम पहले ही पास कर चुकी है जबकि संविधान के हिन्दी रूपान्तर को अभी तक प्रामाणिकृत नहीं किया गया था। राजभाषा अधिनियम के अन्तर्गत विधेयकों को हिन्दी में प्रस्तुत किया जा रहा है तथा पास किया जा रहा है, इस विधेयक का खण्ड 2 राजभाषा अधिनियम की धारा 5(2) के समान है। अतः इसे अवैध नहीं कहा जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री मधु लिमये के प्रस्ताव को कि प्राधिकृत अनुवाद (केन्द्रीय विधियां) विधेयक पर चर्चा अब स्थगित की जाये, को सभा द्वारा स्वीकृत किया जाये"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में 22 **विपक्ष 79**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय भाषाओं में केन्द्रीय विधियों के प्राधिकृत अनुवाद का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये, रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ने आज कुछ संशोधन भेजे हैं और उन्होंने कहा है कि इस बारे में पर्याप्त नोटिस नहीं दिया गया था कि इस विधेयक को चर्चा के लिये आज लिया जायेगा। अतः वह उचित समय में अपने संशोधनों के नोटिस नहीं भेज सके। इस विधेयक के बारे में 13 तारीख की कार्यसूची में बताया गया है और माननीय सदस्य को यह नोटिस कल सुबह पहुंच जाना चाहिये था। आज वह अपने संशोधनों के नोटिस कल भेज सकते थे। तब यह कठिनाई उत्पन्न नहीं हो सकती थी। इस बीच एक बात यह हुई है कि श्री मिर्धा के स्थान पर श्री मोहसिन को यह विधेयक पेश करने की अनुमति दी गई है, अब श्री मोहसिन को वह सब संशोधन पेश करने होंगे जो पहले श्री मिर्धा द्वारा किये गये थे। अतः उन्होंने आज नोटिस भेजे हैं अतः मैं श्री मधु लिमये तथा टोम्बी सिंह के संशोधनों के नोटिस भी स्वीकार करता हूं।

श्री एन० टोम्बी सिंह : (आन्तरिक मनीपुर) : मैं माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को देखते हुए अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the bill

खण्ड 3

श्री मधु लिमिये : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री मोहसिन : यह प्रक्रिया निरन्तर बनी हुई है । इसके पश्चात् में संसद् में विधेयक पास होते रहेंगे और उनका सभी प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद किया जायेगा । अतः अनुवाद कार्य के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती । राज्य सरकारों के सहयोग पर बहुत सी बात निर्भर करती है । परिस्थितियों को देखते हुए हम कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं कर सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 3 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motin was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bil

खण्ड 1

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1 पंक्ति 4.–

"1972" के स्थान पर "1973" पढ़ा जाये" ।

(श्री एफ० एच० मोहसिन :)

(संख्या 2)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वाकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1, संशोधित रूप, में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1 as amended, was added to the Bill

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

"Twenty three" ['तेइस'] के स्थान पर

"Twenty four" ['चौबीस'] पढ़ा जाये ।"

(एफ० एच० मोहसिन)

संख्या 1

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

The Enacting Formula, as amended was added to the Bill

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

The title was added to the Bill

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पास किया जाये ?" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक

Advocates (Amendment) Bill

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

आल इण्डिया बार कमेटी तथा विधि आयोग ने अपने 14वें प्रतिवेदन में एक समान बार बनाने की सिफारिश की है । इनके बाद सरकार ने विधेयक पेश किया था जिसे बाद में अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का नाम दिया गया । बाद में इस में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई अतः इसके संशोधन के लिये 1965 में एक अन्य विधेयक यहां पर पेश किया गया, तत्पश्चात् इस विधेयक को वापस ले लिया गया और इस मामले को प्रसिद्ध वकीलों के विचारार्थ भेज दिया गया । वकीलों की इस समिति ने 5 सितम्बर 1966 को अपना प्रतिवेदन पेश किया । इनकी सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने 1968 में यहां एक विधेयक पेश किया । इसको बाद में प्रवर समिति को सौंप दिया गया और प्रवर समिति ने कानूनी सहायता आदि लिखे उपबन्धों का सुझाव दिया । अतः इस 1968 के विधेयक को भी वापस ले लिया गया ।

1970 में पुनः राज्य सभा में पुनरीक्षत विधेयक पेश किया गया । इस पर 26 मई 1971 को चर्चा आरम्भ हुई । इसे संयुक्त समिति को सौंप दिया गया और संयुक्त समिति ने 12 दिसम्बर 1972 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । राज्य सभा ने कुछ संशोधनों के साथ इस विधेयक को पास कर दिया है और अब यह इस सभा के समक्ष है ।

अब यह विधेयक जम्मू व काश्मीर, गोआ, दमन दीव पर भी लागू होगा ।

संयुक्त समिति ने सिफारिश की है कि कार्यवाही एक वर्ष के भीतर ही समाप्त होनी चाहिये । इस प्रयोजन हेतु विधेयक में एक उपबन्ध रखा गया है । संयुक्त समिति ने सुझाव दिया है कि शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् तीन वर्ष का समय पर्याप्त है और कि प्रशिक्षण के लिये और अधिक समय नहीं रखा जाना चाहिये ।

बार परिषद् सेमिनार आदि कर सकती है और विधि पत्रिकाएं प्रकाशित कर सकती हैं । बंगलादेश से आये वकील भी इस देश में अपने नाम पंजीकृत करा सकते हैं । इस बारे में उपबन्ध कर दिया गया है ।

अनुसूचित जातियों के लिए नाम दर्ज कराने सम्बन्धी फीस को कम कर दिया गया है । कानूनी सहायता देने के बारे में यह मत है कि यह एक राज्य विषय है और राज्य सरकार को इस बारे में प्रबन्ध करना चाहिये ।

श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए

Shri S. A. Kader in the chair.

इस मामले पर विचार के लिये एक समिति भीनियुक्त की गई थी और उस समिति का प्रतिवेदन अभी सरकार के विचाराधीन है ।

एक निश्चित तिथि के पश्चात लन्दन से आने वाले बैरिस्टर अपने नाम यहां पर अधिवक्ता के रूप में दर्ज नहीं करा सकेंगे । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 163 व्यक्तियों को अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत कर लिया था । उनके पंजीकरण को वैध ठहराने के लिये इस विधेयक में एक संशोधन रखा गया है ।

मुझे विश्वास है कि सभा इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करेगी ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

Shri Ramavter Shastri (Patna) : I support this Bill. I request that free legal aid should be provided to the poor. This has been mentioned in the Bill itself but I would say that this thing should be given a practical shape. The poor people are not in a position to pay the fees of the lawyers. They lose the cases because they don't possess the requisite money to engage good advocates. So I request you to give this thing a practical shape.

I also want to suggest that culprit should be allowed to plead his own case.

The term of the Bar Councils should be raised from four to five years.

The Provident Fund Scheme should be introduced in the Bar Councils to help the lawyers. For this purpose section 6(2) of the Bill should be amended.

The Bar Council should be entrusted with the job of providing training to the lawyers.

No. Stamp duty should be imposed for enrolment this provision should be deleted.

The membership fee should be raised from 250 to 350/—.

The appointment of the clerks to the lawyers should be done by the Bar Councils this should not be left over to the Vakils.

No income tax should be charged from the Bar Council because it is not a profit making body.

With these words I support the Bill.

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : लोकतंत्र के सफल संचालन के लिये स्वतंत्र, दक्ष तथा भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका का होना आवश्यक है। इसके लिये कानून के व्यवसाय का दक्ष तथा भ्रष्टाचार मुक्त होना आवश्यक है। 1961 के विधेयक के पास होने के पश्चात इस व्यवसाय में बहुत भ्रष्टाचार फैल गया है, इस विधेयक के संशोधन करने वाले खण्डों पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। खण्ड 19 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कारावास में रह चुका हो अथवा अनैतिक कार्य में अन्तर्ग्रस्त रहा हो तो उसे अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिये। परन्तु इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति केवल मात्र जुर्माना देकर छूट जाता है तो वह स्वयं को अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत करा सकता है। मैं समझता हूं कि इस उपबन्ध का कोई अर्थ नहीं है।

इस विधेयक में यह भी उपबन्ध किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता अधिनियम के अन्तर्गत सजा हो जाती है तो उसके पंजीकरण को कुछ वर्षों के लिये स्थगित कर दिया जाये। इसी प्रकार मैं समझता हूं कि न्यायालय का अपमान करने वाले व्यक्तियों को अनर्ह घोषित किया जाना चाहिये था।

मैंने कुछ संशोधन दिये थे परन्तु वे आज सुबह ही कार्यालय में पहुंच सके हैं। मेरे संशोधन श्री डागा के संशोधनों से मिलते हैं। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करुंगा कि वह इन संशोधनों पर विचार करें और इन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करें।

विश्वविद्यालयों में तीन वर्ष का पाठयक्रम पास करने के पश्चात विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता कि न्यायालयों में किस प्रकार व्यवहार करना है। इसका परिणाम यह है कि हमारा स्तर गिर रहा है। अत: मेरा निवेदन है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के पश्चात विद्यार्थियों को किसी वकील से व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिये।

अधिवक्ताओं के क्लर्कों के पंजीकरण के बारे में भी एक उपबन्ध होना चाहिये था। इसके अर्हताएं निर्धारित की जानी चाहिये। उनके निलम्बन तथा हटाये जाने के बारे में भी एक उपबन्ध होना चाहिये।

इस तिथि को, कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय से डिग्री लेने के पश्चात कब तक स्वयं को अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत करा सकता है निरन्तर बदला जाता रहा है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि तिथि को बदलने का औचित्य क्या है, ग्रेट ब्रिटेन तथा अमरीका की विधि संस्थाओं का हमारे यहां मान्यता प्राप्त है। बैरिस्टर के पंजीकरण के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में विधेयक में किया गया उपबन्ध व्यर्थ है।

मैं समझता हूँ कि इस विधेयक में 'प्रोबेशनर्स' के बारे में जो उपबन्ध है वह भी त्रुटिपूर्ण है। मेरे विचार में इस विधेयक को सरकार द्वारा वापस ले लिया जाना चाहिये किसी विशेष खण्ड को पास करना आवश्यक है तो उसे पास कर दिया जाये। एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिसमें कानूनी सहायता देने सम्बन्धी उपबन्ध भी होना चाहिये।

Shri R. V. Bade (Khangaon) : I do not agree with the criticism made by Shri Shukla. A person is disqualified after the report of the Disciplinary Committee of the Bar Council goes against that person. Training of the clerks is not possible as it is difficult to give training in villages where these persons are not even matriculate. They gain sufficient experience while working.

The System of Keeping Solicitor should be stopped.

It was suggested that the fee should be increased from Rs. 250 to Rs. 350 so that that hundred rupees excess may be utilised by the poor. There should not be any tax for the people who are unable to pay it. The fee should be half for the scheduled casts and Scheduled tribes.

The Common Roll is being abolished this will be against the objects of the enrolment of the Advocates because the Act has been enacted to have All India Unified Bar and the Common Roll will help in the maintenance as such there should be 50 percent cut in the money to be sent to the Bar Council of India. The Government should take decision in connection with the meetings of the Bar Council the Meeting of the Bar Council should be held at its Headquarters.

It is suggested that an Advocate should be given six months training before enrolment. In my opinion a junior advocate should work under a senior advocate and there is no need for any training for three years.

The Government should take quick decision with regard to give legal aid to the poor some legislation should be made in this regard.

श्री ए० के० एम० इसहाक (बसिरहार) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं । वास्तव में यह विधेयक बहुत पहले लाया जाना चाहिये था । गरीबों को दी जाने वाली कानूनी सहायता कल्पनामात्र और अवास्तविक प्रतीत होती है । धन के अभाव के कारण निर्धन व्यक्ति न्याय प्राप्त नहीं कर सकते ।

संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हैं और कानून के सामने गरीब और अमीर बराबर हैं लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है । अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं अतः गरीब वर्ग को कानूनी सहायता दी जानी चाहिये ।

सरकार निर्धन व्यक्ति की न्यायालय की फीस देकर इसे राहत दे सकती है । ऐसे दीवानी मुकदमे हो सकते हैं जिनमें सौ प्रतिवादी हों । कानून के अनुसार समन की प्रतिलिपि प्रत्येक को भेजना अनिवार्य है । इस प्रकार बहुत व्यय होगा और एक निर्धन व्यक्ति के लिये इतना व्यय करना बहुत कठिन होगा । लेकिन इस मामले में सरकार आसानी से सहायता दे सकती है । कानूनी सहायता देते समय सरकार को इस पहलू पर भी विचार करना चाहिये ।

अन्य मुख्य व्यय वकील की फीस है । इसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिये । यदि गरीबों के लिये ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती, तो इसके अभाव में मुकदमें खारिज हो जायेंगे ।

इस विधेयक के माध्यम से गरीबों को कोई वास्तविक सहायता देने की व्यवस्था नहीं की गई है । यदि सरकार वास्तव में उनकी सहायता करना चाहती है, तो हमें न्यायालय फीस अधिनियम में संशोधन करना चाहिये ।

अमुक व्यक्ति को निर्धन करार देने का अधिकार बार काउन्सिल को है । इस विषय पर विचार करना चाहिये कि क्या वह उक्त अधिकार बार काउन्सिल को देगी अथवा इस मामले में न्यायालय को निर्णय देने को कहेगी ।

हमारे देश में अनेक ऐसे वकील हैं जो अत्याधिक धन कमा रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे वकील भी हैं जिनके लिये जीवनयापन करना कठिन हो रहा है । सरकार को ऐसे वकीलों को निर्धनों को कानूनी सहायता देने के लिये नियुक्त कर लेना चाहिये ।

यह प्रसन्नता की बात है कि इस विधेयक द्वारा बैरिस्टरों को समाप्त किया जा रहा है । सरकार इस मामले में संकोच कर रही है । सरकार ने विदेशों में कानूनी प्रशिक्षण ले रहे लोगों को छूट देने की समय सीमा निर्धारित की है । इसे बढ़ाया नहीं जाना चाहिये तथा हमारे कानूनी प्रशिक्षण को भी उतनी ही सम्मान और मान्यता प्राप्त होनी चाहिये ।

श्री जी० विश्वनाथन : (वान्डीवाश) : हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं । इस व्यवसाय को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है । देश में अनेक राष्ट्रीय नेता 36 व्यवसाय में लगे थे । लेकिन अब वह स्थिति नही है । देश के अनेक प्रमुख वकील राजनीति में आ गये हैं । इसके कारण इस व्यवसाय की प्रतिष्ठा और महत्व घटता जा रहा है ।

यह प्रसन्नता की बात है कि इस विधेयक द्वारा समस्त देश में समान पद्धति अपनाई जायेगी। लेकिन सरकार ने कलकत्ता और बम्बई में चल रही दुहरी पद्धति को समाप्त नहीं किया है जिसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति स्वयं सीधे वकील को तय नहीं कर सकता। उसे पहले सालिसिटर पर जाना पड़ता है जो बाद में वकील से बात करता है। इस दुहरी पद्धति को समाप्त किया जाना चाहिये।

सरकार को निर्धन वर्ग को कानूनी सहायता देने के लिये शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये। यह मामला बार काउन्सिल पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये क्योंकि बार काउन्सिल के पास इतने साधन नहीं कि वह इसकी व्यवस्था कर सके। अतः सरकार पर ही यह मामला छोड़ा जाना चाहिये।

कानूनी सहायता न केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के निर्धन व्यक्तियों को दी जानी चाहिये बल्कि उक्त सहायता समाज के सब निर्धन वर्गों को दी जानी चाहिये। हम अब ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जब एक व्यक्ति जिसके पास साधन हैं वह धन खर्च कर न्याय खरीद सकता है। इन परिस्थितियों में न्यायालयों में जाने वाले व्यक्तियों को आवश्यक सहायता दी जानी चाहिये।

जहां तक प्रशिक्षण काल का सम्बन्ध है, विधि पाठ्यक्रम बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया है। मैं यह नहीं समझता कि प्रशिक्षणता की आवश्यकता नहीं है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि वकीलों के क्लर्कों का पंजीकरण किया जाये और उनकी योग्यता निश्चित की जाये।

अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम में अनेक उपबन्ध हैं जिनका स्वागत किया जाना चाहिये। उनमें से एक उपबन्ध न्यायाधीश को 'माई लार्ड' सम्बोधित किये जाने की प्रथा को समाप्त करना है।

Shri M. C. Daga (Pali): The Joint Committee has recommended in strong words that statutory provision should be made for rendering legal aid to the poor. But the Government has neglected this recommendation. It is very difficult for the poor people now-a-days to get justice at little expense. Advocates are not prepared to take their cases. A quota should be fixed for every lawyer to take the number of cases of the poor people. The Government should not interfere in the rules formulated by Bar-Council. The right to formulate rules should be given to the Bar Council of India and the State Bar Council.

Besides, Central Government the Bar Council of India and the State Bar Council should have the power to formulate rules.

The Government should have no objection in enroling a Candidate in case he produces a Certificate of doing work with a lawyer during his study period. He has got the full right to enrol himself with the Bar.

Swami Brahmanandji (Hamirpur) : It is very difficult for a Common man to get Justice in the present circumstances. The work of giving justice to the Common man should be entrusted to the members of the Gram Panchayat and Zila Parishads. Some such rights should also be given to the members

of the State Assemblies and the members of Parliament. It, not only will help in abolishing Corruption but the expesnes of the Government will also considerably decreasd.

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : कुछ सदस्यों ने कानूनी सहायता देने का उल्लेख किया है यह मामला संयुक्त समिति के सम्मुख भी प्रस्तुत किया गया था और अन्त में यह निर्णय किया गया कि कानूनी सहायता के सम्बन्ध में व्यापक योजना बनाने के लिए समिति नियुक्त की जाये । इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता में न्यायाविज्ञों, विधि अध्यापकों और सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं की एक समिति नियुक्त की गई । उक्त समिति के प्रतिवेदन की जांच की जा रही है । मैं सभा को इस बात का आश्वासन दिलाता हूं कि जैसे ही निर्णय ले लिया जायेगा एक व्यापक उपबन्ध सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा ।

बार के सदस्यों के लिये भविष्य निधि की व्यवस्था न करने के बारे में सवाल उठाया गया है । सार्वजनिक भविष्य निधि, 1968 नाम से पहले ही अधिनियम है । जो कोई व्यक्ति भविष्य निधि का लाभ उठाना चाहता है वह उक्त नियम के अन्तर्गत लाभ उठा सकता है ।

विधि संकायों से पास होकर निकलने और नामांकित होने के बीच छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने का उल्लेख किया गया है । इस बारे में बहुत बारीकी से अध्ययन किया गया है और समय को 2 वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया है ।

अधिनियम की धारा 49 (क) के अन्तर्गत भारतीय बार काउन्सिल को शिक्षा सम्बन्धी नियम बनाने का अधिकार है । शिक्षा समिति के नाम से उनकी एक समिति है । वह इस बात का निर्णय करती है कि किस प्रकार शिक्षा दी जाए तथा छात्र कितना समय विश्वविद्यालय और व्यवहारिक प्रशिक्षण में व्यतीत करे । संयुक्त समिति ने इन सब बातों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया कि सब के लिये नामांकन फीस 250 रुपये और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये उक्त फीस 125 रुपये होनी चाहिये ।

संयुक्त समिति ने अपनी बैठक अन्यंत्र करने के बारे में यह निर्णय लिया है कि उसकी बैठके वहीं होनी चाहिये जहां काउन्सिल के मुख्यालय हों ।

द्रमुक के सदस्य ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्ठों को भुगतान करें—यह सुझाव व्यवहार्य नहीं है ।

दोहरी व्यवस्था पर सरकार ध्यान दे रही है और इस संबंध में कुछ कदम उठाए भी जा चुके हैं ।

श्री आर० बी० बड़े : राज्य बार कौंसिलों द्वारा केन्द्रीय कौंसिल को देय फीस के पुनरीक्षण के बारे में क्या निर्णय है क्योंकि विधि आयोग के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष बाद ऐसा होना चाहिये ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : यह मामला दोनों काउन्सिलों ने आपस में निपटाना है । हां यदि कोई कठिनाई हो तो हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, परन्तु मैं समझता हूं ऐसी कोई कठिनाई नहीं है ।

डागाजी ने अपने तर्क का स्वयं ही यह कह कर कि 'गरीबों की वकालात वकील नहीं करते, खण्डन कर दिया है इस संबंध में विधेयक में कोई उपबन्ध रखने से भी लाभ नहीं होगा। संयुक्त प्रवर समिति ने इसलिए बार के सदस्यों द्वारा सहायता देने संबंधी उपबन्ध किया है।

आशा है सभा इस विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकार करेगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभापति महोदय : खण्ड 2 से 17 में कोई संशोधन नहीं है। अतः प्रश्न यह है

"कि खण्ड 2 से 17 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 17 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 to 17 were added to the Bill.

खण्ड 18

सशोधन किया गया

पृष्ठ 7 पंक्ति 376,—

"1973" के **स्थान पर** "1976" **प्रतिस्थापित** किया जाये।

(श्री एच० आर० गोखले)

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्तताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 18, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 18, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 19

श्री मूलचन्द डागा : मैं संशोधन संख्या 7, 9, 10 पेश करता हूं ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8 पंक्ति 20,—

"Sentenced to imprisonments"

(कारावास का दण्ड दिया गया हो) का **लोप कर दिया जाये** और

पृष्ठ 8, पंक्ति 22 और 23,—

"and sentenced to imprisonments"

(और कारावास का दण्ड दिया गया हो) का **लोप कर दिया जाये** संख्या 6 **और** 8

श्री एच० आर० गोखले : आशा है कि वह अपने दो संशोधन स्वीकृत होने के बाद अपने शेष संशोधन वापस ले लेंगे ।

श्री बी० आर० शुक्ल : यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध का एक ही बार दोषी होने पर अपना नाम दर्ज कराने से पूर्व अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र मांगे तब क्या स्थिति होगी ।

श्री एच० आर० गोखले : मेरे विचार में ऐसे व्यक्ति को रोज़गार से वंचित नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मैं श्री डागा के संशोधन संख्या 6 और संख्या 8 मान लेता हूं । अब मैं उनसे शेष संशोधन वापस लेने का अनुरोध करता हूं ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपने संशोधन संख्या 7, 9, 10 वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं ।

सभापति महोदय : क्या सभा इसकी अनुमति देती है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 7, 9 और 10 सभा की अनुमति से वापस किए गए ।

ये संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

The amendments were, by leave withdrawn.

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 6 और संख्या 8 सभा द्वारा मतदान के लिए रखता हूं ?

प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 8, पंक्ति 20,—

"Sentenecd to imprisonment"

(कारावास का दण्ड दिया गया हो) का **लोप कर दिया जाये** (संख्या 6)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 8 सभा द्वारा मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 8, पंक्ति 22 और 23,—

"Sentenced to imprisonment"

(और कारावास का दण्ड दिया गया हो) का **लोप कर दिया जाये** (संख्या 8)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 19, जिसका सभा द्वारा स्वीकृत संशोधन संख्या 6 और 8 द्वारा संशोधन हो चुका है, सभा द्वारा मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 19, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 19, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 19, as amended, was added to the Bill

खण्ड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 20 was added to the Bill.

खण्ड 21

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 21 मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खण्ड 21 विधेयक में जोड दिया गया

Clause 21 was added to the Bill.

खंड 22

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 22 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 22 was added to the Bill

खण्ड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 23 was added to the Bill

खण्ड 40

(संशोधन किया गया) पृष्ठ 13 और 14

Number the proposed new sections "58AC, 58AD and 58AE" as "58AD, 58AE and 58AF", respectively, and before the new section 58 AD as so renumbered, *insert*—

"Special provisions with respect to certain persons enrolled by Uttar Pradesh State Bar Council.

58AC. Notwithstanding anything contained in this Act or any judgement decree or order of any court, every person who was enrolled as an advocate by the High Court during the period beginning wi h the 2nd day of January, 1962, and ending on the 25th day of May, 1962 and was subsequently admitted as an advocate on the State roll by the State Bar Council of Uttar Pradesh shall be deemed to have been validly admitted as an advocate on that State roll from the date of his enrolment by the High Court and accordingly entitled to practise the profession of Law (whether by way of pleading or acting or both.)"

[प्रस्थापित नई धारा "58 क ग, 58 क घ और 58 क ड़" को क्रमश: 58 क घ, 58 क ड़ और 58 क च" के रूप में **पुन: संख्यांकित किया जाए** और इस प्रकार पुन: संख्यांकित नई धारा 58 क घ से पूर्व निम्नलिखित धारा **अन्त:स्थापित की जाए:-**

"उत्तर प्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा नामावलिगत किए गए कुछ व्यक्तियों के बारे में विशेष उपबन्ध।

58 क ग इस अधिनियम में अथवा किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की बाबत जो 2 जनवरी, 1962 से आरंभ होकर 25 मई, 1962 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के रूप में नामावलिगत किया गया था और तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ठ किया गया था, यह समझा जाएगा कि वह उच्च न्यायालय द्वारा उसके नामावलिगत किए जाने की तारीख से उस राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में विधिमान्यता प्रविष्ट किया गया है और तदनुसार वह (चाहे अभिवचन करके या कार्य करके अथवा दोनों प्रकार से) व्यवसाय करने का हकदार होगा।"]

(श्री एच० आर० गोखले :)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 40, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 40, संशोधित रूप में विधेयक में जोड दिया गया

Clause 40, as amended was added to the Bill

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1, विधेयक में जोड दिया गया

Clause 1, was added to the Bill

अधिनियम 1 सूत्र और नाम विधेयकों में जोड़ दिए गए ।

The enacting Formula and the title were added to the Bill

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ .

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

अब श्री सरजू पांडे ।

Shri Sarjoo Pandey (Gazipur) : I would make a mention of some things in general. Firstly, Government have not framed any policy regarding dispensation of Justice till this day. Secondly I would like law to be written in the most simple language.

The period of submission of report by the Committee to suggest disciplinary action against advocates etc. is too long.

There is no provision in the Bill regarding legal aid to the poor. When public service is considered necessary for doctors, it should be made obligatory for lawyers as well.

I would, therefore request the hon. Minister to ponder over the points raised by me and then bring a Bill, so that it may be of some Service to the poor.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : The report of the Committee should be available as early as possible. When Government claims to remove poverty, why Justice is becoming more and more costlier ? Fees should be prescribed for civil and Criminal cases, and cases should be decided Expeditiously.

श्री पी० जी० मावलंकर : बिचारी जनता पर दोहरी आफत है : एक तो फीसें मोटी देनी होती हैं और दूसरे कानून बड़े और पेचीदा होते जाते हैं।

आशा है सरकार समिति की रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त करके और उस पर विचार के पश्चात् आवश्यक संशोधन विधेयक लाएगी ।

गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के बारे में गुजरात जैसे राज्यों ने कुछ कदम उठाए हैं। मैं चाहता हूं कि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार पहल करे और अखिल-भारतीय नीति निर्धारित करे।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : सदस्यों के सुझावों के लिए मैं उनका आभारी हूं।

भगवती रिपोर्ट हमें मिल गई है और उन की सलाह पर कदम भी उठाए गए हैं। मंत्रालय के सचिवों की एक समिति उस पर विचार कर रही है ताकि इस काम को शीघ्र पूरा किया जा सके।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

तत् पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 16 नवम्बर, 1973/25 कार्तिक, 1895 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on November 16, 1973/ Kartika, 25, 1895 (Saka)

M/J(D) 9LSS—490—14-2-74—GIPS